CONTENTS

Sixteenth Series, Vol IV Second Session, 2014/1936 (Saka) No. 27, Thursday, August 14, 2014/Shravana 23, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 521 to 525	1-78
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 526 to 540	79-138
Unstarred Question Nos. 5110 to 5339	139-543

^{*}The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPER	S LAID ON THE TABLE	544-563 593-594
FINAN	CIAL COMMITTEES	563
STATE	MENTS BY MINISTERS	564-565
(i)	Status of implementation of the recommendations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Scheme of Multi-sectoral Development Programme', pertaining to the Ministry of Minority Affairs	
	Dr. Najma A. Heptulla	564
(ii)(a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Labour on 'Welfare of Small Weavers of Mau and Adjoining Area – A Case Study', pertaining to the Ministry of Textiles	
(ii)(b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 30th and 37 th Reports of the Standing Committee on Energy on 'Functioning of Central Electricity Regulatory Commission' and 'Development of National Grid' respectively, pertaining to the Ministry of Power.	
	Shri Santosh Kumar Gangwar	564-565
CENTF	RAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2014	566

568-581

MATTERS UNDER RULE 377

(i)	Need to set up Divisional Office of Railways in Surat, Gujarat	
	Shrimati Darshana Vikram Jardosh	568-569
(ii)	Need to run a direct train between Bulandshahr (Uttar Pradesh) and Delhi and provide stoppage of various other trains running from Delhi to Kanpur, Allahabad and Lucknow at Bulandshahr Railway Station	
	Shri Bhola Singh	569
(iii)	Need to set up a branch of Rural Bank at Devrai village in Jaunpur district, Uttar Pradesh	
	Shri Ram Charitra Nishad	570
(iv)	Need to expand rail network in naxal-affected Dehrai, Tilauthu, Rohtas and Nauhatta in Bihar and Robertsganj in Uttar Pradesh	
	Shri Chhedi Paswan	570
(v)	Need to undertake comprehensive social study to delve into the reasons leading to increasingly impatient behavior among children and take appropriate remedial measures	
	Shri Sharad Tripathi	570
(vi)	Need to set up a Jawahar Navodaya Vidyalaya in Chhota Udaipur district, Rajasthan	
	Shri Ramsinh Rathwa	571
(vii)	Need to implement the Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 in Assam particularly in Tezpur Parliamentary Constituency in the State to ensure extension of social-economic benefits to tribal people in the State	
	Shri Ram Prasad Sarmah	572

(viii)	Need to remove encroachments from railway lands all over the country	
	Shri Maheish Girri	573
(ix)	Need to include the remaining 9 districts of Rajasthan in National Horticulture Mission	
	Shri Bahadur Singh Koli	573
(x)	Need to provide adequate financial assistance for Chambal Bhilwara Drinking Water Project in Rajasthan and also expedite environmental clearance for the execution of the project in Chhittorgarh district of the State	
	Shri Subhash Chandra Baheria	574
(xi)	Need to undertake widening and regular maintenance of N.H. 75E between Rewa and Sidhi in Madhya Pradesh	
	Shrimati Riti Pathak	574-575
(xii)	Need to augment railway services and passenger facilities in Dindigul Parliamentary Constituency, Tamil Nadu	
	Shri M. Udhayakumar	575-576
(xiii)	Need to renew the existing licences of salt manufacturers in Tamil Nadu and also roll back the increase in assignment fee, land rent for such manufacturers in the State	
	Shrimati K. Maragatham	577
(xiv)	Need to provide subsidies to farmers for installation of micro irrigation systems and to create awareness among farmers about the uses of micro-irrigation	
	Shri Dinesh Trivedi	578

(xv)	Need to declare the areas having considerable number of Marathi-speaking people in Karnataka as a Union Territory	
	Shri Vinayak Bhaurao Raut	579
(xvi)	Need to take measures to protect Kaliralga and Hatsingmari area of Dhubri district, Assam from erosion by river Brahmaputra and also make provision for adequate funds for the purpose	
	Shri Badruddin Ajmal	579-580
(xvii)	Need to declare tax-holiday for industries in Punjab to give impetus to economy of the State	
	Shri Prem Singh Chandumajra	581
APPR	RENTICES (AMENDMENT) BILL, 2014	582-636
	Shri Kodikunnil Suresh	584-588
	Shri Dushyant Singh	589-592
	Prof. Saugata Roy	595-599
	Shri K. Parasuraman	600
	Shri Nagendra Kumar Pradhan	601-602
	Shri Vinayak Bhaurao Raut	603-605
	Shri Konda Vishweshwar Reddy	606-607
	Shri Ganesh Singh	608-610
	Shri Adhir Ranjan Chowdhury	611-613
	Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)	614-615
	Shri M.B. Rajesh	616-618
	Shri Om Birla	619
	Shri E.T. Mohammad Basheer	620-621
	Shri Prem Das Rai	622
	Shri N.K. Premachandran	623-625
	Shri Narendra Singh Tomar	626-631
	Clauses 2 to 14 and 1	632-634
	Motion to Pass	636

DISCUSSION UNDER RULE 193

AS PASSED BY RAJYA SABHA

(i) Need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the country	637-671
Shri Mulayam Singh Yadav	638-647
Shri E.T. Mohammad Basheer	648-650
Shri Prem Singh Chandumajra	651-652
Shri Mohammad Asrarul Haque	653-658
Shri Kirti Azad	659-662
Prof. Sugata Bose	663-665
Shri N.K. Premachandran	666-668
Shri Bhagwant Mann	669
Shri Arvind Sawant	670-671
(ii) Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country	673-719
Shri Arjun Ram Meghwal	673-674
Shrimati K. Maragatham	675-676
Shrimati Priyanka Singh Rawat	677-678
Shrimati Rekha Verma	679
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	680-682
Shrimati Krishna Raj	683-684
Shri P.P. Choudhary	685-686
Shrimati Anupriya Patel	687-688
Shri Mullapally Ramachandran	689-694
Shrimati Rita Tari	695-697
Shri C. Mahendran	698-700
Dr. Mamtaz Sanghamita	701-705
Shri Sudheer Gupta	706-708
Shrimati Maneka Gandhi	709-719
MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL	

720

VALEDICTORY REFERENCES	721-724
NATIONAL SONG	724
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	725
Member-wise Index to Unstarred Questions	726-729
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	730
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	731-732

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Prof. K.V. Thomas
Shri Anandrao Adsul
Shri Prahlad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayan Rao
Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P. K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 14, 2014/Shravana 23, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न संख्या 521, श्री केशव प्रसाद मौर्य ।

(Q.521)

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, वह प्रश्न के हिसाब से नहीं है। मेरा प्रश्न मुख्य रूप से रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर था। मेरे पास कई मामले हैं, लेकिन विशेष तौर से मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि एन.सी.आर. (उत्तर-मध्य) रेलवे में वर्ष 2010 में ग्रुप-डी की भर्ती हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत आयी थी। उसकी रेलवे विजिलेन्स के द्वारा जाँच करायी गयी थी। उस जाँच में कई अधिकारी दोषी पाये गये थे। उसके कारण हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकार में पड़ा था। वह दोष इतना बड़ा था कि रेलवे विजिलेन्स ने वह जाँच करने के बाद उसकी जाँच सी.बी.आई. से कराने के लिए रिकमेन्ड किया, लेकिन आज तक सी.बी.आई. ने क्या जाँच की, जो अधिकारी दोषी थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ। जुलाई-2014 में फिर से जो भर्ती की प्रक्रिया हुई, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2010 की ग्रुप-डी की परीक्षा में जो विजिलेन्स रिपोर्ट रेलवे की थी, जिसमें उसने सी.बी.आई. जाँच को रिकमेन्ड किया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसके लिए कौन अधिकारी दोषी थे? वर्ष 2014 में उसी प्रकार की भर्ती में फिर धांधली हुई तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, the very nature of the Question is entirely different.

HON. SPEAKER: It is about the earnings of the Railways.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: He is asking what happened in a particular case. The actual Question raised by my friend is whether there is any mechanism in place to inquire into cases of irregularities and corruption in Railways. I have given a clear answer to this. There is a departmental mechanism available consisting of internal check of station returns by Traffic Accounts Office. The very particular question asked by him was about the earnings and income of Railways other than passengers and freight during the

last three years and the current year and whether records of such earnings and income are maintained at railway station level and if so, the details thereof.

The question pertains to the earnings and income of the Railway Department. But my friend has asked another question with regard to appointment and other things. Certainly, I will get back to him after getting all the particulars.

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदया, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था, उसके क्रमांक 'ग' में मैंने भ्रष्टाचार के मामलों को विशेष तौर से फोकस किया था, क्योंकि, हमारे प्रश्न हिन्दी में जाते हैं, पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है? मेरा भ्रष्टाचार का विषय था और भ्रष्टाचार के विषय का मैंने विशेष तौर से उल्लेख किया था। मैं माननीय मंत्री जी से इसको जोड़ते हुए पूछना चाहता हूँ, क्योंकि, भ्रष्टाचार ही मेरी मुख्य रूप से शिकायत थी और उसकी मेरे पास बहुत सारी जानकारी थी।

हम लोग रेल में यात्रा करते हैं। उस यात्रा के दौरान बहुत बार कैटरिंग से जुड़ी हुई, खान-पान की बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं। अभी पिछले दिनों जब रेल बजट आया था तो उस रेल बजट में इस विषय को माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था कि अब खान-पान की सेवा में सुधार होगा। लेकिन भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि पिछली सरकार के समय का यह मामला है और जो इस देश की रेलवे के अंदर खान-पान की व्यवस्था है, उसकी मेरे पास एक लिस्ट है, जिसमें यह जानकारी है कि देश के अंदर जो सौ से अधिक मेजर गाड़ियाँ चलती हैं, उनके ठेके एक परिवार विशेष को दे दिये गए, उन्हीं की कंपनियों को दे दिये गये। उस परिवार को क्यों दे दिये गये, क्योंकि, रेलवे के अधिकारी और उस कंपनी दोनों में एक बड़ी मिलीभगत थी। इस प्रकार का एक क्राइटीरिया तैयार किया गया था, जिससे एक कंपनी विशेष को ही ठेका मिल पाए। देश की सौ बड़ी रेलगाड़ियों में विशेष तौर से ...* नाम की एक कंपनी है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कंपनी का नाम नहीं लें, आप बाद में इनको सब पत्र दे देना तो ये इनक्वायरी कर लेंगे।

श्री केशव प्रसाद मोर्य: अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ...* का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि, यह एक परिवार की कंपनी है जिसके पास सौ से अधिक गाड़ियों का ठेका है, उसकी खान-पान की गुणवत्ता में बहुत गड़बड़ी है। इसके पीछे अधिकारियों और उस कंपनी की बड़ी मिलीभगत है। यह भ्रष्टाचार का मामला है। रेलवे स्क्रैप की नीलामी होती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये कि कार्रवाई करेंगे या नहीं।

^{*} Not recorded as ordered by the Chair.

श्री केशव प्रसाद मौर्य: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्रवाई के लिए ही पूछने वाला हूँ। रेलवे स्क्रैप की नीलामी होती है। मेरे यहाँ इलाहाबाद में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ और जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, वहाँ पर भी जो ठेके होते हैं, उसमें गुंडा टैक्स लेने का काम किया जाता है। हमारी लोकल पुलिस, लोकल अधिकारी सब उसमें मिले हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सौ से अधिक कैटरिंग के ठेके जो एक परिवार की कंपनी विशेष को दे दिये गये हैं, उसमें, और जो स्क्रैप की नीलामी होती है, 1000 टन नीलामी में लिया जाता है और 10 हज़ार टन रेलवे का माल वे उठाकर ले जाते हैं, इसकी जाँच करके क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, I do not dispute the fact of my friend that there is corruption or irregularities. Certainly, there is corruption and irregularities in the Railways. I have given the figures also in my answer and stated that during the years right from 2009-2010 up to 2013-2014, there were undercharges to the extent of about Rs. 882 crore, which have already been examined, and out of which Rs. 682 crore have been recovered.

In the last five and a half years, Railways have received as many as 42,000 complaints including corruption practices and other related issues, and the matter has been enquired into and 38,000 officials have been punished. So, I do not say that there is no corruption or something like that. But my friend has raised a specific question regarding a particular company. Let him put it in writing to me, and I will certainly enquire into the matter and I will get back to my friend on this issue. You give me a letter, and I will look into the matter and I will take ...

HON. SPEAKER: Now, he has said everything about the issue. So, you can look into it without the letter also.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Yes, let him come to me, and I will take care of it.

SHRI K. N. RAMACHANDRAN: Madam Speaker, I want to ask a Question regarding earnings of Railways vis-à-vis the hike in passenger and freight fares on account of Fuel Adjustment Component (FAC).

Madam, it is a fact that the Indian Railways have earned Rs. 1,26,029 crore from passenger and goods traffic between April 2013 and February 2014. This shows an increase of 12.51 per cent. On the other hand, the

dignified Railway Minister -- just before the presentation of the Railway Budget for this year -- has increased the passenger and freight charges. The increase on account of Fuel Adjustment Component (FAC) is 1.4 per cent on freight charges and 4.2 per cent on passenger fares. Our *Amma* has already insisted that the regular increase in charges due to FAC is not fair, and that the people are suffering. Will the dignified Minister of Railways consider installing petrol and diesel pumps at the premises of Railway Junctions, as is done in some of the major railway stations, to alleviate the suffering of the people and also to earn further revenue?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, yes, there was fare hike and the Fuel Adjustment Component is in place for the last two years. It was the need of the hour. I have already replied in my Budget Speech why I have raised fares. Even the earlier Government also had an intention to raise fares

My friend has suggested that there should be petrol pumps near railway stations. This sort of a proposal has not come to us or is not before the Railways as of now.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, यदि रेलवे की आमदनी बढ़ानी है तो गुड्स ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मंत्री महोदय ने यहां स्पष्ट किया है कि पिछले तीन बरस में इसमें बढ़ोत्तरी हुई है, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कई साल पहले डेडीकेटिड फ्रेंट कॉरीडोर का निर्माण करने का निश्चय किया गया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोंकण रेलवे के निर्माण के बाद से उत्तर से दक्षिण के लिए एक सुलभ मार्ग का निर्माण हुआ है। इस रेलवे मार्ग पर ज्यादा से ज्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेनें चलाने की रेलवे कोशिश करे तो आमदनी में बहुत बढ़ोत्तरी हो सकती है। क्या मंत्री महोदय, इसके लिए गम्भीरता से विचार करेंगे?

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Madam Speaker, as my friend rightly mentioned, the Konkan Railway provides connectivity between northern and southern parts of our country. As far as his request is concerned, I will look into the matter.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न-522, श्री बैजयंत जे. पांडा - उपस्थित नहीं। श्री सुनील कुमार सिंह। श्री सुनील कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जो जिले हैं, उनमें विकास की योजनाएं और उनमें भी खास कर ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में जो उत्तर उन्होंने दिया है, वह काफी विस्तृत है, परन्तु इस उत्तर से यह प्रतीत होता है कि पिछले पांच-छः सालों में उसमें कोई काम नहीं हुआ है। झारखण्ड प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो भी राशि उपलब्ध करायी गयी है, उसमें उसका काम लगभग आधा ही हुआ है, वहां 50 परसेंट से कम अचीवमेंट है। इसी तरह से अनेक योजनाएं जो उपलब्ध करायी गयी हैं, उनमें काम की प्रगति बहुत कम है।

दूसरा, युवाओं से सम्बन्धित जो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मुझे लगता है कि वह कागजों पर है। आई.पी.ए. से सम्बन्धित जितने जिले हैं, जिनको अब हम सेन्टरल असिसटेंस के रूप में चला रहे हैं, उसमें फण्ड की मॉनीटिरेंग के साथ-साथ काम की भी जरूरत है। इसमें अनेक विभाग संलग्न हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, योजना मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एच.आर.डी. और एनर्जी मिनिस्ट्री के सहयोग से यह पूरी की पूरी योजना चलती है। लेकिन इसकी मॉनीटिरेंग के लिए कोई यूनीफाइड सिस्टम नहीं है। सरकार ने अधिकारियों के स्तर पर विभिन्न एजेंसियां बनायी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना कर इन योजनाओं को एक कमाण्ड के अंदर सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आपकी कोई योजना है, क्योंकि, वामपंथी उग्रवाद से काफी मौतें हो रही हैं।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह बात ठीक है कि इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। जितना एचीवमेंट होना चाहिए, उतना एचावमेंट हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, इस बात से हम सहमत हैं। मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, उसे पहले भी स्ट्रेंथेन करने की बात की गयी है और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। माननीय सदस्य का इस संबंध में एक अलग से सुझाव है, इस पर हम विचार करेंगे।

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने आप से कहा कि इसमें रोड के अलावा भी अनेक कार्यक्रम चलते हैं, जैसे एन.आर.एच.एम. का आश्रम स्कूल, मनरेगा रोड निर्माण, आई.एस.डी. जैसी योजनाएं चलती हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता के तहत आर.आर.पी. का भी रोड ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम चलाता है। झारखण्ड के 24 जिलों में से 22 जिले उग्रवाद प्रभावित जिले हैं, लेकिन हम 17 जिलों पर विशेष फोकस देते हैं, और पांच जिले, जो एस.आर.ई. के अन्तर्गत हैं, उनको सड़क निर्माण और बाकी के कामों से नहीं जोड़ते हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जाती है और उस समिति

में जिले का वन अधिकारी और जिले का पुलिस अधीक्षक होता है। ये लोग तय करते हैं कि विकास कैसे होगा। अब इस में विचारणीय प्रश्न यह है कि ये विकास कैसे कर सकते हैं, जबिक ये जिला अधिकारी के तहत ही होते हैं, इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आप ने जो जन-प्रतिनिधियों से परामर्श की बात कही है, सांसद की सहमित की बात इसमें लायी जानी चाहिए। क्या ऐसी कोई योजना है, मैं यह जानना चाहूंगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नितिन गडकरी): माननीय स्पीकर महोदया, सम्माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है, वह काफी सच है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने में बहुत-सी अड़चनें आ रहीं हैं और हम ठीक प्रकार से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने जो सुझाव दिया है कि ऐसे क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के मंत्री, केन्द्र के प्रमुख मंत्री और सभी अधिकारियों को बुला कर इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इसमें जो समस्याएं हैं, उन्हें सुलझाया जाए। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है और पार्लियामेंट के जो सम्माननीय सदस्य उस क्षेत्र के होंगे, उन्हें बुलाकर हम इन समस्याओं का अध्ययन करेंगे, उन्हें सुलझाएंगे और उनके सुझाव का उपयोग कर हम निश्चित रूप से मार्ग निकालेंगे, यह विश्वास मैं सदन को दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री अशोक नेते, गढिचरौली में आपकी भी वही समस्या होगी।

श्री नितिन गडकरी: महोदया, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के अनेक राज्यों में नक्सल प्रभावित एरियाज़ हैं। इस पर कई सालों से काम शुरू है। यह समस्या गढ़िचरौली में भी है, झारखण्ड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और यह समस्या सभी जगह है। इसके कारण वहां काम नहीं हो रहा है।

सम्माननीय सदस्य जो व्यथा बता रहे हैं, वह बिल्कुल सच है, इसलिए हम ने कुछ सुधार भी किए हैं। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में रोड में कुछ छोटे-छोटे पैकेज डिवाइड कर के वहां के लोगों को काम दिया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रेमिज्म के कारण, नक्सल प्रभाव के कारण जो समस्या है, ऐसे जिलों की विशेष मीटिंग हम यहां केन्द्र सरकार की ओर से करेंगे। उसमें हम अधिकारियों को बुलाएंगे, उस क्षेत्र के सम्माननीय संसद सदस्यों को बुलाएंगे और इनके सुझाव लेकर उसमें से पॉजीटिव मार्ग निकाल कर हम उसे गित देने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल : जो नेपाल की सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनके बारे में क्या करेंगे?

श्री नितिन गडकरी: पूरे देश में जितने भी इससे प्रभावित क्षेत्र हैं, हम सब को अलग-अलग बुलाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि अब इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए।

अशोक नेते जी, क्या कोई प्रश्न है?

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने इस संबंध में उत्तर दिया है।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है।

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदया, हमारा क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने बी.आर.ओ. के माध्यम से बड़े पैमाने पर रास्तों के निर्माण का काम किया था।

मेरा मंत्री महोदय से स्पेसिफिक प्रश्न यही है कि बी.आर.ओ. जैसी जो एजेंसी है, अगर उनके माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कराया जाएगा तो इससे वहां के लोग मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। मंत्री महोदय, आप उनका ख्याल करें।

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, मैं जब महाराष्ट्र में सन् 1996 में मंत्री था, तब इनके क्षेत्र में झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से जुड़ने वाले हाईवे का काम शुरू हुआ था, जिसमें प्राणिहता नदी पर एक ब्रिज भी है। वहां 16 साल से बी.आर.ओ. काम कर रहा है, लेकिन बी.आर.ओ. का भी काम समाधानकारक नहीं है। मैं इस कन्क्लुजन पर आया हूं कि बी.आर.ओ. के माध्यम से भी काम होने की संभावना नहीं है। इसीलिए उसी क्षेत्र के छोटे-छोटे कान्ट्रेक्टर्स के पैकेज को कम करके, उन्हीं लोगों को इन्वाल्व करके उसमें मार्ग निकालना होगा, क्योंकि बाहर के लोग वहां काम नहीं कर सकते। गढ़िवरौली क्षेत्र की भी समस्या गंभीर है। हम क्षेत्रवाइज़ मीटिंग करके, सम्मानित सदस्य को बुला कर, उनके सुझाव लेकर इन कामों को पूरा करेंगे और उसमें से मार्ग निकालेंगे, यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं।

श्री सुशील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के भाग संख्या 'घ' की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि देश के जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 82 जिले हैं, उनमें विकास कार्यों को चला कर उग्रवाद की समस्या को नियंत्रित एवं समाप्त करने के लिए एक योजना भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है। पहले इसका नाम इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान था, अब इसी को एडीशनल सेंट्रल असिस्टेंस कर दिया गया है, जिसके तहत योजनाओं के चयन के लिए निर्णय लेने वाली एक समिति है, जिसमें केवल जिले का कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वन अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह निर्णय पूर्ववर्ती सरकार का है। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों को इस महत्वपूर्ण समिति से महरूम रखा गया है, उनको इसमें नहीं रखा गया है। उनसे केवल सुझाव देने को कहा गया है, जिसको मानने के लिए ये अधिकारी बाध्य नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बातना चाहूंगा कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे जिले औरंगाबाद में यह स्थिति है कि यहां इस योजना के तहत इस राशि से बर्तन खरीद लिए गए। मेरे संसदीय क्षेत्र का जो दूसरा जिला गया है, उसमें मेरी अनुशंसा नहीं मानी गई। दुनिया जानती है कि बिहार में नौकरशाही किस तरह से हावी है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस सच्चाई को वहां के मुख्य मंत्री ने भी स्वीकार किया है और वे स्वयं इसके

भुक्तभोगी हैं। इस बात को उन्होंने पब्लिक मीटिंग में किमट किया है, स्वीकार किया है। बिहार की स्थिति बहुत अलग और चिन्ताजनक है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ए.सी.ए. के लिए जो कमेटी है, उसमें सांसद को सदस्य बना कर, उनकी अनुशंसा को मानते हुए उनके इलाके में जो आवश्यक कार्य है, जो जनता की मांग के आधार पर है, क्या उसमें संसद सदस्य को सदस्य बनाने का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जो 82 डिस्ट्रिक्ट्स की बात बता रहे हैं, जहां विशेष रूप से यह समस्या खड़ी हुई है, उसमें मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में काम करने वाले जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो समिति है, वह केन्द्र सरकार की जितनी योजना है, उसके बारे में सम्माननीय संसद सदस्य को बुला कर, उनकी अनुमित एवं सुझाव लेकर निर्णय करेंगे, ऐसी सूचना हम उनको देंगे।

HON. SPEAKER: Q.No. 523, Shri A. Anwhar Raajhaa – Not present.

He is not there. Yes, Mr.Minister.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य हाउस में उपस्थित नहीं हैं, आप स्टेटमेंट सभा पटल पर रखें।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): I thank you, Madam, for giving me the opportunity. This country requires roads for development. In our State, during the tenure of Shri Atal Behari Vajpayeeji, they have provided very good four-lane roads under the name of Golden Quadrilateral in the country. He played a major role in the development of our State. My Constituency Anakapalli is in Visakhapatnam District. A stretch of merely 60 kilometres of State Highway 16 passes through my Constituency. That road which lies on the Chennai-Howrah route is one of the busiest roads. Hundreds of people get killed every year in accidents there. I would request the hon. Minister to have that road converted into a four-lane road so that those accidents can be avoided. I would like to know from the Minister if there is a proposal to convert that road into a four-lane road.

श्री नितिन गडकरी: स्पीकर महोदया, यह जो प्रश्न पूछा गया है, उसके अनुसार देश में 51 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको पिछले तीन साल में फोर लेनिंग करने के लिए आदेश हुए हैं। मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि इनमें से 18 प्रोजेक्ट्स को टिर्मिनेट करना पड़ा, जबिक बाकी के प्रोजेक्ट्स की भी हालत ठीक नहीं थी। इसमें मुख्यतः यही कारण थे कि लैंड एक्वीजिशन पूरा नहीं हुआ था। जहां 10 प्रतिशत लैंड एक्वीजिशन हुआ था, वहां वर्क आर्डर दे दिया गया। इसके बाद दो-दो साल, तीन-तीन साल फाइनेंशियल क्लोजर हो गया और वहां प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। फॉरेस्ट एंड एन्वायर्नमेंट के क्लियरेंसेज़ भी नहीं मिले, रेलवे ओवर ब्रिजेज के क्लियरेंसेज़ भी नहीं मिले, कुछ डिफेंस लैंड की प्राब्लम्स थीं और कुछ जगह पर कांट्रैक्टर की इक्विटी का इरोज़न हो गया था।

नयी सरकार आने के बाद हमने इसमें बहुत गित से निर्णय लिए हैं। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि सम्मानीय फॉरेस्ट एंड एन्वायर्नमेंट मिनिस्टर ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने हमारे अनेक प्रोजैक्ट्स को क्लियरेंस दिया है। मैंने रेलवे मंत्री जी को भी अपनी दिक्कतें बतायीं। उनको मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 117 रेलवे ओवर ब्रिजेज में से 40 ओवर ब्रिजेज के प्रपोजल्स पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं।

मुझे विश्वास है कि इसको अब हम टेक-अप करेंगे। इसकी कीमत 62 हजार करोड़ रूपए है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। यह पी.पी.पी. मॉडल में है, जिसमें लोग आगे आए हैं। अब हम ई.पी.सी. मॉडल पर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने यह भी तय किया है कि इसके बाद डामर के रोड़ के बजाए कंक्रीट के रोड़ फोर लेनिंग में निर्माण करेंगे। इस कारण 15 से 20 साल तक इसकी मेंटीनेंस कॉस्ट भी नहीं आएगी। सीमेंट का रेट कांट्रैक्ट भी हम कर रहे हैं।

सम्मानित सदस्य ने चेन्नई की रोड के बारे में कहा है। मैं तिमलनाडु के सभी सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां स्टेट को हमारे साथ जो सहकार्य का एग्रीमेंट करना चाहिए, वह नहीं किया है। इसके कारण हमें लैंड एक्वीजिशन के लिए जगह नहीं मिलती है और इस कारण काफी अड़चनें आती हैं। आप अगर अपने स्टेट में आगे आएंगे तो जैसा मैंने पिछली बार संसद में कहा था कि आपके क्षेत्र में कौन से हाईवे के काम किस कारण प्रलम्बित हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। वह रिकार्ड तैयार हो रहा है। उसकी जानकारी आपके पास आएगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके क्षेत्र में कहीं लैंड एक्वीजिशन की प्रॉब्लम हो, कहीं अतिक्रमण की प्रॉब्लम हो, इन सबमें अगर राज्य सरकार के द्वारा आप सहयोग देंगे तो मेरा विश्वास है कि आपके काम हम निश्चित रूप से करेंगे। चेन्नई के बारे में आपने जो कहा है, उसमें भी लैंड एक्वीजिशन की प्रॉब्लम है। अगर वह काम हो जाता है तो इसकी फोर लेनिंग करने के लिए केन्द्र सरकार तैयार है। हम उस काम को पूरा करेंगे।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam Speaker, all the 34 MPs of our party met the hon. Minister in his office last week and discussed with him the deteriorating condition of the National Highways in Kolkata wherein he mainly appreciated NH-6, NH-34. Just two days back, our Chief Minister was traveling from Kolkata to Raiganj, a distance of about 400 kilometres, which took nine hours to travel on the National Highway. The condition of the road became the lead news on all media in West Bengal that day.

The Minister gave a proposal that either Chief Minister could come to Delhi and he was prepared to discuss with all his officials, or he was prepared to go to Kolkata to discuss with the District Magistrates of those Districts and accordingly he was prepared to proceed. I discussed with the Chief Minister. She told me to write to the Minister a letter saying that she is prepared to meet him according to his convenience any time between 23rd and 29th of this month. I would like to know whether you are going to West Bengal to discuss the wretched condition of the National Highways in the scheduled period.

श्री नितिन गडकरी: स्पीकर महोदया, सम्माननीय सदस्य के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 32 सांसद मुझसे मिले थे। ...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: We are 34 MPs in the Lok Sabha.

श्री नितिन गडकरी: मुझसे 34 सांसद मिले थे, मैंने उनसे डेढ़ घंटे तक डिस्कशन किया। मैंने उनको प्रोजेक्ट-टू-प्रोजेक्ट समस्याएं बताई। यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। देश में रोड्स का काम होना चाहिए, यही सरकार की प्राथमिकता है। मैंने उनको यह कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर चाहती हैं तो

अपने अधिकारियों को ले कर मैं भी कोलकाता आने के लिए तैयार हूं। उनका पत्र मुझे मिला है। मैं पूरी तरह से तैयारी कर के अपने विभाग के अधिकारियों के साथ वहां के काम का इंस्पैक्शन भी करूंगा। उनका पत्र मुझे मिला है। मैं उन्हें डेट्स दे कर उसके अनुसार वहां आऊंगा। मैं आपकी एक-एक समस्या को बैठ कर सॉल्व करूंगा। मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है तो उसके बारे में जो लैंड एक्वीजिशन है, एनक्रोचमेन्ट है, अगर राज्य सरकार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनमें वे सहयोग करेंगी। मुझे लगता है कि इस से मामला निश्चित रूप से हम सुलझा सकेंगे। केन्द्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है और मैं खुद उसके लिए कोलकाता आऊंगा और इसमें निर्णय करूंगा।

SHRI VINCENT H. PALA: Thank you, Madam.

In the reply given by the hon. Minister, it has been stated that 51 projects have been allotted and more than Rs. 62,000 crore have been spent. Out of these works which have been allotted, many of the works have been allotted under SARDP in the North-Eastern region. It has happened in the National Highway 44 which has been allotted two years ago to a contractor, the land has not been allotted 100 per cent to the contractor. When the contractor is not doing the work for the last two years and the Government is not able to maintain the work, the road has become very bad and it is not possible for people to travel from Barak Valley to Tripura. I would like to know what steps the Government is taking to repair the road to ease the traffic congestion so that the people can travel in this road.

श्री नितिन गडकरी: सम्माननीय स्पीकर महोदय, जो बात उन्होंने कही है, वह सच है। मैं पुरानी सरकार पर यह जिम्मेदारी ढकेलने के लिए कोई राजनीति नहीं करना चाहता, पर, जिस प्रकार से लैंड एक्वीजिशन नहीं हुआ, फॉरेस्ट एनवायरन्मेंट क्लीरेंस नहीं हुआ, कोई फारमैलिटी किए बिना वर्क ऑर्डर दिए गए, दो-दो साल, तीन-तीन साल तक बैंकों में फायनैंशियल क्लोजर हुआ और मुझे कहते हुए दुःख होता है कि देश के अनेक कांस्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रैक्शन कंपनियों का दिवाला पिट चुका है, ऐसी स्थिति आयी है। आज स्थिति ऐसी है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर से हाथ जोड़ता हूं कि आप काम करो तो वे बोलते हैं कि हमको भागना है। ऐसे अनेक कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने मुक्ति दी और आखिर काम छुड़वा लिया कि आप एक परसेन्ट पेनल्टी भर कर जाओ, जो 10-10 बार बुला कर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उससे कॉस्ट भी बढ़ी हुई है।

में सम्माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुरानी सरकार ने ही नॉर्थ-ईस्ट के लिए कारपोरेशन बनाने का कैबिनेट निर्णय किया था, उसका आधार ले कर हमने ऐसा कारपोरेशन बनाया है। उसका हेड क्वार्टर हम गुवाहाटी में रखने वाले हैं। नॉर्थ-ईस्ट के लिए हमने 15 हजार करोड़

रुपए के काम मंजूर किए हैं। आपने जिस काम का उल्लेख किया है, उसकी हालत बहुत खराब है। हमने उसको टेम्परेरी रिपेयर्स के लिए भी पैसे एलॉट किए हैं। जल्द से जल्द हम लोग इन कामों की

शुरुआत करेंगे और कन्क्रीट के अच्छे-मजबूत रोड बनाएंगे। इसकी शुरुआत तीन महीने के अंदर होगी,

यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अगले प्रश्न के संदर्भ में भी बहुत से लोग आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप सभी को

बुला कर चर्चा करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगला प्रश्न इसी से संबंधित है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, I would like to ask a question relating to the quality of construction of national highways. यह प्रश्न थोड़ा अलग है। Is it true that as many as 21 highway projects worth more than Rs. 26,000 crore failed to attract bids over the last two years? If so, is the Government going to have a re-look at the MCA, that is, the Model Concession Agreement to address the issue of resolving disputes and cost escalation among others to revive private sector interest in roads sector that was last revised in 2009 in line with the recommendations of the B.K. Chaturvedi Committee? Is the reason why quality construction has got hampered?

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, देश में मुख्य रूप से रोड सैक्टर में जो अड़चनें आईं, इसका कारण है कि जब हमारा जी.डी.पी. 8 प्रतिशत था तब ट्रैफिक डैनसिटी ज्यादा थी, इसलिए इकोनॉमिकल वॉयबिलिटी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा था। जब हमारा जीडीपी 5 प्रतिशत और उससे नीचे आया तो इस सैक्टर पर भी ट्रैफिक डैनसिटी का परिणाम परिलक्षित हुआ, इसलिए पीपीपी मॉडल के प्रयोग में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स टैंडर करते हैं। आज कौन्ट्रैक्टर्स और कम्पनियों की स्थिति अच्छी नहीं है। देश की बड़ी-बड़ी कम्पनियां जैसे एल एंड टी, मैं उन्हें तीन-तीन बार बुलाकर हाथ जोड़ता हूं कि यह दो काम कीजिए तो वे बोलते हैं कि हमें नहीं करना है। ऐसी स्थिति अनेक कौन्ट्रैक्टर्स के बारे में हुई है।...(व्यवधान) मेरा अनुरोध इतना ही है कि 'छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम फिर से नई कहानी।' मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लगभग 80 प्रतिशत प्राब्लमस सॉल्व हुई हैं। फाइनैंस मिनिस्टर ने बजट भी अच्छा दिया है। एन.एच.ए.आई. के पास साल का छ: हजार करोड़ रुपये टोल है। अगर हम ये प्रोजैक्ट्स दो साल में पूरे करेंगे तो हमारा टोल आठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होगा। अगर हम 15 साल के टोल को स्कृटेनाइज़ करेंगे तो हमें एक लाख करोड़ रुपये कोई भी आसानी से दे सकता है।

इसके अलावा हम इन्फ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन इन्वैस्टमैंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें पैसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फॉरेस्ट इनवायरमैंट मिनिस्ट्री में थी, लैंड एक्वीजिशन में प्रॉब्लम थी, डिफैंस लैंड और आर.ओ.बी. में प्रॉब्लम थी और स्टेट में अतिक्रमण की प्रॉब्लम थी। हमने उन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक स्ट्रीमलाइन किया है। इसलिए पी.पी.पी. ह्यें और दो साल सैक्टर बिल्कुल नीचे चला गया है। बैंकों की स्थिति ऐसी है कि कोई बैंक रोड प्रोजैक्ट के लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। कल मैंने बैंकों के कुछ प्रमुख लोगों की मीटिंग बुलाई थी। प्रधान मंत्री जी ने भी मीटिंग बुलाने के बारे में तय किया है। देश में एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये के काम में हमने किस प्रकार मार्ग निकाला है,

इसका प्रैजेंटेशन हम बैंकों के चेयरमैन के सामने करने वाले हैं और उन्हें विश्वास दिलाने वाले हैं कि आपका पैसा सिक्योर है, आप फाइनैंसिंग शुरू कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पी.पी.पी. ह्यॉडल फिर से यशस्वी होगा। जो नहीं हुआ, उसका कारण आर्थिक स्थिति है।

जहां तक क्वालिटी कंट्रोल की बात है, इसमें ज्यादा तकलीफ डी.पी.आर. की है। मेरे पास कई माननीय सदस्यों के पत्र हैं कि 130 किलोमीटर स्पीड हो गई, लेकिन अंडरपास कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वह इकोनॉमिकली वॉयबल नहीं है, ब्रिज कैंसिल कर दिए गए। मैं जयपुर रोड पर था। वहां रोज एक्सीडैंट हो रहे हैं। नासिक में एक कॉलेज के पांच लड़के मर गए। मैंने उन्हें कहा कि लोगों की जान जा रही है, यह अच्छी बात नहीं है। आपको यहां अंडरपास बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाने पड़ेंगे। आपके पास पैसे नहीं हैं तो हम पांच ब्रिजेज कम करेंगे, डिपार्टमैंट से पैसा खर्च करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें सर्विस रोड भी होती है।

...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी: मुझे लगता है कि हमने इसमें भी सुधार किया है। क्वालिटी और सुरक्षा के बारे में भी हमने निर्णय किया है। इसे स्ट्रीमलाइन करने के बारे में शुरुआत भी हो गई है। कंक्रीट रोड आने के कारण क्वालिटी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि आपके सामने जो समस्या है, वह आगे नहीं रहेगी।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My question was relating to dispute redressal mechanism, resolving the disputes and cost-escalation जो डिस्प्यूट होता है, उसमें एम.सी.ए. के बारे में मैंने पूछा था। आपने शायद एक कमेटी बनाई है, लेकिन इसके बारे में आपने सूचना नहीं दी। My second question would be this. A list has been provided by the hon. Minister, citing the complaints that the Government has received and the action that has been taken. इसमें ओड़िसा की दो कमप्लेंट्स - एन.एच.- 5 और एन.एच.- 6 की हैं। एनएच 5 की कमप्लेंट्स वर्ष 2012-13 की हैं। उसमें investigation has been completed; Action Taken Report from RO, NHAI, Ranchi is awaited. We are in 2014. मैं वर्ष 2014-15 की बात नहीं कर रहा हूं। उसका भी एक उल्लेख है।

में यहां एक स्पैसीफिक इंस्टांस देना चाहता हूं। I want to ask a specific question on NH-5 relating to the stretch from Khordha to Balasore via. Bhubaneswar and Cuttack in Orissa, which has been constructed in phases, no doubt, and is very poorly maintained after four-laning has been done. Now, that stretch is getting six-laned. Has any random or any systematic checking is done for the proper maintenance of the National Highways when toll tax is being collected or is it

the normal recurring allocation for repair that looks after the maintenance?I would specifically like to know about the stretch of NH-5 from Khurda to Balasore.

श्री नितिन गडकरी: माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है, उस बारे में रिपोर्ट आयी है और उस पर कार्यवाही लंबित है। उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इन्होंने दूसरी बात कही तो उसमें एक प्रोविजन था कि 75 परसेंट वर्क पूरा होने के बाद पी.पी.पी. ह्मॉडल में सी.ओ.डी. मिल जाता था। एक प्रश्न और है, जो पुरानी सरकार की नीति में था कि टोल लेने और कीमत वसूल करने के बाद भी 40 परसेंट अमाउंट को मेनटेन करने के लिए टोल लिया जाता था। बहुत सारे सम्माननीय सदस्यों ने इसमें तकरार की है। मेरे डिपार्टमैंट ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि जिसकी कीमत वसूल हुई है, उसका टोल हम बंद करेंगे और 75 परसेंट की बजाय 100 परसेंट काम पूरा किये बिना टोल की अनुमित नहीं देंगे।

तीसरी बात क्वालिटी के बारे में है। इसका कारण यह है कि वे अधूरा काम छोड़ देते हैं, सर्विस रोड छोड़ देते हैं और 75 परसेंट काम करके टोल लेना शुरू कर देते हैं। पुरानी सरकार के ये नीतिगत फैसले थे। इसमें भी हम सुधार कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास रोड के बारे में जो 31 तकरारें आयी थीं, उन सबकी लगभग इंक्वायरी की गयी है। जो कांट्रैक्टर्स अच्छा काम नहीं करेगा, उस पर सरकार और डिपार्टमेंट की ओर से कठोर कार्रवाई की जायेगी।

श्री नन्दी एल्लेया : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी रेलवे की जितनी भी लैंड है, जस्ट लाइक साउथ सैंट्रल रेलवे लाइन, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि रेलवे फ्लाईओवर में बहुत सारी लैंड वेस्ट पड़ी हुई है, जहां अलग-अलग वीकर सैक्शन्स के लोग रहते हैं। श्री सदानन्द गौड़ा जी हंसमुख मंत्री हैं, वे सदा हंसते रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि साउथ सैंट्रल रेलवे में जो वेस्ट लैंड ...(व्यवधान) कमर्शियल लैंड पड़ी है, उसे आप डिस्पोज ऑफ कीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नन्दी एल्लैया जी, आप दूसरा प्रश्न न पूछकर नैशनल हाईवे के बारे में प्रश्न पूछिये। ...(व्यवधान)

श्री नन्दी एल्लेया : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी रेलवे का प्रश्न नहीं चल रहा।

...(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA SINGH: Madam, Speaker, I would like to know from the hon. Minister, when the quality of work is found sub-standard on investigation, do we take action against the independent consultant or not and if the action is to be taken how many actions have been taken so far.

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, इसमें इंडीपेंडेंट इंजीनियर प्रोजैक्ट मैनेजमैंट कंसल्टेंट जैसा काम करता है। ...(व्यवधान)

SHRI NAGENDRA SINGH: You appoint an independent consultant for every project. The independent consultant supervises the work.... (*Interruptions*)

SHRI NITIN GADKARI: Sir, we do not have a system of appointing independent consultant. We have a system of having an independent engineer and he works in the same way the consultant works.

SHRI NAGENDRA SINGH: In the answer you have mentioned independent consultant.

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप हैड फोन लगा लेंगे, तो आपको अच्छे से सुनाई देगा।
...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी: सम्माननीय स्पीकर महोदया, इसमें जब रोड का काम होता है, तो उसके ऊपर कंसल्टेंट या इंजीनियर, इसे आप दोनों ही फ्रेज में यूज कीजिए, वह क्वालिटी कंट्रोल को चैक करते हैं। अभी हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। मुम्बई-पूना एक्सप्रैस हाईवे जब मुझे बनाने का सौभाग्य मिला, तो उसमें हम प्रोजैक्ट मैनेजमैंट कंसल्टेंसी का एक कन्सैप्ट लाये थे, जिसमें लैंड एक्वीजिशन से लेकर प्रौजैक्ट डिजाइनिंग और डी.पी.आर. बनाने तक एक ही एजैंसी काम और सुपरविज़न करती थी। उस सिस्टम को हम लांच कर रहे हैं। उसमें क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और काम भी अच्छा होगा। एन.एच.ए.आई. ह्यें प्रॉब्लम्स क्वालिटी से ज्यादा डी.पी.आर. के डिजाइनिंग पर हुई हैं, जैसे कई जगह पर ब्रिज की जरूरत है, लेकिन वहां ब्रिज नहीं रखे गये। कई जगह अंडरपास चाहिए तो वहां वे नहीं दिये गये। गांवों में सिर्फ रोड की विडथ बढ़ा दी, रोड़स अच्छे कर दिये, जिससे स्पीड बढ़ गयी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं किये गये। इस कारण वहां एक्सीडैंट्स ज्यादा होने लगे। मुझे लगता है कि क्वालिटी से ज्यादा सुरक्षा के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। फिर भी क्वालिटी के बारे में, जैसा मैंने सम्माननीय सदस्य महोदय को जवाब देते हुए कहा कि जितनी भी हमारे पास कम्पलेंट्स आयी हैं, उनके ऊपर हमने कार्रवाई की है। क्वालिटी के बारे में, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके बाद सीमेंट कंक्रीट के जो रोड्स बनेंगे, उन्हें 50 साल तक कुछ नहीं होगा। आपको इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रोड्स मजबूत बनेंगे और उसके ऊपर हम बिट्रिमनस सरफेसिंग करेंगे तो इससे रोड्स की क्वालिटी सुधरेगी। इसमें कोई अड़चन नहीं आयेगी।

DR. SHASHI THAROOR: As the Minister himself has observed, the question of quality of construction is often linked to the willingness of contractors to do an adequate job, but the policy of the Government in this regard also plays a part. I will be curious if the Minister is able to share with us now or later any

14.08.2014 26

figures on the number of national highways that have been successfully built on the BOT basis *versus* the number that are built on an EPC basis. I would like to know whether a number of these BOT tenders have failed because of the unwillingness of the contractors to bid as you indicated in your reply to Mr. Mahtab's question.आपने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, will you be willing to abandon the BOT model in order to go for the EPC model? I am asking this question because in my Constituency, there is a national highway bypass and people have been waiting for 40 years since the stone was first laid. We finally got everything done. Land acquisition had already been completed, tenders were issued but no contractors bid for it because of BOT model.

So, given that, will the Minister be able to propose a different approach so that we can actually help our people who are waiting for this highway?

श्री नितिन गडकरी: मैडम, खासकर फोर-लेन के जो टोटल प्रोजेक्ट्स थे, उनमें से 62 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स फोर-लेन के लिए दिये गये थे, ऐसे प्रोजेक्ट्स 51 थे। 51 प्रोजेक्ट्स में से, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों तरफ से गलतियाँ थीं, इसलिए उन पर हमने एक प्रतिशत पेनल्टी लगाकर शेक-हैंड किया और उस समस्या का समाधान किया। इस तरीके से समस्या का समाधान करने का कारण यह था कि यदि हम लोग कोर्ट में जाते, तो और तीन-चार वर्ष लग जाते। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अनेक मामले फंसे हुए हैं। हमारी एप्रोच यह है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, समस्या का समाधान करें और जनता को जल्दी रोड की सुविधा दें। कुछ स्थानों पर मामले कोर्ट के विचाराधीन हैं, इस कारण हम वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं पिछली बार यह बताना भूल गया था। एन.एच.ए.आई. के चेयरमैन ने आपस में विचार-विमर्श करके एक कमेटी बनायी है। उस कमेटी ने अनेक मामलों में रास्ता निकालकर कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने प्रोब्लम्स सॉल्व की हैं। आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, आज मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस संबंध में मीटिंग बुलाकर, जो आपकी त्रिवेंद्रम बाईपास की समस्या है, उसे निश्चित रूप से सॉल्व किया जाएगा।

डॉ. शशि थरूर: आप उस रोड के कार्य को ई.पी.सी. में करवा दीजिए।

श्री नितिन गडकरी : यदि वह पी.पी.पी. में नहीं होगा, तो उसे कंवर्ट करवाकर ई.पी.सी. में करवा दूँगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदया, इस दुनिया में यदि अमेरिका की तरफ देखा जाए, जो दुनिया में सबसे विकसित देश है, तो वहाँ रोड नेटवर्क के कारण ही विकास की शुरुआत हुई और उनके जी.डी.पी. ह्यें ग्रोथ हुआ। इसी प्रकार से हमने भारत में भी अपनी परियोजनाएँ शुरू कीं और इसका विज़न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से आया, जब हमने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, नॉर्थ-साउथ

और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का कार्य शुरू किया था। उसके बाद दस वर्षों तक विस्तार का कार्य रुका रहा। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल यह है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारे स्थानों पर इनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रोब्लम है, एक्विजीशन की प्रोब्लम है, इन कारणों से कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य बाधित रहा, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं, जहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है, फिर भी जो कांट्रैक्टर है, उसने कार्य पूरा नहीं किया, जैसे हाजीपुर से छपरा का कार्य है। यदि कोई भी फोर-लेन बनता है, तो कहीं से वह जुड़ता है। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति है कि जो रोड हाजीपुर से छपरा जाती है, वह बीच में ही समाप्त हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस रोड को आगे सिवान और गोपालगंज से जोड़ने का विचार है या नहीं? क्योंकि, इस प्रकार से फोर-लेन किसी डेड-एंड पर जाकर समाप्त हो जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने चर्चा की थी कि सड़क परिवहन का जो मामला है, इसमें बहुत सारी कॉमन सर्विसेज़ हैं- टेलिकॉम सर्विस है, बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज़ हैं, इस संबंध में आने वाले दिनों में कोई राजस्व उगाही का विज़न है, जिसके आधार पर सड़क यातायात में टोल के अतिरिक्त राजस्व उगाही कर सकें और कॉमन सर्विसेज़, जो रोड के किनारे दुनिया भर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट होते हैं, क्या माननीय मंत्री जी का सड़क निर्माण में इस प्रकार के प्रावधान के बारे में कोई विचार है? यह मैं जानना चाहूँगा।

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हमने ऑलरेडी ऑप्टिक फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, ड्रिंकिंग वाटर पाइप लाइन और ट्रांसिमशन लाइन के प्रपोज़ल पर अध्ययन शुरू किया है। एक कंपनी ने हमारी जगह, रोड के विड्थ को बढ़ाकर, आयरन-ओर को सिरये के रूप में बनाकर उसे पाइप लाइन से देने के लिए मांगी है। यह बात सच है कि यह भी इनकम का एक अच्छा साधन हो सकता है। जब वर्ष 1996 में मुम्बई-पूना एक्सप्रैस हाईवे पर ऑप्टिक केबल के लिए पाइप डाला गया था, तो उस समय आई.टी. का इतना विकास नहीं हुआ था। आज उसके कारण महाराष्ट्र सरकार को 26 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। आलरेडी हमने इसका निर्णय किया है कि इन सब सर्विसेंज को हम नेशनल हाइवेज में करेंगे। देश में ट्रांसिमशन लाइन की बहुत बड़ी प्राब्लम है और लैण्ड एक्वीजिशन के कारण ट्रांसिमशन का काम नहीं होता। सम्माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ मेरी दो मीटिंग्स हुई हैं, पर जो बड़े-बड़े टावर्स बनते हैं, वैसे टावर्स नेशनल हाइवेज पर बनाना संभव नहीं है। इसलिए लेटैस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अंडरग्राउण्ड केबल या उनके उपर से कम जगह में क्या हम ट्रांसिमशन लाइन ले जा सकते हैं, हम इसका भी अध्ययन कर रहे हैं तािक देश को इसका फायदा हो। हमारे पास टोटल नेशनल हाइवेज की लेंथ 94,567 किलोमीटर्स, स्टेट हाइवेज की 1,40,701 किलोमीटर्स और अदर रोड़स की 46,29,462 किलोमीटर है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार थी, तब मुझे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय महामार्गों को फोरलेन करने की योजना लागू करने का सौभाग्य मिला। आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पहली बार रोड्स को काफी प्रायरिटी मिली और उन्होंने हमें दिशा दी। उसके आधार पर इस बार प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग रोड सेक्टर को हाइएस्ट प्रायरिटी देंगे और इस पर निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा काम होगा।

आपने जो सुझाव दिया है, मैंने आलरेडी पांच राज्यों के संसद सदस्यों के साथ उनकी प्राब्लम्स की चर्चा करके मामले निपटाने की कोशिश की है। आपके यहां जो रोड आगे ले जानी है, उसको हम जरूर अनुमित देंगे, क्योंकि, मैं पहले कह चुका हूं कि अब हमारे पास पैसे की कंस्ट्रेंट नहीं है, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट हैं - एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, लैण्ड एक्वीजिशन, डिफेंस लैण्ड, रेलवे ब्रिज आदि की है। उनको बहुत अच्छे तरीके से जावड़ेकर जी ने और सदानंद गौड़ा जी ने सॉल्व कर दिया है। रेलवे ने भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। मुझे विश्वास है कि जो हिस्ट्री है, वह बदलेगी और काम को गित मिलेगी। मैंने जो एक दिन में 30 किलोमीटर सड़क बनाने का टारगेट तय किया है, वह बहुत एम्बिशियस है। यह टारगेट हम पूरा करने की एम्बिशन रख रहे हैं। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है कि जुलाई महीने में एक किलोमीटर भी हमने एड नहीं किया है। मुझे निश्चित रूप से यह अच्छी बात नहीं लगती है, लेकिन जिस प्रकार से अभी बेस-वर्क हो रहा है, आने वाले समय में, दो साल के बाद यह परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: चलिए, अब रोड के बाद थोड़ा पानी के बारे में भी सोचें।

SHRI ARVIND SAWANT: Madam, Shri Nitin Gadkari *saab* is known as 'Road-kari' and so he will definitely make roads.

माननीय अध्यक्ष: अब पानी के मार्ग भी बनाएंगे।

SHRI P. NAGARAJAN: Madam Speaker, with the blessing of my Chief Minister of Tamil Nadu, Amma, I would like to submit that the National Waterway 4 (NW 4) is a 1,095 kilometres long waterway in India. The Buckingham Canal is a part of National Waterway 4 in two parts. The first is the North Buckingham Canal covering a stretch of 316 kilometres from Pedaganjam to Chennai and the second is the South Buckingham Canal covering a stretch of 110 kilometers from Chennai to Marakanam. It had been declared as an Indian National Waterway on 24 November, 2008 under the provisions of the National Waterways Bill, 2006 with a target to complete the project by 2013.

I would like to know from the hon. Minister as to why the development work in National Waterways 4 has not been completed in the target period and what is the reason for not completing the project on time.

श्री नितिन गडकरी: सम्मानीय अध्यक्ष महोदया, यह रोड सेक्टर से भी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। जब हम वाटरवेज़ से जाते हैं तो 50 पैसे खर्च आता है, जब रोड से जाते हैं तो डेढ़ रुपये खर्च आता है और जब रेलवे से जाते हैं तो एक रुपये खर्च आता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: सर, हवाई जहाज से कितना खर्च आता है?

श्री नितिन गडकरी: हवाई जहाज से जाने पर इससे कई गुना ज्यादा खर्च आता है। यह खर्च 1:3 है। इस क्षेत्र की तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। पहली बार हमारी सरकार ने इलाहाबाद से लेकर हिल्दिया तक इनलैण्ड वाटरवेज़ के लिए काम शुरू किया है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : कौन कहता है कि ध्यान नहीं दिया गया?...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, I am sorry this is not allowed.

Hon. Minister, you may kindly address the Chair. इनको आदत है ऐसा करने की।

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संसद ने जिन वाटरवेज़ को मान्यता दी है, उन वाटरवेज़ के बारे में हमने अध्ययन करना आलरेडी शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि एक दीर्घकालीन प्लान तैयार करें, जिसे हमने जलमार्ग योजना के रूप में स्वीकार करने की प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना की है और यह प्रपोजल उनके पास भेज रहे हैं। माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ जगह पर जहां नदियां बहती हैं,

वहां ड्राप्ट 1.5 मीटर है, कहीं दो या तीन मीटर है। जहां हमें थ्री मीटर का ड्राप्ट मिलेगा, तो हम लोग 10,000 टन का शिप उसमें से ले जा सकते हैं। इसलिए हमने विश्व बैंक और इंटरनेशनल कंसलटेंट की सलाह से यह तय किया है कि 45 मीटर विड्थ होगी, उसमें इंटरनेशनल कंसलटेंट का कहना है कि वह 80 मीटर रखें और पांच मीटर ड्राप्ट की जगह, तीन मीटर का न्यूनतम रखें। जैसे एयरपोर्ट्स है, वैसे ही वाटरपोर्ट बनाएंगे। वहां टर्मिनल बनाकर पैसेंजर्स और गुड्स के लिए उसका उपयोग करेंगे। जिसका जहां आलरेडी ड्राप्ट अच्छा है, जैसे केरल में बैक वाटर है, वहां ड्राप्ट अच्छा है। पटना से आगे जाएंगे तो कोलकाता और हिन्दिया की तरफ जाते हैं, वहां ड्राप्ट अच्छा है। हम वहां तुरंत सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। हिन्दिया से नार्थ-ईस्ट की तरफ जाने के लिए भी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। केरल में भी जहां अच्छा ड्राप्ट है, वहां भी कर रहे हैं। 'रो-रो' सर्विस भी हम शुरू कर रहे हैं। मैडम, आपको पता होगा कि हमारे यहां ट्रक से गाड़ियां चेन्नई से दिल्ली आती हैं और दिल्ली में बनी गाड़ियां चेन्नई जाती हैं। हमने कहा कि जैसे कोंकण रेलवे ने शुरू किया है, एक ही जहाज में 150 ट्रक आएंगे, वे ट्रक मूंदड़ा पोर्ट पर उतर जाएंगे। वे ट्रक बाहर आ जाएंगे और दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली के ट्रक जहांज के अंदर आकर चेन्नई चले जाएंगे। इसका भी टेंडर हमने निकाला है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इसे प्राथमिकता देंगे और जो इनकी अपेक्षा है, वह पूरी करेंगे।

SHRI P. NAGARAJAN: My second supplementary is this. Honourable Amma has taken steps to construct a flood protection wall for a distance of 1.1 kilometre near Swami Vivekananda Salai, Wallajah Road and Greenways. Further, a six-Member Committee under the Chairmanship of Shri Rajendra K. Pauchori has been appointed in 2008 by the UPA Government to look into the execution of Sethu Samudram Canal Project. That Committee has given its Report in 2013 with its opinion that it is not viable both from economical and ecological angles. Our honourable Puratchi Thalaivi Amma, since the beginning itself, has opposed this project as it is not viable, it is not going to serve the people in any way and does not want to waste public money in such a way as this project severely affects the livelihood of fishermen. Even after the protest of our honourable Amma, the former Minister, Shri T.R. Baalu has wasted a lot of money in this project. What was the reason behind it?

I want to know from the hon. Minister the stand of the Government in this regard and whether any protest has been received from any individual or organization or any other political party on the Sethu Samudram Project.

श्री नितिन गडकरी: मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि कुछ राज्यों में हमारी प्राब्लम ऐसी है कि पुरानी रूलिंग पार्टी अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो जब नई पार्टी सत्ता में आती है, वह उसे बंद कर देती है और फिर इनके द्वारा शुरू किए हुए प्रोजेक्ट को नई सरकार बनती है, वह बंद कर देती है। इस कारण कई जगह काफी अड़चनें आती हैं। आपने जो कहा है, वह प्रोटेस्ट मुझे मिला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राजनीति और बाकी बातों को साइड में रखकर आप हमें अड़चनें बताइए। हम शिपिंग सेक्टर में, इनलैंड वाटरवेज में, रोड सेक्टर में जितना इम्प्लायमेंट क्रिएट करेंगे, जितना काम खड़ा करेंगे, उतना ही जीडीपी बढ़ेगा और देश का विकास होगा। जहां किसी का नुकसान होगा, वह काम हम नहीं करेंगे। मैं तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करूंगा और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि मुझे आपकी तीनों रिपोर्ट्स मिली हैं। सरकार उन्हें रिजेक्ट करने के बजाए, कोई फिशरमेन का नुकसान नहीं होगा, हम उसमें से कोई मार्ग निकालने के लिए प्रदेश सरकार से बात करेंगे और आपकी सलाह से मार्ग निकालेंगे। लेकिन डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आप सहयोग करें, यही मैं आपसे और सभी तिमलनाडु के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Should we understand that the Government is in favour of Sethu Samudram Project?

माननीय अध्यक्ष: सेतु समुद्रम् एक अलग विषय है।

श्री नितिन गडकरी: मैडम, सेतु समुद्रम् का मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब-जुडिस है। इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने उसका प्रेजेंटेशन लिया है। इसी महीने में चार वैकल्पिक प्रेजेंटेशन मेरे सामने प्रस्तुत किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अल्टरनेटिव सुझाव है। एक और अल्टरनेटिव के बारे में इन्वायरन्मेंट के बारे में कुछ अड़चनें आई थीं। तीसरा अल्टरनेटिव आज सामने आया है। जहां तक हमारी सरकार की भूमिका है, हम किसी भी हालत में, जिसे हम राम सेतु मानते हैं, नहीं तोड़ेंगे। इस बारे में हमारी सरकार की भूमिका साफ है। राम सेतु को बचाकर देश हित में कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, तो वह पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। मैं इसी महीने के अंत में वहां जा रहा हूं, मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से यह मामला निपट जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से ऐसा सोल्यूशन सब्मिट करेंगे, जो सबको मान्य होगा और उसमें से मार्ग निकलेगा।

12.00 hrs

HON. SPEAKER: Shri P.R. Sundaram. Please ask a short question. Time is up. SHRI P.R. SUNDARAM: Madam Speaker, thank you.

The national waterway is being developed by the Inland Waterways Authority of India and is scheduled for completion in 2013. I want to know from the hon. Minister as to why the Planning Commission has not implemented the project commercially under the Public Private Partnership in

National Waterways 4 and 5. In what way does the Government develop these Waterways through Budgetary Support in a phased manner? When will this

project be completed?

श्री नितिन गडकरी: मैडम, इनलैंड वाटरवेज में फॉरेन इंवैस्टमेंट आ सकती है। बहुत सी कंपनियों ने 2

परसेंट, 3 परसेंट पर ड्रेजिंग का काम करने के बारे में ऑफर दी है और हम कोई भी काम टैंडर प्रौसेस

के सिवाए नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। उमा जी के नेतृत्व में जो गंगा का अभियान शुरू है, उस

अभियान में भी हम पहले साफ-सफाई, अविरल निर्मल गंगा का काम करने के बाद फिर इस काम को

हाथ लगाएंगे और इसमें जो पब्लिक-प्राइवेट इंवैस्टमेंट आती है तो निश्चित रूप से उनको एनक्रेज

करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक ने हमें 4250 करोड़ रुपये का लोन इस प्रोजैक्ट के लिए

लगभग प्रिंसिपली एक्सैप्ट किया है और मेरा विश्वास है कि इसमें फॉरेन इंवैस्टमेंट भी आयेगी, डिफर-

पेमेंट में भी काम आयेगा, एन्युटी भी आयेगी और लो-इंट्रेस्ट पर अगर फॉरेन-इंवैस्टमेंट आयेगी, तो

हमारा इनलैंड वाटरवेज का काम हम डिवेलप कर पायेंगे और इसके लिए केवल ये 6 इनलैंड वाटरवेज

नहीं। तो पूरे देश में चाहे कृष्णा हो, चाहे वैन-गंगा हो, जितनी निदयां हैं, उनके बारे में भी हम नीति

बना रहे हैं और वह नीति लेकर हम पार्लियामेंट के सामने आयेंगे।

श्री गणेश सिंह : अध्यक्षा जी, मंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें आप बधाई तो दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप दे दीजिए।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the 50th Report (Hindi and English versions) of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period from July, 2012 to June, 2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 756/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (DR. SANJEEV BALYAN): On behalf of Shri Radha Mohan Singh, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Review* (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for the year 2013-2014.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 757/16/14]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2012-2013.

_

^{*} The Annual Report was laid on 5.8.2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 758/16/14]

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Indian Red Cross Society for the year 2012-2013 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

[Placed in Library. See No. LT 759/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्षा जी, मैं हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library. See No. LT 760/16/14]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): श्री पीयूष गोयल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे-
 - (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2014 जो 21 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/94/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे ।
 - (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (पहला संशोधन) विनियम, 2014 जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/13/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library. See No. LT 761/16/14]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्निलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे-

(एक) अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013-सीईआरसी-पीटी. जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (पथान्तर समाधान तंत्र और सम्बद्ध मामले) विनियम, 2013 से संबंधित 6 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/132/2013-सीईआरसी (क्रम सं. 06) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(दो) अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी-पीटी. जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें (भारतीय विद्युत ग्रिंड संहिता) विनियम, 2010 से संबंधित 7 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी (क्रम सं. 08) का शृद्धिपत्र दिया हुआ है।

[Placed in Library. See No. LT 762/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MANOJ SINHA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2012-2013.
- (ii) Annual Report of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. LT 763/16/14]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नितिन गडकरी): श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 1234(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कासरगौड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (दो) का.आ. 1235(अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तीन) का.आ. 71(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 505(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ. 825(अ) जो 25 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेइनेज) (ओचिरा-तिरुवनंतपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पाँच) का.आ.1113(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छह) का.आ. 1238 (अ) जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कर्नाटक सीमा से कन्नूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सात) का.आ. 140(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (बंगलौर-चेन्नई एक्सप्रेसवे खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला राजस्व अधिकारी, वेल्लोर को भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 95(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (नौ) का.आ. 843(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (मदुरै-परमकुडी-रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (दस) का.आ. 1276(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

- तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (ग्यारह) का.आ. 2174(अ) जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (तंबरम-चेंगलपट्टु-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बारह) का.आ. 1370(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (प्रोजेक्ट चेनेज) (तिरूवनंतपुरम-केरल/तिमलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (तेरह) का.आ. 2450(अ) जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (चौदह) का.आ. 2769(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5(विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पन्द्रह) का.आ. 2772(अ) जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5(विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सोलह) का.आ. 2853 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कोझीकोड खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सत्रह) का.आ. 1489(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (अठारह) का.आ. 909(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (उन्नीस) का.आ. 977(अ) जो 17 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(बीस) का.आ. 157(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (फेज-एक) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (इक्कीस) का.आ. 2594(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (बाईस) का.आ. 6(अ) जो 1 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुरै खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (तेईस) का.आ. 127(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (चौबीस) का.आ. 1169(अ) जो 8 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल-थेनी-कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पच्चीस) का.आ. 62(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (टिंडीवनम से कृष्णागिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छब्बीस) का.आ. 27(अ) जो 6 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुनामल्ले-वालाजाहपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सत्ताईस) का.आ. 1160(अ) जो 6 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 विस्तार के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, थेनी जिले को भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।
- (अठ्ठाईस) का.आ. 132(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (तम्बरम-चेंगलपट्टु-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(उनतीस) का.आ. 16(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (तीस) का.आ. 2094(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (इकतीस) का.आ. 18(अ) जो 3 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (प्रोजेक्ट चेनेज) (डिंडीगुल-थेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (बत्तीस) का.आ. 2738(अ) जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित) (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (तैंतीस) का.आ. 3231(अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (चौंतीस) का.आ. 3037(अ) जो 8 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पैंतीस) का.आ. 3232(अ) जो 23 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छत्तीस) का.आ. 3263(अ) जो 28 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सैंतीस) का.आ. 2952(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विकरावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (अड़तीस) का.आ. 2572(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (उनतालीस) का.आ. 1287(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (चालीस) का.आ. 2574(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादिगरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (इकतालीस) का.आ. 75(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता कॉरीडोर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (बयालीस) का.आ. 1538(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद-यादिगरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (तैंतालीस) का.आ. 1759(अ) जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरूपित-आंध्र प्रदेश/तिमलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
 - (चवालीस) का.आ. 66(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 643(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (पैतालीस) का.आ. 2100(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 813(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (छियालीस) का.आ. 3044(अ) जो 8 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1668(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैतालीस) का.आ. 118(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (अड़तालीस) का.आ. 2175(अ) जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता कॉरीडोर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उड़नचास) का.आ. 833(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
 - (पचास) का.आ. 2451(अ) जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (इक्यावन) का.आ. 1889(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकलुरीपेट-रूद्रकोटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
 - (बावन) का.आ. 531(अ) जो 25 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति-आंध्र प्रदेश/तिमलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (तरेपन) का.आ. 989(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नूति-आलुवा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
 - (चौवन) का.आ. 3115(अ) जो 17 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
 - (पचपन) का.आ. 2570(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

14.08.2014 42

(छप्पन) का.आ. 923(अ) जो 3 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (सत्तावन) का.आ. 1704(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठ्ठावन) का.आ. 2022(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उनसठ) का.आ. 2519(अ) जो 21 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
 - (साठ) का.आ. 1285(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुंडुगोलानु-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (इकसठ) का.आ. 2573(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बासठ) का.आ. 1281(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तरेसठ) का.आ. 305(अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तिमलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (नागपिटनम-तंजावुर-त्रिची-करूर-कोयम्बटूर-मेट्टुपलायम-तिमलनाडु/कर्नाटक सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है ।
- (चौसठ) का.आ. 476(अ) जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पैसठ) का.आ. 609(अ) जो 1 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

- (छियासठ) का.आ. 649(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर और पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सड़सठ) का.आ. 650(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (अड़सठ) का.आ. 651(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (उनहत्तर) का.आ. 719(अ) जो 7 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है ।
 - (सत्तर) का.आ. 738(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिरयाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (पंजाब/हिरयाणा सीमा-जिंद-रोहतक खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (इकहत्तर) का.आ. 754(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 835(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (बहत्तर) का.आ. 895(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
 - (तिहत्तर) का.आ. 896(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 84 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौहत्तर) का.आ. 897(अ) जो 26 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 (आगरा-अलीगढ़) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

- (पिचहत्तर) का.आ. 964(अ) जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 485(अ) को निरस्त किया गया है।
- (छिहत्तर) का.आ. 1729(अ) जो 10 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 926(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सतहत्तर) का.आ. 2960(अ) जो 30 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2013(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठहत्तर) का.आ. 3820(अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (उन्नासी) का.आ. 3821(अ) जो 27 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (अस्सी) का.आ. 252(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुंभकोनम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यासी) का.आ. 53(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चेनगलपट्ट-वालायार खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
 - (बयासी) का.आ. 58(अ) जो 9 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुद्दानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तिरासी) का.आ. 253(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library. See No. LT 764/16/14]

14.08.2014 45

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (मकान किराया भत्ता तथा पट्टाधृत आवास) विनियम, 1997 जो 23 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/14026/10/2013-एडिमन. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 765/16/14]

- (3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -
 - (एक) सा.का.नि. 244(अ) जो 1 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचिन पत्तन कर्मचारी (आचार) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया था ।
 - (दो) सा.का.नि. 295(अ) जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगांव पत्तन कर्मचारी (पेंशन निधि) संशोधन विनियम, 2014 को अनुमोदित किया गया था ।
 - (तीन) सा.का.नि. 309(अ) जो 5 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नित) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया था ।
 - (चार) सा.का.नि. 775(अ) जो 12 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2013 को अनुमोदित किया गया था ।

[Placed in Library. See No. LT 766/16/14]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): अध्यक्षा जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 767/16/14]

(2) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्वरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 768/16/14]

HON. SPEAKER: Shri Sudarshan Bhagat – not present.

12.03 hrs

FINANCIAL COMMITTEES A Review

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table a copy each in Hindi and English version of the "Financial Committees (2013-14) – A Review".

12.03 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Scheme of Multi-Sectoral Development Programme', pertaining to the Ministry of Minority Affairs*

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (DR. NAJMA A. HEPTULLA): Hon. Speaker, I beg to lay a Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Scheme of Multi-sectoral Development Programme', pertaining to the Ministry of Minority Affairs.

12.0<u>4 hrs</u>

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Labour on 'Welfare of Small Weavers of Mau and Adjoining Area – A Case Study', pertaining to the Ministry of Textiles**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Hon. Speaker, I beg to lay a Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 38th Report of the Standing Committee on Labour on 'Welfare of Small Weavers of Mau and Adjoining Area – A Case Study', pertaining to the Ministry of Textiles.

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 773/16/14

^{**} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 774/16/14

12.04 ½ hrs

(ii) (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 30th and 37th Reports of the Standing Committee on Energy on 'Functioning of Central Electricity Regulatory Commission' and 'Development of National Grid' respectively, pertaining to the Ministry of Power.*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): On behalf of Shri Piyush Goyal, I beg to lay the following Statements regarding:-

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Energy on 'Functioning of Central Electricity Regulatory Commission', pertaining to the Ministry of Power.
- the status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Energy on 'Development of National Grid', pertaining to the Ministry of Power.

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 775/16/14 and LT 776/16/14.

12.05 hrs

CENTRAL UNIVERSITES (AMENDMENT) BILL, 2014*

HON. SPEAKER: Item No.15. Shrimati Smriti Irani.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Universities Act, 2009."

The motion was adopted.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I introduce** the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 14.08.2014

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि अप्रेंटिसिस बिल अभी ले लिया जाए और पूरा कर लिया जाए। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी दो बजे सदन में आएंगे, तब 193 के अंतर्गत चर्चा का उत्तर देंगे। तब तक अप्रेंटिसिस बिल पूरा भी हो जाएगा। आज अगर लंच न भी किया जाए, तो मैं समझता हूं कि सदस्यों को कोई आपित नहीं होगी। ... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is the hurry in passing the Apprentices Bill. ... (*Interruptions*)

12.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

... (Interruptions)

(i) Need to set up Divisional Office of Railways in Surat, Gujarat

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): भारतीय रेलवे के स्टेशनों में सूरत (गुजरात) स्टेशन का नाम रेलवे मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड क्लास स्टेशनों में घोषित किया गया है। पश्चिम रेलवे में सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाले पहले पांच स्टेशनों में सूरत का समावेश होता है। साल की तकरीबन 150 करोड़ से ज्यादा की आमदनी रेलवे को सूरत स्टेशन से प्राप्त होती है। सूरत शहर की जनसंख्या 60 लाख से ज्यादा है यहां भारत देश की सबसे ज्यादा कपड़े की 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मार्केट हैं जहां व्यापार हेतु देश एवं दुनिया से सैकड़ों व्यापारी आते-जाते हैं।

कपड़ा उद्योग के अलावा सूरत में 5000 से ज्यादा छोटी एवं सबसे बड़ी मात्रा में डायमंड की फैक्ट्रियां हैं। इस कारण लाखों व्यापारियों का सूरत आना-जाना रहता है एवं सूरत में हजीरा विस्तार में कृभको, एस्सार, रिलायंस, एन.टी.पी.सी., अदाणी, ओ.एन.जी.सी. जैसे देश की बड़ी औद्योगिक कंपनियां कार्यरत हैं। इसके कारण इस कंपनी में आने-जाने वाले हजारों की संख्या में यात्री रेलवे में यात्रा करके रेलवे तंत्र को आमदनी दे रहे हैं। इसके अलावा कंपनियों के लिए हर रोज कई गुड्स एवं पार्सल ट्रेनें दौड़ती है। इसके द्वारा भी बहुत सी आमदनी सूरत स्टेशन के द्वारा रेलवे तंत्र को मिलती है। सूरत शहर में उधना स्टेशन से जलगांव, भुसावल की ओर ताप्ती लाइन जाती है। यह रेलवे लाइन मद्रास एवं जगन्नाथपुरी तक भी जाती है।

सूरत रेलवे स्टेशन में डिवीजनल ऑफिस न होने के कारण छोटी से छोटी समस्या के लिए 250 किमी. दूर मुम्बई सेन्ट्रल डिवीजन से मांग करनी पड़ती है जिसमें कई बार बिना वजह कुछ मांगों के लिए महीनों एवं सालों लग जाते हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सूरत से हर रोज लगभग 1,20,000 से ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है एवं 38000 से ज्यादा करंट टिकट की बिक्री एवं 10000 से ज्यादा रिवर्ज टिकट की बिक्री होती है।

^{*} Treated as laid on the Table.

पश्चिम रेलवे में सूरत से अधिक छोटे स्टेशनों पर डिवीजनल ऑफिस कई वर्षों से है जो रेवेन्यू, जनसंख्या एवं विकास की दृष्टि से भी सूरत से कई गुना पीछे हैं एवं डी.आर.एम. ऑफिस शुरू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह सूरत में उपलब्ध है।

सूरत की रेवेन्यू, जनसंख्या एवं विकास नजर में रखते हुए सूरत स्टेशन को डिवीजनल ऑफिस जल्द दी जाए, ऐसी प्रार्थना है ।

(ii) Need to run a direct train between Bulandshahr (Uttar Pradesh) and Delhi and provide stoppage of various other trains running from Delhi to Kanpur, Allahabad and Lucknow at Bulandshahr Railway Station

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): मैं सरकार का ध्यान अपनी लोक सभा बुलंदशहर (उ.प्र.) की ओर दिलाना चाहता हूं । बुलंदशहर देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किमी. की दूरी पर है और दिल्ली एन.सी.आर. बोर्ड प्लान 2021 के अंतर्गत एन.सी.आर. का हिस्सा है । बुलंदशहर देश की राजधानी दिल्ली के लिए दूध, सिक्जियां, फल और अनाज भारी मात्रा में उपलब्ध कराता है और यहां पर आम की अच्छी पैदावार होती है । यहां पर पवित्र गंगा मां के 9 तीर्थ स्थान हैं । यहां हजारों की संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं । यहां पर नरोरा में परमाणु बिजली उत्पादन केन्द्र भी है । बुलंदशहर एन.सी.आर. का हिस्सा होने के बावजूद भी बुलंदशहर विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बुलंदशहर को दिल्ली से आने-जाने के लिए न तो कोई रेल है और न ही बुलंदशहर में किसी रेल का कोई स्टॉप है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बुलंदशहर से दिल्ली आने-जाने के लिए एक रेल उपलब्ध करवाई जाए और दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ जाने वाली रेलों को बुलंदशहर से होकर चलाया जाए एवं बुलंदशहर में इन रेलों का स्टॉप बनवाया जाए और बुलंदशहर को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो एन.सी.आर. क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं ।

(iii) Need to set up a branch of Rural Bank at Devrai village in Jaunpur district, Uttar Pradesh

श्री राम चिरत्र निषाद (मछलीशहर): निवेदन है कि मेरी लोक सभा, मछलीशहर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनको बैंक संबंधी किसी भी कार्य के लिए मोड़ैता स्थित काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक जाना होता है जोकि दर्जनों भर गांवों से 8-10 किमी. दूर पड़ता है।

अतः निवेदन है कि यदि ग्राम-देवराई, पोस्ट-भैंसा, तहसील-केराकत, जिला जौनपुर, उ.प्र. में यदि एक ग्रामीण बैंक खुल जाए तो दर्जनों भर गांव का लाभ होगा और क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी और हजारों घर लाभांवित होंगे । देवराई गांव भौगोलिक दृष्टि से दर्जनों भर गांव के मध्य में है और सभी गांव द्वारा सम्पर्क मार्गों से जुड़ा हुआ है ।

(iv) Need to expand rail network in naxal-affected Dehrai, Tilauthu, Rohtas and Nauhatta in Bihar and Robertsganj in Uttar Pradesh

श्री छेदी पासवान (सासाराम): डेहरी, तिलौथू, रोहतास एवं नोहट्टा (बिहार) तथा राबर्ट्सगंज (उ.प्र.) का क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा नक्सल प्रभावित एवं बड़ी जनसंख्या से आच्छादित है। इस क्षेत्र में रेल मार्ग का विस्तार/निर्माण होने से क्षेत्र का तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। इस निर्माण कार्य से प्रभावी संपर्क रेलमार्ग के माध्यम से बड़ी आबादी की चिर-प्रतीक्षित अभिलाषा एवं आवागमन की जरूरत की पूर्ति होगी।

अतः मेरा अनुरोध है कि जनहित में उपरोक्त क्षेत्र में रेलमार्ग के निर्माण/विस्तार हेतु अविलंब कदम उठाए जाएं ।

(v) Need to undertake comprehensive social study to delve into the reasons leading to increasingly impatient behavior among children and take appropriate remedial measures

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बात का व्यापक अध्ययन कराएं कि बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है और उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इस देश के बच्चों का बचपन बेहतर तरीके से विकसित हो सके क्योंकि वर्तमान सामाजिक परिवर्तन से इस बात के पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं कि बच्चों में सहनशीलता कम हो रही है।

(vi) Need to set up a Jawahar Navodaya Vidyalaya in Chhota Udaipur district, Rajasthan

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है । यह एक नया जिला है, जिसके अंतर्गत 6 तालुका और एक नगरपालिका है । इस जिले की जनसंख्या लगभग 10,22185 है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहां 70 सं 80 प्रतिशत लोग ट्राइबल लोग हैं, यानि पूर्ण रूप से इसे ट्राइबल जिला कह सकते हैं । आदिवासी लोगों के विकास के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है । सरकार के द्वारा सभी जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान है । छोटा उदयपुर एक पूर्ण रूप से आदिवासी इलाका है । इस जिले में अनेक सरकारी कार्यालय हैं । अधिकांश लोग नौकरीपेशा वाले हैं । उन्हें अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । नवोदय विद्यालय की शाखाएं लगभग हर राज्यों के सभी जिलों में होती हैं, परंतु छोटा उदयपुर में नवोदय विद्यालय न होने के

14.08.2014 54

कारण जो कर्मचारी स्थानांतरण पर आते हैं, उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अन्य दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता है, जो बहुत किवन होता है और उनके बच्चों के दाखिले की कोई गारन्टी भी नहीं होती है । नवोदय विद्यालय की एक शाखा यदि छोटा उदयपुर में खुल जाती है तो अन्य स्कूल की शाखा से यहां की शाखा में स्थानांतरण हो सकता है और साथ ही साथ छोटा उदयपुर और इसके आसपास के रहने वाले लोगों, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दूर के विद्यालयों में भेजते हैं, वह अपने ही जिले में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे ।

मेरी मांग है कि छोटा उदयपुर में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये, जिससे अनेक वर्गों को फायदा होगा और वहां के आदिवासियों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

(vii) Need to implement the Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 in Assam particularly in Tezpur Parliamentary Constituency in the State to ensure extension of social-economic benefits to tribal people in the State

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): I would like to draw immediate attention of Union Government towards the implementation of the Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 in Assam. Union Government had passed the Forest Dwellers Act in year 2006 and circulated the same for implementation in the year 2006 but till the date this Act has not been implemented in my area. Under my parliamentary constituency Tézpur (District — Sonitpur) more than 1200 villages with population of 2.50 Lakh and in entire Assam state the population of forest dwellers would be more than 10 Lakh. These people are deprived from all Government schemes & programmes, because this Act has not been implemented in my area. These people are living in forest for decades but they have not been issued land patta as a result of which they have been denied the Permanent Residence Certificate (PRC) which is necessary to get admission in school or join any service. As land patta is not available they are not allowed to establish even primary school for their children. These people are also deprived from Panchayati Raj Institution (PRI) even though they vote for Assembly and Parliamentary elections. As Panchayati Raj is not applicable in forest dwellers area these people are not enjoying any Central Government schemes like

14.08.2014 55

MGNREGA, Indira Awas Yojana, Public Distribution 5ystem which takes place only through Panchayats.

Therefore, I urge the Union Government to look into the matter and take the immediate initiative to provide benefit under Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 to these forest dwellers of Assam without further delay.

(viii) Need to remove encroachments from railway lands all over the country

SHRI MAHEISH GIRRI (EAST DELHI): Throughout the country, the lands alongside the railway tracks belonging to the railways are found to be encroached. Various problems arise due to this encroachment.

Living condition of the people in such slums is very poor. Crime rate in these surrounding areas is also very high.

Many such areas are home to illegal immigrants from Bangladesh. In my constituency of East Delhi, lakhs of people are living in encroached railway lands causing/resulting in obstruction of development, and even loss of revenue to the railway. I, therefore, urge upon the Minister concerned that such encroachments be removed and the areas be reclaimed for judicious use.

(ix) Need to include the remaining 9 districts of Rajasthan in National Horticulture Mission

श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर): कृषि के विकास में उद्यान की फसलों का बहुत महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था जिसमें राजस्थान राज्य के 24 जिलों को शामिल कर यह योजना लागू कर दी गई है लेकिन राजस्थान के 9 जिलों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया जिनमें, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, चुरू, बीकानेर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, दौसा, हनुमानगढ़ जबिक भरतपुर जिले की बैर व भुसावर तहसील के 15 प्रतिशत किसान आज भी बागवानी की फसल पैदा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में शामिल नहीं होने के कारण किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि शेष रहे 9 जिलों को भी इस योजना में शामिल कराया जाये ।

(x) Need to provide adequate financial assistance for Chambal Bhilwara Drinking Water Project in Rajasthan and also expedite environmental clearance for the execution of the project in Chhittorgarh district of the State

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): राजस्थान में पेयजल की गंभीर समस्या है पिछले वर्षों में कम बारिश के कारण भीलवाड़ा जिले के सतही एवं भूगर्भीय स्रोतों में पानी कमी के कारण पेयजल वितरण 96-120 घंटे के अंतराल पर हो रहा है। वर्तमान में ट्रेन द्वारा बीसलपुर बांध का पानी भीलवाड़ा शहर को प्राप्त हो रहा है परंतु समस्या जस की तस बनी हुयी है। ऐसी स्थिति में भीलवाड़ा जिले में दीर्घकालीन पेयजल समस्या समाधान हेतु चम्बल भीलवाड़ा परियोजना का काम प्रगति पर है जिसमें इस वर्ष एनआरडीडब्ल्यूपी से 130 करोड़ का बजट प्रावधान हे लेकिन परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए और बजट की आवश्यकता है इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि परियोजना का प्रथम फेज का कार्य शीघ्र पूरा हो सके तथा इसकी के साथ परियोजना के अन्तर्गत चितौड़गढ़ जिले (राजस्थान) में निर्माणाधीन इन्टेक वेल एवं पाईप लाईन हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से नीतिगत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है किंतु इसकी अंतिम स्वीकृति विचाराधीन होने से कार्य में विलंब हो रहा है अतः इसकी शीघ्र स्वीकृति भी अपेक्षित हे।

(xi) Need to undertake widening and regular maintenance of N.H. 75E between Rewa and Sidhi in Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): राष्ट्रीय राजमार्ग 75ई. की सड़क रीवा से सिंगरौली को जोड़ती है और मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी से होकर गुजरती है, यह सड़क सीधी से सिंगरौली निर्माणाधीन है।

इसमें विसंगति यह है कि सीधी से सिगरौली के लिए फोर लेन बनाने का कार्य तो चल रहा है लेकिन रीवा से सीधी की सड़क को उसके पुराने हाल पर छोड़ दिया गया है यह कहते हुए कि इस सड़क का चौड़ीकरण करना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है बिल्कुल ही गलत तर्क है।

यह सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पूर्ण रूप से क्षितग्रस्त हो गई है । जिस कारण यात्रियों के साथ सड़क दुर्घटनाएं होने लगी हैं । सड़क में बड़े-बड़े गड़ढे होने से माग अवरुद्ध हो गए हैं । सड़क बनाने वाली कंपनी ने निर्माण कार्य तो शुरू रखा मगर रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जिससे जनता इस सड़क की कम दूरी को भी पार करने से कतराने लगी एवं दूसरे रास्तों पर आवागमन शुरू कर दिया ।

मैं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार से आग्रह करती हूं कि इस विषय पर व्यक्तिगत संज्ञान लेकन जनहित में पूरी सड़क का निर्माण कार्य के दौरान रखरखाव कराते हुए चौड़ीकरण कराने के लिए संबंधित विभाग को आदेश देवें ।

(xii) Need to augment railway services and passenger facilities in Dindigul Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Dindigul in Tamil Nadu is District headquarters of my Dindigul Parliamentary constituency. It is the 11th largest urban agglomeration in the State. Industries in Dindigul include lockmaking, leather, administrative services, agricultural trading, banking, agricultural machinery and educational services. There is a lot of railway projects pending and the following Railway projects need to be undertaken for the development of my constituency and the temple city of Palani.:

- 1. Modernization of Dindigul Railway station with escalator in all platforms.
 - 2. EMU train/service may be started/operated between Dindigul and Madurai on broad-gauge double electrified line.
 - 3. A new railway line may be laid between Dindigul and Karaikudi via Natham, Kottampatti, Thirupathur.
 - 4. Stoppage of trains at Kodaikanal road Junction viz., Vaigai Express Guruvayur Express, Nellai Express and Trichy Intercity Express etc.
 - 5. Modernisation of Kodaikanal road Junction Railway station by providing escalator, Display boards for arrival-departure of trains.
 - 6. The weekly service of Nellai Dadar express may be changed into daily service and to be stopped at Kodaikanal road Junction.
 - 7. The unmanned gate in Jallipatti near Kodai Road be converted as manned gate.
 - 8. An Over Bridge may be constructed at the crossing level of Gandhigram Rural University.
 - 9. A new train service may be operated from Chennai Egmore to Palani via Villupuram, Trichy and Dindigul.
 - 10. A new railway line be laid between Dindigul and Sabarimala to facilitate the millions of pilgrims to worship Lord Ayyappa.

11. The passengers train halt stations at Vellodu, Mettur Gate, Pallapatti, Paravai, Vilankudi, Madurai Palam Station were operational while it was meter-gauge and now closed after conversion to Broad-gauge. It should be reviewed in order to resume the earlier services.

(xiii) Need to renew the existing licences of salt manufacturers in Tamil Nadu and also roll back the increase in assignment fee, land rent for such manufacturers in the State

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Salt is one of the most essential things in our day-to-day life. Without salt, we cannot eat food, nor can we live.

Ministry of Commerce and Industry, had on 9th October 2013, spelt out the policy with regard to renewal of lease by the Salt Commissioner for manufacture of salt. The policy states that there would not be renewal of lease and that the fresh tender will be called for. It also said that the existing lessees may also participate along with the fresh applicants. Secondly the Central Government has increased the land rent abnormally without consulting the stake-holders.

Due to these unfavourable decisions, the small salt manufacturers are in great difficulty, especially, the existing lessees who have invested heavily in salt manufacturing and are in dire straits.

The Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry met the Salt manufacturers in Chennai on 14th June, 2014, heard their grievances and assured that the existing lessees would not be disturbed and their licences would be renewed. But now, the Salt Commissioner had called for fresh tenders, inviting applications. They are all very much disturbed by the action of the Salt Commissioner.

Hence, I request the Hon'ble Minister of Commerce & Industry to personally intervene in the matter so that the existing lessees are allowed to renew their licences.

I also request the Government of India to roll back the increase in assignment fee and land rent as demanded by the salt manufacturers.

(xiv) Need to provide subsidies to farmers for installation of micro irrigation systems and to create awareness among farmers about the uses of micro-irrigation

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Agriculture in India is largely rain-fed hence prone to temporal and spatial variations in rainfall. Already this year, the Indian Meteorological Department has stated that the monsoon deficit in the country is at 31 percent. As per the State of Indian Agriculture Report 2012-13, average annual rainfall in the country is 4000 billion cubic meters (BCM), out of which utilizable water resources are only 1123 BCM. Even today, in absence of newer technology, irrigation is done through tube-wells and dugwells, which depend on the fast depleting groundwater.

Ground water in the country has been exploited due to unregulated use and heavy power subsidies. With respect to efficiency of water use, the sector is found lacking here as irrigation efficiencies from surface water vary in the range of 35-40%, while for ground water-it is about 65-75%.

It is time we look at newer and environmentally sustainable ways of irrigation and reducing the farmers' vulnerabilities. Even though the government has launched the National Mission for Micro Irrigation in 2010 which promotes drip and sprinkler technologies, which in turn enhances efficiency of water application, it has still not taken off due to high costs and lack of awareness. Only about 0.5 million hectare of land is covered under micro-irrigation.

Hence, I would request the government to provide subsidies to farmers for installation of Micro irrigation systems, so that they do not face the burden of high cost of equipment and also promote this scheme to create more awareness about the uses of micro irrigation.

(xv) Need to declare the areas having considerable number of Marathispeaking people in Karnataka as a Union Territory

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): देश में 1 मई, 1960 से पहले मुम्बई राज्य था । मुम्बई राज्य में आज कर्नाटक में सम्मिलित किये गये चार जिले बेलगाम, बीजापुर, कारवार, धारावाड़ भी शामिल थे । इसका प्रमुख कारण था कि इस क्षेत्र में कन्नड़ भाषी जनता से ज्यादा मराठी भाषी जनता है । 1 मई, 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अस्तित्व में आ गये एवं बेलगाम, धारवाड, कारवार और बीजापुर ये चारों जिले कर्नाटक में शामिल किये गये। इनमें सबसे ज्यादा मराठी भाषिकों की संख्या बेलगाम में है ।

पिछले कुछ दिनों से मराठी भाषिकों पर कर्नाटक प्रशासन और कर्नाटक पुलिस के अत्याचार, अमानवीय व्यवहार और बर्बरता बढ़ती ही जा रही है । येल्लूर गांव में भी उनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया । इस क्षेत्र के मराठी भाषिक लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति आदि के मुताबिक रहने और बोलने की आजादी नहीं हैं । इस संदर्भ में कुछ दिन पहले यह मामला संसद में उठा था । उसके पश्चात कर्नाटक पुलिस द्वारा वहां के लोगों पर अत्याचार और बढ़ गए हैं ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मराठी भाषी क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए जिससे वहां के लोग शांति से जी सकें और अपनी मातृभाषा में प्रशासनिक व्यवहार कर सकें।

(xvi) Need to take measures to protect Kaliralga and Hatsingmari area of Dhubri district, Assam from erosion by river Brahmaputra and also make provision for adequate funds for the purpose

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): The erosion by the River Brahmaputra has created havoc and threat of total submersion of the entire Hatsingimari Subdivision of my constituency Dhubri, Assam. The vast area of South Salmara, Fakirganj, Hajirhat & Sukchar were totally washed away by the River Brahmaputra during the last decade.

I have drawn the attention of the Government to this danger many times in recent past by taking up the matter with various ministries, departments as well as officials. On my continuous request, I was informed through vide letter no. F. No. 11-5/2012-IM (pt.vi) dated 21 June 2013 by the Ministry of Water Resources, Govt. of India that an amount of Rs 64.80 crore was released on 26/3/2013 to the Government of Assam for completion of 104 ongoing MI

schemes of 2009-10 including 10 Ml schemes of my Dhubri constituency and 124 Ml schemes of 2009-10 including 7 Ml schemes of my constituency but the State Government denied from having received any fund. Consequently work has not started. For only Kaliralga erosion protection the said amount of Rs. 64.80 crore is not sufficient. Moreover, some other works were included to be undertaken with the amount. So, Ministry of Water Resources should revise the amount on Kaliralga as well as other works of my constituency.

I request the Minister of Water Resources and Home Affairs to take immediate step to protect Kaliralga and entire remaining part of the Hatsingmari subdivision with its Headquarters and the Indo-Bangladesh border road from the erosion. If immediate permanent measures are not taken, the entire area will disappear from geographical map in near future. As it is a matter of threat to national security, I again request both ministers to intervene to protect Kaliralga immediately.

(xvii) Need to declare tax-holiday for industries in Punjab to give impetus to economy of the State

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Punjab suffered too much due to the division of the country at the time of Independence. Being a border state no investor wants to invest in Punjab. Agriculture has reached it saturation stage in the State. So the economic resources are very limited. Unfortunately, since the last few years Union Government has declared Hill State tax holiday to neighbouring states of Punjab viz. Himachal Pradesh, J&K, Uttarakhand and due to such incentives being offered industries in Punjab are shifting to neighbouring hill states.

It has, therefore, become necessary and urgent to declare tax holiday in Punjab so that economy of Punjab can revive with the return of industries to Punjab. Also special incentive to investors of Punjab may kindly be announced.

12.08 hrs

APPRENTICES (AMENDMENT) BILL, 2014Contd.

HON. SPEAKER: We shall now take up Item No.17.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): What is the hurry in passing the Apprentices Act? ... (*Interruptions*) There are objections from trade unions and from many other quarters who oppose the Apprentices Bill, which is anti-labour. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा।

...(व्यवधान)

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष जी, अधिनियम 1961 बिल संशोधन पर मैं अपनी बात रख चुका हूं।...(व्यवधान) इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए, यह आवश्यक है। यह इश्यु बहुत तैयारी के साथ लाया गया है।...(व्यवधान) यह देश में अप्रेंटिसिस की संख्या भी बढ़ाएगा और समय की आवश्यकता भी है। लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है।...(व्यवधान) लोकसभा में अगर चर्चा हो जाएगी, तो लोकसभा में जितने विचार आएंगे, उनके प्रकाश में हम आगे बढ़ेंगे।...(व्यवधान) मैं अपनी बात पहले सदन में रख चुका हूं।...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष जी, सबकी राय है कि अप्रेंटिसिस एक्ट और फैक्टरी एक्ट के बारे में थोड़ा रिजर्वेशन है, यह आपको भी मालूम है और बहुत से ट्रेड यूनीयन रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपी को भी है। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, क्योंकि इस पर दो घंटे में चर्चा समाप्त नहीं होगी, फिर फैक्टरी एक्ट भी नहीं होगा। कम से कम इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज देंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे और अगले सैशन में ले लेंगे।

दूसरी बात कल यादव जी ने स्पीच दी थी, उसे पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है, यह ठीक नहीं है। जो आपत्तिजनक शब्द हैं, उन्हें निकाल दीजिए। अगर पूरा भाषण ही निकाल देंगे।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, जब 193 शुरू होगा, उस समय आप ओब्जेक्शन कीजिएगा। बिल के लिए मेरा इतना ही कहना है कि बिल पर बोलने की बात आ चुकी है। हमने कहा है कि इस बिल पर चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष जी, चर्चा के बाद भी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा सकता है और चर्चा के पहले भी कमेटी में भेजा जा सकता है। इसी सदन में बगैर चर्चा के एट्रोसिटीज एगेंस्ट एससी, एसटी बिल आर्डिनेंस रहते हुए सीधे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। ठीक है, कम से कम

मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हर चीज पर लड़ते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि न्याय नहीं होगा।...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Madam Speaker, this Bill should go to the Standing Committee. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सुनिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप मिनिस्टर की बात भी नहीं सुनेंगे? क्या अपनी ही बात कहेंगे?

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत तैयारी के साथ बनाया गया है। इस बिल के आने के बाद देश में एपरेंटिस की संख्या बढ़ने वाली है। यह इस सत्र में पास हो जाएगा तो जुलाई से जो सत्र शुरु है, उसका लाभ पूरे देश में एपरेंटिस को मिलेगा। यह आवश्यक है और इसलिए हमने आपको अनुरोध किया कि इसमें तमाम छूट के लिए स्टैंडिंग कमेटी में न भेजा जाए। मैंने इस दृष्टि से भी आपको अनुरोध किया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है। यहां सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं। मुझे लगता कि यहां जो विचार विमर्श होगा, वह ज्यादा व्यापक होगा। मेरा अनुरोध है, मैं अपनी बात रख चुका हूं। आप इस पर चर्चा कराएं तो मेहरबानी होगी।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, the hon. Minister of Labour and Employment has introduced the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 and he requested the House to consider and pass it. We are for passing the Bill without any delay. It does not mean that the House should not study the provisions of the Bill thoroughly. What is the urgency to pass it in haste?

The steps for amendment of the Apprentices Act, 1961 were taken by Shri Mallikarjun Kharge when he was the hon. Minister of Labour and Employment in the second UPA Government. The Inter Ministerial Group was formed by the UPA Government. The Central Apprenticeship Council has been asked to give suggestions and the opinion of the stakeholders has also been called for. This process was started by the UPA Government and now, the present Government has introduced this Bill before Parliament. This Bill, which is before the House, is something which is going to decide the future of our 300 million youths in the country and their number is growing daily. We have around 300 million youths in the age group of 15 to 29 years, which is the eligible age group to join as an apprentice. The employability of our youth is a major issue which is being faced by the industry. The graduates coming out from our colleges and technical institutions are far from employable, according to a study. Hence, on-the-job training visualized under the apprenticeship scheme becomes all the more important. In order to convert our youth force as a potential work force, we should be in a position to impart adequate skills and attitude to them.

While the UPA Government proposed the amendment in the Apprentices Act, the primary aim was to tap the potential of the youth force and to convert the huge youth population into potential human resource. The vital suggestions emerged during the consultation process to make the apprenticeship programme attractive like increasing honorarium to the trainees, restructuring the curricula, adding flexibility in working hours, training etc., are not included in this Amendment Bill which is presented before the hon. House. This is very important. The UPA Government was trying to do it. In this Bill, there is no attraction to the apprenticeship trainees. That is highly

objectionable. So, the nation requires trained manpower in various fields. Especially, construction industry, retail sector, food processing industry, hospitality industry etc. require huge manpower. The Act should cover these sectors specifically.

There is a common belief that apprenticeship means such things happen only in big industrial organizations. The requirement of trained work force is more in unorganized sector. But this Bill has not mentioned about the unorganized sector. Now the unorganized sector also needs more and more apprentices. Hence the establishments under unorganized sector also need to be included in the Apprenticeship Act.

If you look at the history of the amendments in the Apprenticeship Act, you may find that the Congress Government and the UPA Government only have taken the leadership in passing the original Act and subsequent amendments.

The Apprentices Act 1961 was enacted with the objective of regulating the programme of training of apprentices in the industry by utilizing the facilities available therein for imparting on-the-job training.... (*Interruptions*) श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): अध्यक्ष महोदया, जब साम्प्रदायिकता पर बहस चल रही थी तो बीच में यह बिल कैसे आ गया?

माननीय अध्यक्ष : नहीं, उस पर भी चर्चा होगी, नियम 193 के तहत मामले को बाद में लिया जाता है। 193 का मामला बिल के बाद ही लिया जाता है। मुलायम सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव : 25 सालों से हम एम.पी. रहे हैं, यह कौन सी बात है, साम्प्रदायिकता पर बहस को पहले खत्म कर देना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष : वह बाद में लिया जाता है, यह नियम से ही चल रहा है। प्लीज, आप बैठ जाइये, वह भी लिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: यहां नियमावली है, नियम के अनुसार चलना चाहिए। ...*

माननीय अध्यक्ष : बिल के बाद ही 193 का मुद्दा लिया जाता है, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव : साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर बहस चल रही थी, उसमें हमें भी बोलना है।

_

^{*} Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, वह इसके बाद होना है, प्लीज आप बैठिये। ऐसे बीच में नहीं होता है, आप इन बातों को जानते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : साम्प्रदायिकता पर बहस में हमें भी बोलना है।

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलना है तो आपको बोलने दिया जायेगा। वह इसके बाद होगा।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam Speaker, the Act was amended in 1973 and 1986 to include training of graduates, technicians and technician (vocational) apprentices respectively under its purview. It was further amended in 1997 and 2007 to amend various sections of the Act as regards definition of 'establishment', 'worker', number of apprentices for a designated trade and reservation for candidates belonging to the Other Backward Classes etc.

It was in 2007 under UPA Government for the first time in the history of India that Modular Employable Scheme was introduced in the country to impart skill to the unskilled Indian youth and to certify the trainees.

The Skill Development programmes got an impetus and through various measures and programmes, skill development activities became a major mandate for several departments in the country.

In tune with the initiative to develop skills of our youth only, the amendment of the Apprenticeship Act was taken up to provide on-the-job training to the youth.

As I mentioned, in the proposed Bill, comparing the size and the rate of growth of the Indian economy, the performance of Apprenticeship Training Scheme (ATS) is not satisfactory and a large number of training facilities available in the industry are going unutilized depriving unemployed youth to avail the benefits of the ATS.

12.19 hrs (Hon. Deputy Speaker in the Chair)

The employers are always of the opinion that provisions of the Act are too rigid to encourage them to engage apprentices and the provisions relating to penalty create fear amongst them of prosecution. They have suggested for modifying the Apprentices Act suitably.

The trainees also have the opinion that the scheme is not attractive to them as the programmes under the scheme are neither attractive, nor according to the requirement of the industry.

The purpose of the amendment is to make the scheme attractive to all the stakeholders. But the proposed amendments neither satisfy the employer, nor the potential employee.

Respected Deputy-Speaker, Sir, a huge demand was raised during the consultations for the amendment to the Apprentices Act that the graduates of arts and science courses may be considered for apprenticeship. But it is missing in the Bill and it has not been made very conspicuous. Yet another major suggestion was to make this Act mandatory for the IT industry, which is a no-man's land for many of the labour laws, let alone Apprentices Act.

A thorough re-look is required in the proposed amendment Bill in the interest of the unemployed youth. We are for the Act but before taking up the Bill on the floor of the House for discussion and consideration, I propose that the Act should be subjected to review by the Standing Committee of Parliament. After that it should be placed before the House.

Merely to raise the graph of the Government and to claim that in such a short time we have passed so many Bills, we should not rush these types of Bills which are neither youth friendly not employer friendly.

I suggest that the Bill should be referred to the Standing Committee for its consideration.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Sir, I rise to speak on the Apprentices (Amendment) Bill. I would also like to commend you on your elevation to the Deputy-Speaker's position. It is the first time that I am speaking in this 16th Lok Sabha.

I would begin by saying that I commend the Government, the Union Minister of Labour and his team of officers. I would like to commend our Prime Minister, who has, within two and a half months of coming to office has pushed and got introduced this Bill in this august House.

I just want to give you the brief history of this Bill. The original Act came in 1961. Thereafter it was amended in 1973 and again amended in 1986. Initially, it only looked at graduates of technical field. It was again amended in 1997 and thereafter in 2007. At that time, it basically looked at workers belonging to other backward classes.

Today, we are a young India. We have to look at the aspirations of young India. Keeping this in mind, we have to strengthen our manufacturing sector. Our manufacturing sector is not as good as our service sector. If you go through this Bill you would see that by pushing this Bill, we will help those individuals, who are from arts and other courses, to be a part of this technical field.

My hon. friend from the Congress has just mentioned about it. I just want to bring to his notice and to the notice of the then Minister that in 2004-05 the seats allocated for apprenticeship were 2,53,541. Out of this, only 1,70,848 seats were utilized. Who was running the Government between 2004 to 2014? In 2014, when the Congress demitted office, they had allocated 3,59,000 seats. Out of this, only 2,11,000 seats were actually utilized. About one lakh seats were left for giving jobs.

Since then, our Union Government and the Minister are looking at ensuring that every individual gets an opportunity to be a part and parcel of the change in society and the change in Government. We want every individual, who is in the service sector or in the manufacturing sector, to get a job.

The Union Government received the recommendations of the Inter-Ministerial Group, which were then uploaded on the website, and were sent to

the Central Apprenticeship Council. Basically, a company or a group having its functioning in four or more States need not go to every State Council. Now, they have to go to the Central Apprenticeship Council and get help through the Directorate General of Employment and Training.

We have also provided apprentices to get engaged at establishment level instead of trade-wise. We have looked at non-engineering students. We have also looked at new courses.

The previous speaker was asking as to what we are doing for other courses. We are opening up 500 new courses. These 500 new courses will adhere to respective fields and respective industry to ensure that more people get jobs and apprentices.

We are looking at texts. We are looking at syllabus. We are looking at registration. We are looking at new portal by which every individual can be given an opportunity to look at the website and get a job. We are also looking at helping the employer for employing most people. So, we are reducing the penalties on the employers. We are also looking at the Acts for hazardous and non-hazardous productive works.

I would like to commend the Government for having brought this Bill. I would like the Government to look at the State of Rajasthan, where I come from, and where we have moved the Apprentice Act (Amendment) Bill and it was passed on 31st July, 2014. Every State has an opportunity to do that. It was basically to create new industries, to create more jobs and the opportunity for the State to help small-scale industries. In respect of any company having 250 employees or less, the State will assist the employer with 75 per cent coming from the State Plan.

The previous speaker was mentioning that we do not have enough training facilities. We, in Rajasthan, and also in this Bill, which the Minister has brought before the House, there is a provision for having a third party training centre. With this, we can have centres to grow around the industry and to be in close touch with the employer so that we can get good third party training facilities.

This Bill is also having a mechanism for resolving disputes. It is also looking at having good training facilities.

I would like to focus on the hon. Finance Minister's Budget speech, and paragraph 102 of his speech dealt with small-scale industries. Every individual looks at small-scale industries. So, a lot of apprentices are coming up now. The hon. Finance Minister has supported small-scale industries and wants to have people from SCs. STs and OBC communities as a part of them. This is the focus on which we want this Bill to go ahead.

We, in India, are growing. I just want to give you the example of Germany. Germany has three million apprentices over India's three lakh apprentices – three million over three lakh. We are looking at growth in our country; we are looking at prosperity in our country; and we want every individual, every person to be part of all sectors, the primary sector, secondary, tertiary sector and to be part of our economic growth. In that sphere, our hon. Prime Minister and our hon. Minister have been able to put this Bill through.

This Bill is very flexible. It helps the industries; it helps the employers; and it helps the industrial growth. As a true change in our today's life, we appreciate that the Government on putting this Bill, of which 500 new trades would come up. Industry leaders such as FICCI, CII, ILO and other organisations, all want this Bill to go through. So, I would urge everyone in this august House, to be part of this change.

In the end, I would say that this Bill looks at people working in hazardous places; this Bill helps individuals to be part of the website portal. They can get jobs. This helps us to get the syllabus and course. This gives us testing time so that people can get tested and get a degree. There can be nationalised testing process. This also helps us to grow in our economy. We

need growth. Our leader and the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji is with us. We have the Minister of Labour with us. We have the entire House with us. We all want growth in this industry. We want India to prosper and be looked at as a stronger nation.

With your help and support, we will push this Bill through and pass it.

So, Sir, I support this Bill and I commend the Minister and his team for bringing this Bill and we will all pass it.

12.32 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE ... Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Before I call the next speaker, there is a Paper to be laid on the Table. Shri Sudarshan Bhagat.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 769/16/14]

- (3) (एक) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 770/16/14]

- (5) (एक) सेंटर फॉर रीहैबिलिटेशन सर्विसेज़ एंड रिसर्च, भद्रक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर रीहैबिलिटेशन सर्विसेज़ एंड रिसर्च, भद्रक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 771/16/14]

(7) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 772/16/14]

14.08.2014 75

12.33 hrs

APPRENTICES (AMENDMENT) Bill, 2014 - CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, Prof. Saugata Roy.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, firstly, congratulations on your assuming the Office of the Deputy-Speaker. We are very hopeful of your stewardship.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.

PROF. SAUGATA ROY: Let me start by speaking on the Apprentices (Amendment) Act, 2014. Mr. Suresh from the Congress party has already suggested that this Bill be sent to a Select Committee. I also think that this Bill is too important to be passed in the House in such hurried circumstances on the last day of the Session. This needs a lot of deliberations and that is why I would again urge the hon. Minister reminding him that the Railway Minister had also sent his Railways (Amendment) Bill to the Standing Committee. Similarly, he should also send this Bill to the Standing Committee.

While I do not quarrel with the basic objectives of the Bill, this Bill has been pending since 2006. So, actually, this is an old wine in a new bottle, which is what this present Government is doing -- repackaging old laws.

See, the other day, the Chief Minister of Kashmir made an interesting comment... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): One minute, please. Modiji has got objection in saying 'old wine in a new bottle'.

PROF. SAUGATA ROY: He does not like the word 'wine', I know. He referred to Amrinder Singhji, I know.

Actually, the Chief Minister of Kashmir said the other day that UPA had done many good things but failed to publicize them. Modiji is inaugurating projects, which were completed in UPA's time. So, that is everybody's style of politics. What he did in Kashmir the other day, were all completed before. Even this inauguration of the railway line was also done earlier. But that is the rule.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): It is a democracy.

PROF. SAUGATA ROY: Yes, it is a democracy. It is an ongoing process. But do not say कि अच्छे दिन आ रहे हैं, पहले भी अच्छा था और अभी भी कुछ अच्छा होगा। Now, the main objection to this Bill is that the total number of apprenticeship is sought to be calculated on the basis of total number of workers in a factory. This total number of workers includes permanent workers, contract workers and casual workers. Now, on the one hand you are not giving any right to contract workers and casual workers but including their number in determining apprenticeship will lead to contract workers being phased out. This is what is happening in the Maruti factory in Manesar, Haryana. They are slowly easing out contract workers so that apprentices will do some of the works done by the contract workers. This is something which I am basically opposed to.

Mr. Dushyant Singh has spoken of the Rajasthan model. Rajasthan has enacted a new law. They have brought forward several labour laws. They have changed the Contract Labour Act. They have changed several laws, including Industrial Disputes Act and Contract Labour Regulation Act which are basically anti-labour and meant to help the industry. Mr. Dushyant Singh mentioned that FICCI and CII have supported it. Naturally, they will support it. But I may remind you that in Rajasthan, BMS, the trade union wing of the RSS, has opposed the changes in the labour laws made by the Rajasthan Government. The BMS has totally opposed it and they will come to the streets soon to oppose the changes made in Rajasthan. So, I am not enamoured of that.

Having said that, let me say that it is necessary to increase the number of apprentices in the country because in our country the number of skilled workers in the employable age is only 6.7 per cent whereas in China it is 50 per cent; and in European Union, it is 75 per cent. It is necessary to impart skills to our young men. The Government had earlier set a target of achieving 50 crores of skilled people by 2022. Now slowly people are detracting from that. They are saying that this 50-crore target was fixed taking a growth rate of eight per cent. If the growth rate does not reach eight per cent, then the number of skilled people will come down. But basically, it is a laudable objective that we skill our people and it is necessary to improve the employability of people. So, there would be no objection to an Apprentices (Amendment) Act but I see it as a part

of the bigger labour reforms which this NDA Government is attempting. They are trying to amend the Factories Act. Next day they will amend the Industrial Disputes Act on the Rajasthan model which will ultimately go against the interest of organised labour which has been earned by continuous struggle over many years. So, I see in this Apprentices (Amendment) Act and the hurry to pass it an attempt to initiate the so-called labour reforms, pro-industrial labour reforms that this Government is attempting and ultimately, it will go to hire and fire theory that this Government may be believing in.

Having said that, let me say some positive things about the Bill. One thing informally, in the Apprentices Act, the employers were told that if you violate the law, then you will have six months imprisonment. It was a little ridiculous provision. So, that has been replaced by a fine. I have no objection. No employer has been jailed under this Act. So, removing that would be a good idea.

In the previous Apprentices Act, if a company had a pan-India operation in three or four or more States, then it had to seek permission from the Central Council and from individual State. That is being removed under the new Apprentices (Amendment) Bill. Even if a company has a pan-India operation, it can employ apprentices in all the places. Earlier, in the Apprentices Act you could not get apprentices from other States. Now, in the amended Act you can get apprentices from other States, which is again very welcomed that apprentices may travel from State to State.

Previously, the apprentices were fixed trade-wise. In this country, 254 categories of industries were included. This is sought to be removed through this Bill. The employer will have the option of engaging apprentices irrespective of trade they are put in. They can also specify new trades. The Act was passed in 1961; since then a lot of changes have taken place. As has been spoken, the IT industry – the service sector – has come into being. So, new types of apprentices will be necessary.

Sir, we, who work in the trade union field, face a common problem. All the apprentices, who are working in a company, when their period comes to an end, come to us and say that they will not get a permanent job. I have to tell 14.08.2014 78

them that their period is ending. What I propose is that the apprentices, working in private industries or in Government industries, should be given priority in employment. In Government companies – there are ordnance factories, which employ apprentices – age relaxation should be made in the case of apprentices. Then, these people will be encouraged to learn more in their jobs.

The other important thing, which I want to say, is that they are trying to create a new exchange of information through a portal site. The employers can recruit apprentices according to their own policies. The provision of sitting in examinations after competition of apprentices has been made optional. The main thing is that the new Act allows employers to take non-engineering graduates and diploma holders. The idea is basically to widen the number of apprentices. The National Skill Development Corporation is not sufficient. There are lakhs of unemployed people in the country. So, more doors are opened for apprentices and it is a good step. But, this Apprentices Act should not take advantage of workers by employers so that they can dispense with contract workers and use apprentices in place of permanent or contract workers.

Sir, let me finish by saying that if the Government thinks that they will enlarge skill training, I have no objection. If they want to employ more apprentices, we will have no objection. But, the organised working class in this country will oppose any effort by the employers to go towards a hire and fire policy. They will oppose any effort by the employers to change the Factory Act to include 12 hours in their working day from which they will have to work for eight hours. Any anti-labour move by the Government will be resisted tooth and nail by all trade unions, including the BJP's Bharatiya Mazdoor Sangh.

*SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy Speaker, Sir. Vanakkam. We cannot control communal violence and riots through laws; only by implementation of people welfare schemes we can control communal violence. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* Amma has been taking several measures in providing opportunities to all the people irrespective to their caste creed and colour. Hon. Chief Minister Puratchithalaivi Amma treats the people belonging to all castes as equal and provides opportunities to all of them. MPs, MLAs, Representatives of Panchayats, Office-bearers of cooperative institutions, government employees and others are provided equal opportunities on the basis of population and not on the basis of caste or religion. Hon. Amma upholds oneness among all. Without any discrimination of caste, creed and religion, Hon. Amma provides laptops, bicycles, uniform dresses and other materials to the students of Tamil Nadu. Hon. Amma rules the state without showing any sort of caste discrimination. Under her able leadership Tamil Nadu remains a peaceful state. Hon. Deputy Speaker Sir, Tirukkural is a master piece written by Saint Tiruvalluvar, 3000 years ago and it stands as a testimony to oneness and one society without any caste bias. The great poet Bharathi has also written in one of his poems for children that there is no caste in this world. This is a land where Lord Buddha, Jesus Christ and Mahatma Gandhi preached social harmony.

HON.DEPUTY SPEAKER: You should speak about Apprentices Bill. You talk about training programme and factories. You have to speak on the Apprentices (Amendment) Bill. You speak about the training programmes in factories.

*SHRI K.PARASURAMAN: Tamil Nadu is a peaceful state in the country.

Apprentices are provided hands on training in the state of Tamil Nadu.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, the Apprentices (Amendment) Bill, 2014 is being discussed in this House. The statistics say that up to 31st March this year, a total of 4.90 lakh persons got apprenticeship training, and out of them, only 2.82 lakh apprentices, the trained people got jobs. This is the situation because there are stringent laws which the management has to follow. So, they are afraid of providing jobs to these apprentices.

Sir, you know that as the country goes ahead, development activities have also been taking place. Irrespective of which party is in Government, progress is there. Therefore, lakhs of employment opportunities are there, but trained people are not available. If even some trained people are not getting jobs, it is because of the stringent decisions of the management of different factories, which may be belonging to the public sector or the private sector. In this context, I want to draw your attention to this because this Bill is at the discussion stage. The way the unemployment is there throughout the country, only the engineering branch people are getting this training. It has to be expanded so that even high-school certificate holders -- that is, those who have passed and even those who have not passed -- or those who are non-engineering graduates and those who are Twelfth pass have got the scope to undergo training in factories.

There are thousands of posts in the Government and private sectors. If this type of training is imparted to them, then definitely thousands of people / students will be engaged. This is a positive thing. There are some positive things and some negative things in this Amendment Bill, and this is one of the positive things.

The second positive thing in it is that this has been expanded to the private sector. Any private institution is allowed to give training to these apprentices. So, this is also a good thing.

Another thing is that the age limit was 14 years. However, there is a provision in this Bill that this can be extended to 18 years with regard to hazardous job. Another point is about management. If management is not properly handling the things, then there is imprisonment for the employer.

However, this has been changed and no punishment will be given and only a fine would be imposed on him. This is a good thing because if there is restriction on the person who is going to invest money, then he will not be encouraged to put up industries or factories.

There are also certain negative points in it. Suppose, the advisor of a unit carries out whatever he things fit and if the management does not agree to it, then there is no problem or difficulty in it. This is a negative point in it.

Likewise, there are a number of negative things in it. I think that we should discuss this matter. Previously also, this matter was discussed at different stages, namely, this was discussed in the Inter-Ministerial Group (IMG); the recommendations of the IMG for making changes in the Act were uploaded on the website for seeking comments of public; deliberations took place for it; and Seminars were also conducted. At least, the Department tried to go to the people before introducing this Bill and seek their opinion. In this case, most of the Members are interested in discussing this issue thoroughly. Hence, in my opinion also this Bill has to be sent to the Standing Committee. This is my suggestion and appeal. Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले आपका अभिनन्दन करता हूँ कि आप उपाध्यक्ष के रूप में आसन पर विराजमान हैं और उस समय मुझे बोलने का मौका मिला है।

महोदय, अप्रेन्टिसेज विधेयक, 2014 के माध्यम से कई सुझाव शासन ने रखने की कोशिश की है। अप्रेन्टिसेज एक्ट, 1961 में बार-बार बदलाव हो चुका है। वर्ष 1961 के बाद फिर एक बार जब यह विधेयक मंजूर हो जायेगा, तब अप्रेन्टिसेज एक्ट, 2014 के रूप में भविष्य काल में एक अच्छा परिणाम इस विधेयक के माध्यम से लोगों को या नौजवानों को मिलने की इच्छा मैं व्यक्त करता हूँ।

वर्ष 1961 के बाद फिर एक बार जब यह विधेयक मंजूर हो जाएगा तब एप्रैंटिसशिप एक्ट - 20014 के रूप में, भविष्य काल में एक अच्छा परिणाम इस विधेयक के माध्यम से लोगों को या नौजवानों को मिलने की आशा मैं व्यक्त करता हूं। वर्ष 1961 के बाद करीबन वर्ष 2007 तक चार बार इसमें अमैंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन विधेयक लाते वक्त मंत्री महोदय ने विधेयक का जो उद्देश्य है उसमें स्फ्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और विकास की तुलना में इस शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का निष्पादन संतोषजनक नहीं है और उधोग में भारी मात्रा में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं अनुपयोजित, इसके कारण बेरोजगार युवकों को ए.टी.एस. का लाभ नहीं मिल पाता है और इसीलिए इस विधेयक के माध्यम से उद्योग में एप्रैंटिसशिप के माध्यम से युवकों को अच्छा मौका मिले और उनके भविष्य के लिए अच्छे सुझाव इस विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार लाई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन, स्वागत करते वक्त भी कई सुझावों पर बहस होनी चाहिए। जैसे कि इसमें उन्होंने 11 अलग-अलग प्रोविजन्स किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले 11-12 सुझाव जो शासन ने रखे हैं, उनमें से जो पहला सुझाव है - चार या उससे अधिक राज्यों में प्रचालन करने वाले स्थापनों को नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन लाने का उपबंध इस विधेयक के माध्यम से है, मेरी एक विनंनती है कि कई उद्योग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे पैमाने पर एक ही राज्य में चलते हैं, कई उद्योग दो राज्यों में चलते हैं। कई उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्तार भी हुआ है। अगर चार राज्यों में ऐसे उद्योग न हों, एक ही राज्य में है लेकिन उनके लिए एक बड़ा स्कोप है तो इस विधेयक के माध्यम से उस उद्योग में भी एप्रैंटिसशिप एक्ट लागू करने की जरूरत है। सरकार से मेरी विनंती है कि सिर्फ चार राज्यों का एक कंडीशन न रखते हुए, उद्योगों की क्षमता उनके प्रोडक्शन को ध्यान मे रख कर, ऐसे उद्योग अगर एक राज्य या दो राज्य में भी हों, जैसे महाराष्ट्र में, कई उद्योग एक ही राज्य में है। गुजरात में कई उद्योग हैं, एक राज्य में, लेकिन उनका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है और पूरे हिन्दुस्तान में उनके प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है। ऐसे उद्योगों में भी अप्रैटीशीप लागू करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर-4 जो है, वैकल्पिक व्यवसाय, जो ऑप्शनल ट्रेड रखा गया है, इसके ऊपर सिर्फ उद्योजक जो रखेंगे ऑप्शनल ट्रेड, उनको स्वायत्ता नहीं देनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, उन्होंने जो ऑप्शनल ट्रेन्ड का सुझाव दिया हो, उसको अप्रूवल देने का काम काउंसिल का होना चाहिए तािक उसके ऊपर शासन का निर्बंध हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि कई उद्योग एप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आज तक 5 से 10 प्रतिशत एप्रेंटिसशिप रखने का उनमें प्रोविजन है, लेकिन जैसा कि पूर्व सांसद ने अपनी बात रखी है कि जो परमानैंट वर्कर्स हैं, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कई उद्योग एप्रैटिसों की भर्ती करते हैं, उनसे काम लेते हैं, वे उनको कोई सुविधा नहीं देते क्योंकि उनके एप्रेंटिसशिप एक्ट में, इस बिल में स्टाइपन्ड का अंतरभाव नहीं किया है। स्टाइपन्ड की जरूरत है, जैसे बारहवीं योजना में इस एप्रेंटिसशिप का अध्ययन करने के लिए रखा तो उसमें जो प्रॉबलम्स सामने आई हैं, उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी कमी स्टाइपन्ड की है। इस विधेयक में एप्रेंटिसशिप करने वाले युवकों को अच्छी तरह से स्टाइपन्ड देने की जरूरत है, उसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे अभी बहुत बड़े उद्योगों ने एफ.टी.सी. चालू किए हैं। एफ.टी.सी., फिक्स्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कानून से नहीं है। लेकिन जहां-जहां बड़े उद्योगों में, जैसे कि होटल्स हैं, वहां एफ.टी.सी. की स्कीम चालू हो चुकी है। जहां-जहां बेकानूनी एफ.टी.सी. चलते हैं, उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए।

13.00 hrs

वहां एप्रेंटिसशिप की योजना लागू करनी चाहिए।

मेरा एक और सुझाव है। कुछ एप्रेंटिसशिप एक वर्ष की होती है और कुछ चार वर्ष की भी होती हैं। एप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद उस उद्योग में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। व्यक्ति एप्रेंटिसशिप करके सैटींफिकेट लेकर बाजार में बिना नौकरी घूमता रहता है। आज भी ऐसे युवकों की संख्या काफी है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती है कि एप्रेंटिसशिप करने पर उस उद्योग में तकरीबन 25 प्रतिशत परमानैंट वर्कर की योजना का प्रावधान करने की जरूरत है। उनके पास जैसे-जैसे परमानैंट वेकैंसी होती जाए, एप्रेंटिसशिप करने वाले व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत लोगों को उस उद्योग में परमानैंट करने का प्रावधान होना चाहिए। यह भी इस बिल में होना चाहिए।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार फिर केन्द्र सरकार और संबंधित मंत्री महोदय का अभिनन्दन करता हूं कि वे एक अच्छा विधेयक लाए हैं। भविष्य में इस विधेयक के सही परिणाम के लिए किमयों को दूर करके कानून का सही इस्तेमाल हो, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

HON. DEPUTY SPEAKER: We are skipping the lunch because we want to continue this debate so that this Bill can be passed.

Shri Konda Vishweshwar Reddy to speak.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you Sir for giving me an opportunity to speak on this important Bill.

Sir, when we go to our constituency, people come to us with various problems. सड़क अच्छी नहीं है, पानी नहीं है, ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। The most depressing problem is that when they say they do not have a job, get me a job. It is depressing because thousands of applications are received and I can help only three or four. I believe that every Member of Parliament experience this problem.

Sir, power, water, health, corruption, extremism and communalism are not the problems which our country is facing. The biggest challenge for us in our country is to gainfully engage the youth, train them and employ them.

Sir, in Rashtrapati Bhawan, our Prime Minister reiterated the same sentence three times. Please allow me to say here the same sentence three times. A youth came and asked our Prime Minister, Modi ji for a job and he said: मेरे पास डिग्री है, मुझे जॉब चाहिए। मोदी जी ने कहा कि आप क्या जानते हैं। उसने कहा कि मेरे पास डिग्री है। उन्होंने फिर कहा कि आप क्या जानते हैं। उसने फिर कहा कि मेरे पास डिग्री है। हां. डिग्री है लेकिन क्या जानते हैं। This apprentice system is a bridge between the education and the employment. Where the education falls short, there this apprentice system fills that gap and make one employable. I think we have not understood the fundamentals of apprentice system and its evolution world over including our own country. The apprenticeship system evolved in different countries at different times and most of it became formal in the 15th and 16th century. The first apprenticeship was in the Statute of Apprenticeship in 1563 in Britain. Modi ji's stressing on the importance of this Bill is very relevant. It is the biggest challenge of our country. We have to appreciate the Government in getting this Apprenticeship Bill passed in this very first Session. We cannot afford to let this Government fail in its most important mission but by passing the Apprentice Bill in this manner, we are guaranteeing that the Government will fail in its mission of engaging, training and employing the youth.

I would like to make three points as to why we have not understood the fundamentals of the apprenticeship system. Firstly, the apprenticeship system is engaging and training the youth and qualifying them. They are developing the youth from being unemployable youth to employable youth. We are developing the youth. This is what is called as human resource development. Unfortunately, the subject has been addressed to the wrong Ministry. It is the main responsibility of the Ministry of Labour and Employment. Ministry of Human Resource Development should have been engaged with it.

There are three important points. Basically, you cannot become an electrician without having a certificate from the union or the guild. So, there are trade bodies for each vocation. If you set up an apprenticeship system without having bodies for each trade, it is like putting the cart before the horse. It is bound to fail.

Secondly, why would a youth go in for that? As some of the Members have said, the apprenticeship system was abused. It was abused in child labour and so on. It was illegally abused. Now we are going to legally abuse it. After all, what does a youth get? He gets Rs.1900. He is not guaranteed a job and he is not guaranteed quality training. Now, by passing the Bill, we are ensuring that the Government will not reach its main goal. I think, we cannot afford Prime Minister Shri Modiji to fail in his most important mission. The Bill has to go to the Select Committee. Otherwise, we are guaranteeing a failure of the Government in its most important mission.

श्री गणेश सिंह (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014 जो अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। दरअसल इस संशोधन से पहले वर्ष 1973, 1986, 1997 तथा वर्ष 2008 में भी संशोधन लाये गये थे। यह पांचवां संशोधन है। इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? आज देखा जा रहा है कि इस पुराने कानून में जो नियोजक है, उन्हें प्रशिक्षण देने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इस कारण वे इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं कर सके। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए सीएसी का गठन हुआ था। उस सीएसी ने अपनी सहमति दी कि इन-इन बिन्दुओं पर संशोधन करने से अधिक से अधिक शिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आज हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक आकलन दर्शाया गया है कि 4.9 लाख सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक मात्र 2.82 लाख लोग ही उसका लाभ उठा सके हैं। यह अभी पब्लिक सैक्टर में था। जो प्राइवेट सैक्टर है, उसमें और भी बड़ी संख्या है। प्राइवेट सैक्टर अभी इससे अछूता था। अब इस संशोधन में प्राइवेट सैक्टर को भी जोड़ने की बात रखी गयी है। यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है। मंत्री जी ने अभी कहा कि एक यूनिट अगर चार राज्यों में है, तब उसे इस प्रावधान के तहत लाया जायेगा। अब हो सकता है कि एक युनिट चार राज्यों में न हो, जैसे मैं जिस क्षेत्र सतना से आता हूं, वहां बड़े-बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं। अब उसमें एक ही यूनिट का सीमेंट प्लांट है, जो 6 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन करता है। वहां पर दो-ढाई हजार से लेकर तीन हजार तक वर्कर्स काम करते हैं। चूंकि एक ही यूनिट है और उसी यूनिट को हम छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि वहां के शिक्षुओं को लाभ नहीं मिल पायेगा। इसमें एक संशोधन किया जा सकता है कि अगर एक ही मालिक की दो यूनिटें उसी राज्य में हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल करने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है।

वैसे तो इस संशोधन विधेयक में काफी चीजें ऐसी शामिल की गयी हैं, जिनमें वाकई में बहुत सारी कितनाइयाँ देखने को मिलती थीं। उनमें जो अर्द्धकुशल कारीगर थे, उनको न्यूनतम मज़दूरी कितनी मिलेगी, पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इस संशोधन विधेयक में उसकी व्यवस्था भी क्रमबद्ध रूप में होगी और उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा। इसी तरह से, पहले जो अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं करता था, तो उसके लिए छः महीने के कारावास का प्रावधान था, इसमें भी एक संशोधन आया है। उसमें वे कतराते थे और काम नहीं करते थे, तो उनको सिर्फ आर्थिक जुर्माना तक ही सीमित रखा जाए, यह भी एक स्वागतयोग्य कदम है। इस अधिनियम में जो संशोधन हुए हैं, पहले के जो प्रावधान थे, उसके अनुसार काफी लोग इससे अछूते रह जाते थे, जैसे आईटीआई से प्रशिक्षण लेने वाले बेरोजगार हैं, जब वे किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में

नौकरी के लिए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में तो प्रावधान था कि प्रशिक्षण देने के उपरांत यदि वहां पर पद रिक्त है, तो उनको वहां पर सर्विस मिलती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा प्रावधान नहीं था। मुझे लगता है कि इसे भी जोड़ा जाना चाहिए। जो आईटीआई पास बच्चे हैं, जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, चूंकि वहां पर पद रिक्त हैं, तो वहां उनको नियमित रूप से काम मिले, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए। काफी बातें इसमें स्पष्ट की गयी हैं और आने वाले समय में इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा।

हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में इतने नौज़वान हैं, दुनिया में ये सबसे ज्यादा हमारे देश में हैं, 65 फीसदी आबादी नौज़वानों की है, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जाए? हमें इन्हें स्किल्ड कैसे बनाना है? दुनिया में हमारी पहचान स्कैम इंडिया के नाम पर हो चुकी है। हम इसे स्किल्ड इंडिया बनाना चाहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में इनको कैसे कौशलयुक्त बनाया जाए, कैसे इनको टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए ताकि ये पूरे देश-दुनिया में अच्छे रोज़गार कर सकें, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। जिस देश में युवाओं की इतनी संख्या हो, जैसे वर्ष 2022 तक 3470 लाख अतिरिक्त कुशल जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी, ऐसा एक अनुमान आया है। तो इतने कुशल लोगों को हम कहाँ ढूढ़ेंगे, जब तक हम इन्हें टेक्नीकल प्रशिक्षण नहीं देंगे। आज बड़ी संख्या में बेरोजगार नौज़वान हमारे देश में हैं। अभी हमारे एक मित्र यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। वे कह रहे थे कि नौजवानों के पास डिग्री तो है, लेकिन टेक्निकल एज्केशन नहीं है। टेक्निकल एज्केशन न होने के कारण उनको काम नहीं मिलता। एम.ए., एम.कॉम, बी.एस.सी. की डिग्री लिये हुए लोग घूम रहे हैं, नौकरी ढूढ़ते फिर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन न होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज जरूरत इसी बात की है कि ऐसे जो पुराने कानून हैं, उन कानूनों में संशोधन किए जाएं और जो संशोधन विधेयक यहाँ पर माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर वह स्वागतयोग्य है। आज दुनिया के दूसरे देशों की तरफ जब हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि जर्मनी में तीन मिलियन, चीन में बीस मिलियन और जापान में दस मिलियन से ज्यादा प्रशिक्षित लोग हैं। इसीलिए उन देशों की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई है। तो आज जरूरत इसी बात की है कि इस विषय पर हम लोगों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूँगा। जो आईटीआई प्रशिक्षित बच्चे हैं, जो नियोजक है, मान लीजिए कि अभी सात और एक का एवरेज़ है, यदि सात श्रमिक उनके यहाँ काम करते हैं, तो उस पर एक प्रशिक्षित श्रमिक रहेगा। मुझे लगता है कि उसकी संख्या और घटानी चाहिए। इसमें तीन और एक का एवरेज़ रखना चाहिए। जो उनको मजदूरी मिलती है, जो पारिश्रमिक मिलती है, जो प्रशिक्षण शुल्क मिलता है, वह बहुत कम है, वह मात्र 2400-2800 रुपए हैं। मेरा विचार है कि उस

राशि को भी बढ़ाये जाने की जरूरत है। इस प्रावधान के तहत केन्द्रीय संस्थानों में तो इस प्रकार की सुविधा दी गयी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है। मंत्री जी ने इसमें संशोधन लाकर निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम उठाया है। अभी हमारे मित्रगण कह रहे थे कि इस पर चर्चा कराने के पूर्व इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर स्थायी समिति तो अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं, जब देश में बेरोजगार नौजवानों की जरूरत को देखते हुए, आज बेरोजगार नौजवानों के लिए जरूरत है। बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी इधर-उधर भटक रहे हैं। इन कठोर कानूनों के कारण शायद उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में अगर कोई सीधा निर्णय लेना पड़े, तो लेना चाहिए। संसद सर्वोपरि है, इसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यहां चर्चा पूरी तरह से हो रही है और इस बिल को पारित करके कानून की शक्ल में परिवर्तित करना चाहिए। मेरा यह सभी साथियों से निवेदन है।

मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to participate in the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

It is true that we need skill because we believe that efficacy of skill can kill the pangs of unemployment. There is an adage that well begun is half done and apprenticeship seems to be the training of the beginner for the job market. It intends the promotion of new skilled manpower and honing the old skill so as to adopt to the emerging job market.

I will simply draw the attention of the hon. Minister to the memorandum regarding delegated legislation in the Bill. I am of the personal view that what you consider as a matter of procedure and detail requires thorough scrutiny by this House or by the Parliamentary Standing committee.

The Bill does not talk about the level of stipend which will be paid to them. The current stipend levels ranging from Rs. 1,090 to Rs. 1,620 for trade apprentices and Rs. 1,440 to Rs. 2,600 for graduates and technicians are so low that they do not even cover the cost of transportation of the apprentices. Further long duration of training at such low levels makes the programme unattractive for a large section of candidates.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to clause 9. It states that the weekly and daily hours of work of apprentices while undergoing practical training in a workplace shall be as determined by the employer. What safeguards are there to ensure that these poor apprentices are not over-exploited or made to put in more hours of work than what is reasonable? Do you have any regulatory framework in place to check this kind of aberrations?

Again, there is no short term and long term requirement of skilled manpower in various sectors because there is no sector-wise standardization that has been expressed in this Bill. For example, if you take the aviation sector, as per Government estimates, over five lakh skilled workers would be needed in the aerospace and aviation sector over the next ten years. Similar is the situation in food processing industries, healthcare, manufacturing, tourism and hospitality and other sectors. I would like to know whether the Government is well equipped with the requisite infrastructure to create and

impart skill to the youths. Therefore, I would propose that the Government should take the initiative for the creation of infrastructure under corporate social responsibility because it will help a lot.

There is also a feeling that the current curriculum is outdated. Moreover, there is also no uniformity across the country with regard to the entrance examination for admission to ITIs. All these things including upgrading the infrastructure in ITIs require immediate attention. They have to be attended on a priority basis.

Therefore, there is a lot more to be done through this legislation. I do not have any dispute with the intent of this legislation. But the fact is that there are many lacunae which are observable and they need to be obviated. We know that there is a demand for health safety and welfare measures for apprentices; there is a demand for leave and holidays for them. The employers' liability to pay compensation for injuries has not been explicitly depicted here.

I would also suggest to the hon. Minister that the Ministry may appoint National Advisory Committee. That Committee can include all the stakeholders including representatives of employers, representatives of labour, educated officers of other executive departments. If we want to make it a comprehensive legislation, we should take all the stakeholders into confidence. The intention of the Bill is to develop the competence level of the apprentices and that intention should be realized.

Sir, I shall be very brief; you have already warned me that there is shortage of time.

Apprentice is a powerful vehicle for skill development; it lubricates the labour market from rural to urban, from unorganized to organized, from subsistence level to decent wage living. That is why, it acts as a lubricant in the apprentice market. But I find that this Government is in a hurry to pass the legislation, which is contrary to its intention. The Government recognizes itself as a Government for the corporate, by the corporate and of the corporate.

HON. DEPUTY SPEAKER: I told you already that we are not going to have lunch-break today.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I will not take much time. I support this Apprentice (Amendment) Bill, 2014.

What is the strength of India? Mainly, it is human resource. Within a short span of time, how China became a super power? It is only with the help of human resource. But unfortunately, in our country, even though human resource is available, we are lagging behind in skilled manpower. So, I strongly feel that this Bill will definitely help improve competency levels of our human resource. But I suggest one or two points.

At the time of apprenticeship, the remuneration that is being paid to them is very low. I would request the hon. Minister to increase the payment. Secondly, at the time of apprenticeship, the facilities must be extended to apprentice people, as is being done in the case of the permanent workers. The third is that we have to change the educational system. There is a lot of difference between the industry expectations and institutional training. He may be 10th class or inter-mediate or ITI or diploma, but he requires a lot of practical training at the school and college levels. If it is done, when they come for job, definitely they would cope up very quickly. But unfortunately, in our educational system, we are giving a lot of importance for marks and theoretical knowledge than the practical knowledge. That is why, even though lakhs of people are being educated in this country, a very few are getting jobs. So, I would request the hon. Minister not only to pass the Bill, but from the Government of India, he should enforce the corporate sector – it is the corporate social responsibility – to improve the technical skills of the Indian Improving technical skills of the Indian youth should be made vouth. mandatory for all the corporate companies in India as then only the industries will progress and the country will progress. With these few words, I support the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir. Many of my esteemed colleagues have already expressed their concerns regarding Apprentices (Amendment) Bill. I too share their concerns and my view is also that this Bill needs detailed scrutiny and hence should be sent to the Standing Committee.

Sir, India has the youngest labour force with 12 million new entrants in the labour market every year. Only 2.5 per cent of the employees have any certified skills. This points to the utter lack and total failure of training facilities in our country.

Sir, we hear a lot about demographic dividends. How will we be able to reap the benefits of demographic dividends? Benefits of demographic dividends can be reaped only if proper training and skill development schemes are there. Why the apprentices training schemes have failed? The Government has accepted that the performance of apprentices training schemes is not satisfactory and a large number of training facilities available in the industry are going un-utilised thereby depriving unemployed youth to avail the benefits of ATS. Why this has happened?

This has happened because private employers are not taking up the responsibility of imparting training to the new entrants in the labour market. They are not interested to do that. They are only interested in recruiting trained labour force. They only want finished products. They do not want to recruit apprentices and give them proper training. In their quest to maximize profits, they are searching for trained labour. They are searching for finished products. What should we do?

Why they are not doing this is, because this Act is rigid. The reason being put forward is since the Act is so rigid, proper skill development training is not being imparted. It is not because of that. Is it because there is a penal provision for imprisonment? You are taking away that provision now. Is it because of that? No. Can you give a single example of sending some employer to jail for violating this Act or any other labour law? In the entire history of our country not a single employer has been sent to jail or imprisoned

due to violation of labour law. Is that the reason? These are only arguments for the sake of argument and I do not agree with this.

Secondly, no absorption is taking place. After training, no absorption is taking place. My suggestion would be to link the incentives given to corporate industry to employment.... (*Interruptions*) I will conclude in two to three minutes. This is an important Bill. This is not going to be sent to the Standing Committee. At least, let us have a detailed discussion here.

So, for ensuring absorption of apprentices you should link the incentives given to industry to employment. In the name of growth you are giving lakhs and crores of rupees as incentives. Let it be linked with employment.

Thirdly, coming to the Bill, why is proper training not happening? It is because these employers are not interested in giving training. They are more interested in recruiting cheap labour in the name of apprentice and training. Sir, you come from Tamil Nadu. I can give you a lot of examples, especially from Tamil Nadu and textile sector where 90 per cent of the workforce of a factory is branded as apprentice or trainees.

Why are they recruited as trainees? It is because if they are recruited as trainees, they will not come under any Act; no labour laws are applicable; no minimum wages are to be paid; and no other benefits are to be given. This is nothing but blatant violation of Apprentices Act. You should look into this aspect and this should be changed.

This Bill is giving free hand to employers. It says that the hours of work and leave will be as per the discretion of employers. This is giving a free hand to employers. This should not be left to whims and fancies of the employers alone.

Finally, before bringing such an important Bill, you should have discussed it with stakeholders. I am sure you have not discussed it with stakeholders. You should have discussed it with various trade unions and youth organisations. Anuragji is sitting here. He is the President of a youth organisation. I am also representing a youth organisation called, Democratic Youth Federation of India. You should have discussed it with all stakeholders. You have not even consulted your own trade union, namely, BMS, which is

staunchly opposing this piece of legislation. You have not been able to convince even BMS which is your own trade union. You might have uploaded this Bill on the website but there was no detailed discussion. There was no consultation with stakeholders, that is why, I am demanding that this Bill should be sent to the Standing Committee for detailed scrutiny and discussion.

श्री ओम बिरला (कोटा): उपाध्यक्ष जी, आज यह जो बिल लाया जा रहा है, वर्ष 1961 में इसका एक्ट बना। उसके बाद वर्ष 1974, 1986, 1997 और वर्ष 2008 में संशोधन किए गए। जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ और जिस तरह से पड़ोसी देश में रोजगार सृजन और प्रशिक्षित नौजवान तैयार हुए, उसके कारण आज हमें वर्तमान परिस्थिति के अंदर इस देश में हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले अच्छे अनुभव और हर कला में दक्षता की आवश्यकता है। दुनिया जानती है कि भारत आने वाले समय में नौजवानों का देश होगा, इसलिए हमारे जो मानव संसाधन सृजन हैं, उन्हें डेवलप करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा इस बिल को लाने के पीछे जहां हमारे देश के अंदर उन नौजवानों को प्रशिक्षित करना हैं, वहीं इस तरह के संशोधन किए हैं, जिनका मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, सैक्शन-6 के अंदर जो परिवर्तन किया है, उसमें ट्रेनिंग के सब्जेक्ट लोकल डिमांड पर आधारित होने चाहिए और स्टेट काउंसिल द्वारा प्रस्तावित किए जाने का प्रावधान होना चाहिए। जिस प्रदेश के अंदर जिस तरह की इंडस्ट्री लग रही है अगर हम अप्रेंटिसशिप वहां की लोकल इंडस्ट्री के आधार पर चलाएंगे, जिस तरह से गुजरात में परिवर्तन हुआ। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की धरती पर जिस तरीके से अलग-अलग इंडस्ट्री के साथ आस-पास के नौजवानों को रोजगार मिल सके, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की। जहां जिस तरीके का उद्योग हो, उस तरह की दक्षता की ट्रेनिंग हो, तो शायद नौजवानों को बहुत दूर जगहों पर नौकरी करने के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा।

मोरबी में टायल्स की इंडस्ट्री है, अगर सरकार का विज़न न हो कि वहां पर अलग-अलग इंडस्ट्री लगाएंगे, अलग-अलग ट्रेड करेंगे, तो कैसे होगा? गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन किया है। सैक्शन 9 में जो विषय जोड़ा गया है, वह महत्वपूर्ण है। सैक्शन 9, 8 में सैक्शन जोड़ा गया है। 75 परसेंट तक नौजवान आकर्षित नहीं होते थे क्योंकि पहले जो कानून था, उसमें न उद्योग कोशिश करते थे न एपरेंटिस कानून में नौजवानों को एपरेंटिसशिप करने का लाभ मिलता था। अब इन सैक्शनों में परिवर्तन किया गया है। इतना ही नहीं सैक्शन 14 में जो नौजवान दुकानों पर नौकरी करते थे, उनको भी ट्रेड वाइज प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस कानून को और लचीला बनाना चाहिए। राज्य को और अधिकार देने चाहिए तािक हर इंडस्ट्री को ट्रेनिंग और तमाम व्यवस्था करने का अधिकार मिले। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जो संशोधन लाए हैं, बहुत बेहतर है लेकिन और ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है तािक इस देश को स्वाबलंबी बनाया जा सके। भारत का नौजवान आने वाले वर्षों में अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षित बने, इस ढंग से काम करने की आवश्यकता है।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Hon. Deputy-Speaker, this amendment to the Apprentices (Amendment) Act is very much necessitated because India is a fast developing economy and in the formation of human capital this kind of a legislation will be helpful. Earlier also we had made an amendment to the parent Act in 1973, in 1986, 1997 and in 2007. The purpose of the amendment is very clear.

This is intended at widening the scope of the existing Act and to create opportunities for youngsters to get more practical training and attain skills, knowledge and also to simplify the process for registration of apprentices and for exchange of information through a portal site and employability enhancement programmes are also envisaged in this.

Under-employment is a problem in our country. If people attain skills, then that will give a lift to higher employment. Manpower generation should be in accordance with the need in the employment market. We all know that there is a gap. What is that gap? In schools the students attain certain skills but skill attained in the schools and skill required in the employment market is different and there is a gap in between . The provisions of this Apprentices Act will certainly bridge up that gap to an extent.

Sir, we require 500 million skilled workers by 2022. We have to foresee that skill development is linked with economic, employment and social development programmes. When we make planning for formation of human capital, it should be done in a scientific way. We have to discuss a very important thing and that is about conversion of our employment exchanges to career guidance centres. Now, what is happening? We are having problems in finding the right man for the right job. That problem has to be addressed. So, the employment exchanges will have to be converted into career guidance centres also.

Regarding formulation of the courses my friends were saying that we have to restructure and redesign the courses to meet the demand in the employment market. Similarly, whether it is an engineering college, or

polytechniques or an ITI, it should be reachable to the marginalized and poorer sections of the society.

Similarly, another important area is that we must have linkage with industrial establishments and educational institutions. That is also very significant while discussing this topic.

We are having the National Council for Vocational Training. I suggest that we must take emergent action to revamp NCVT. \Coming to ITI, we know that it is a very good institution. It is having wide scope but unfortunately, almost all the courses offered in ITI are outdated courses. So, we have to redesign the courses according to the need in the employment market.

Towards the end, I suggest that the community college concept in Kerala is very important. Villagers also get training, short term courses and long term courses. That concept can also be tried.

I would like to say that 65 per cent of our population is below the age of 35. It is an asset for our country. If we make scientific planning of human resource, I wish to say that India can conquer the employment market of the world.

With these few words, I conclude.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Mr. Deputy-Speaker Sir, for giving me this opportunity to participate in the Apprentices (Amendment) Bill, 2014.

The present Bill aims to address a majority of the issues related to apprentices training schemes. This adds to the capacity building of many of our young people, specially in the manufacturing sector.

In this particular Bill, I would like to flag one provision. Though I agree with the spirit of that provision that we need to encourage apprentices from other States, in places like Sikkim, we would like to have the first charge of all the apprentices position which come up in the companies or the institutions that will give these kinds of skill development training. Even though the spirit of the Bill says that in case there is a vacancy, you can bring the requisite apprentices from other States, I think, the first charge should be with the State. In this respect, whilst framing the rules, I think this particular portion needs to be taken care of and I request the hon. Minister, through you, to make sure that the State Governments can frame the rules in this particular regard.

As far as the other things are concerned, this particular Bill has certain provisions which would make it at par with the requirements of time and therefore, I support the Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I thank you very much, Mr. Deputy-Speaker Sir, for giving me this opportunity to speak.

I am also of the opinion that this Bill, which is having great ramifications with respect to the new employment market especially in the case of apprenticeship, be referred to the Standing Committee of Labour and Employment. This is the first Bill which the NDA Government is presenting in this House which is starting with the labour reforms. They have got the spirit of labour reforms from the Rajasthan Government which have made some amendments in the Factories Act, the Apprentices Act and other labour legislations.

So, the first objection to the Bill is that there is no consensus in the tripartite mechanism. There are so many organisations, like National Labour Conference, etc. in which these matters are discussed thoroughly. A national consensus has to be arrived at in respect of labour reforms. Unfortunately, on this Bill there is no national consensus in the Indian Labour Conference or in any tripartite mechanism in which all the stakeholders are present. There is no such mechanism for arriving at consensus over these reforms in the labour sector, especially in the Apprentices Act of 1961. That has to be taken care of because it is the democratic right of the workers. They should have a say in respect of the reforms and the workforce should be given an opportunity. That is point number one.

The Statement of Objects and Reasons also states that this is to enhance the training and employment of the new workforce. They have to be given proper training. This is the main object of the Bill. But will that aim be fulfilled by the new provisions of the Bill? That is my main question. Almost all hon. Members who spoke before me have narrated the employment scenario, and the skilled labour scenario in our country.

During the last year, that is during 2013-14, only 2.82 lakh apprentices were appointed as against the existing vacancies or existing apprenticeship seats of 4.9 lakh. Though there is a capacity for 4.9 lakh, only 2.82 lakh apprentices were filled. It means the employers or the entrepreneurs or the corporates or the industry are not willing to accept and give proper training to

these new entrants who are coming out of IITs or polytechnics. So, what is the intention of this legislation?

Now, we are amending the legislation so as to give more flexibility to the employers or the industry. The stringent provision of imprisonment is being taken away. That provision is going to be amended. So, what would be the fate of new generation aspirants as far as getting training, especially in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and the weaker sections of the society? Only because there was a mandatory provision in the 1961 Act, they were engaged as apprentices. Otherwise, they would not have done it. We are having a stringent provision in the 1961 Act which says that they have to engage such and such number of apprentices in the industries. Even then they are not allowing these poor people to get inside. Suppose, that stringent provision in the original Act is taken away by means of this amendment, definitely that would adversely affect the poor and the common people who are coming from the downtrodden families. That would be the impact of this Bill.

We are all talking about skill development. The hon. Prime Minister, while replying to the debate on the Motion of Thanks to the President's Address, had said that the Government wants to turn "Scam India" into "Skill India". If that is the case, will the proposed amendment help make India a skilled nation? To my mind 'no'. The deprived sections of the society will be further deprived of its right to have proper training in the industry. That would be the impact of this Bill. ... (*Interruptions*)

I would like to just speak on two or three provisions. If you go through the Bill, you will find that a new provision has been incorporated, that is 'optional trade'. That is very crucial as far as industry is concerned. 'Optional trade' means any trade or occupation or any subject in engineering or non-engineering or technology or any vocational course as may be determined by the employer for the purpose of this Act. This 'optional trade' will not come within the definition of 'trade apprentice'. If you go through the definition in sub-clause (q), 'trade apprentice' means 'apprentice' who undergoes apprenticeship training in any designated trade. So, this is applicable only to

the designated trade and not to the 'optional trade'. So, I would like to seek a clarification from the hon. Minister on that. In the case of 'optional trade', qualification of the apprentice, grant of certificate, etc. are determined by the employer. So, employer has been given more authority and flexibility. So, that would adversely affect the common people, especially those who are coming from the downtrodden families.

With these words, I conclude.

103

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके उपाध्यक्ष बनने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे द्वारा जो भारत सरकार की ओर से बिल प्रस्तुत किया गया, उस पर विचार-विमर्श आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। आज शिक्षु अधिनियम, 1961 में हम लोग संशोधन लेकर आए हैं। इस बिल पर बहुत ही गम्भीरता से सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय सुरेश जी, श्री दुष्यन्त सिंह जी, श्री सौगत राय जी, श्री परसुरमन जी, श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान जी, श्री विनायक जी, टी.आर.एस. के हमारे रेड्डी जी, श्री गणेश सिंह जी, श्री अधीर रंजन जी, श्री एम. श्रीनिवासा राव, श्री एम. बी. राजेश साहब, ओम बिरला जी, मोहम्मद बशीर जी, पी.डी. राय साहब, एम. के. प्रेमचन्द्रन जी, सभी लोगों ने बिल की मूल भावना से अपनी सहमति जतायी है और सबकी यह मान्यता है कि देश में अप्रेन्टिस बढ़ने चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। यह समय की आवश्यकता है और इस दृष्टि से सरकार ने जो कदम उठाया है, वह अपने स्तर पर ठीक है। कुछ बिन्दुओं पर निश्चित रूप से सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं उसे जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा। सामान्यतः जब कोई भी बिल कोई भी सरकार लाती है तो वह बिल जल्दबाजी में नहीं होता है। बिल के पीछे काफी एक्सरसाइज होती है, इसकी एक प्रक्रिया होती है और बमुश्किल कोई संशोधन या नया बिल मूर्त रूप लेता है तब वह इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आता है।

आज हम प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के पांचवें संशोधन पर विचार कर रहे हैं। वर्ष 1961 में प्रशिक्षु अधिनियम बनाया गया था यानी आज से 53 वर्ष पूर्व बनाया गया था। उसके बाद वर्ष 1973 में, 1986 में, 1997 में, 2007 में इसमें संशोधन हुए। उस समय की जो तत्कालीन आवश्यकता थी, मैं यह मानता हूं कि जिसने भी सोचा होगा, वह सही सोचा होगा और उस आवश्यकता के अनुसार बिल भी बना और समय-समय पर संशोधन हुए। देश में आबादी बढ़ रही है, विधायें बढ़ रही हैं, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है। उसके साथ-साथ बदलते हुए युग में कई बार अनेक कानून भी अप्रांसगिक या अनुपयुक्त हो जाते हैं। उनको निरसन करना भी आवश्यक होता है और आगे बढ़ने के लिए उनको बदलना भी आवश्यक होता है। इस दृष्टि से जब शिक्षु अधिनियम में पांचवीं बार संशोधन करने की बात आयी तो यह प्रक्रिया वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुयी और एक समूह बना। उस समूह ने विस्तार से विचार-विमर्श किया और वर्ष 2010 में यह केन्द्र की मंत्रिपरिषद में भी प्रस्तुत हुआ। मंत्रिपरिषद ने कुछ और विचार जोड़ते हुए एक वर्किंग ग्रुप बनाया, जिसमें इस प्रकार के सुझाव थे कि राज्यों से, बाकी नियोक्ताओं से, ट्रेड यूनियंस से सम्पर्क किया जाए। इसलिए हम लोगों ने जून, 2014 में राज्यों के श्रम मंत्रियों की भी बैठक की। इसके लिए ट्रेड यूनियंस से भी सम्पर्क किया। इसके पूर्व जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट बनी थी, सेंट्रल अप्रेन्टिसशिप काउंसिल है, सेंट्रल कमीशन

ऑन लेबर जब बना था, इंडियन लेबर कान्फ्रेंस जो थी, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है, इन सब लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए। उन सारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह संशोधन विधेयक आया। जो प्राप्त सुझाव थे उस पर मंत्री समूह द्वारा भी विचार हुआ और उसमें रेलवे, एम.एस.एम.ई. और डिफैन्स के भी प्रतिनिधि थे। तत्पश्चात् यह पूरा का पूरा संशोधन विधेयक 26 जून से 15 जुलाई तक वैबसाइट पर डाला गया। वैबसाइट पर लोगों ने अपने सुझाव भी दिये और समर्थन भी किया। अनेक राज्यों से भी समर्थन आया और इन सबके बाद हम लोगों ने 11 जुलाई को सी.एस.ई. की मीटिंग की। सी.एस.ई. की मीटिंग में नियोक्ता भी थे, विवादाधिकारी भी थे और ट्रेड यूनियन के लोग भी थे। उसके बाद हम लोग इस संशोधन को आपके समक्ष निश्चित रूप से लेकर आए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह अप्रैन्टिसेज़ अमेंडमैंट बिल निश्चित रूप से समय की आवश्यकता की पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

महोदय, इस बिल को स्थायी समिति में भेजने की बात भी आई। इसे भेजने पर विचार भी किया जा सकता है लेकिन जितनी तेज़ी से शिक्षुता की बात देश में चल रही है, जितनी आवश्यकता महसूस की जा रही है और इतने सारे स्तरों पर यह सारी बातचीत और चर्चा हुई है तो उसके आधार पर लगा कि जब बड़े सदन में चर्चा हो जाएगी तो यह चर्चा पूर्ण होगी और इस पर निश्चित रूप से जो सुझाव आएँगे, उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह विधेयक शिक्षुओं की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक है। अभी अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो हमारा अप्रेन्टिसेज़ एक्ट है, इसके माध्यम से पूरे देश में 4.9 लाख अप्रेन्टिस सीट उपलब्ध हैं और उनके विरुद्ध हमारी उपलब्धि 2.8 लाख है। जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं तो जर्मनी में 30 लाख है, चीन में दो करोड़ है, जापान जैसे छोटे देश में 1 करोड़ अप्रेन्टिस हैं। अगर हम देश में भी इस प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना चाहते हैं, देश की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं और विश्व की प्रतिस्पर्द्धा में भी हम समान रूप से खड़े रहना चाहते हैं तो भी इस दृष्टि से हम लोगों की आवश्यकता जो इस बिल के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, वह निश्चित रूप से उचित है। इससे पहले जो अधिनियम उपलब्ध था, उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थीं क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे थे, जैसे इंजीनियर, डिप्लोमाधारी, ये लोग अप्रेन्टिस हो सकते थे। अगर ये नहीं मिलते थे तो कारखानेदार की मजबूरी होती थी कि वह किसे रखे। फिर इंस्पैक्टर राज खड़ा हो जाता था। इंस्पैक्टर राज जब कार्रवाई करने की बात करता था तो एडजस्टमैंट की नौबत आती थी। इस अधिनियम के बँधे होने के कारण जो शिक्षुओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी और नियोक्ता की रुचि होनी चाहिए थी, वह घट रही थी और उसके कारण अप्रैन्टिस नहीं बढ़

पा रहे थे। स्टाइपैंड की जो स्थिति थी, अनेक सदस्यों ने कहा कि वह बहुत अच्छी नहीं थी। हम नियमों में उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो वर्तमान में उपलब्ध अधिनियम था, यह छोटे कारखानों के लिए एकदम व्यावहारिक नहीं था।

एन.डी.ए. की सरकार ने निश्चित रूप से जब इस अधिनियम पर विचार किया, विभाग में विचार हुआ, विभाग के बाद मंत्रिपरिषद् में विचार हुआ और मंत्रिपरिषद् में विचार करने के बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है तो मैं निश्चित रूप से अपने आपको गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं, वह अप्रैन्टिस की संख्या बढ़ाने वाले हैं और देश की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले हैं।

14.00 hrs

यह अधिनियम पारित होने के बाद प्रशिक्षुओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। यहां स्टाइपण्ड की बात भी आयी थी। स्टाइपण्ड पर हम लोगों ने काफी विचार किया है और यह प्रयत्न किया है कि उसकी ऐसी स्थायी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि उसमें बार-बार संशोधन की आवश्यकता न पड़े। हम लोगों ने तय किया है कि अर्द्धकुशल कारीगर, जो कि किसी कारखाने में काम करता है, उसके मानदेय का 70 से 80 प्रतिशत के बराबर अप्रेंटिस को मिलेगा। यह मिनिमम वेजिस से भी ऊपर होगा। अभी सामान्य तौर पर 2100 रुपये अप्रेंटिस को मिलते हैं, कहीं 1900 रुपये भी हो सकता है, कहीं 2300 रुपये भी हो सकता है। यदि कोई कोर्स तीन साल का है तो पहले साल 70 प्रतिशत मिलेगा, दूसरे साल उसको 80 प्रतिशत मिलेगा और तीसरे साल उसको 90 प्रतिशत मिलेगा। जब अर्द्धकुशल कारीगर की मानदेय बढ़ेगी तो उसका भी यह 70 प्रतिशत हो जाएगा। इसलिए इसको प्रतिशत से जोड़ा गया है, राशि से नहीं जोड़ा गया है, ताकि आगे भी इसका समाधान निरन्तर होता जाए। इसके अनुसार बिहार में एक अप्रेंटिस को उ990 रुपये 70 प्रतिशत के अनुसार मिलना शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ में अर्द्धकुशल कारीगर की तनख्वाह से प्रतिशत जोड़ें तो यह 6624 रुपये होगी। स्वाभाविक रूप से एक प्रशिक्षु किसी क्षेत्र में काम करने आ रहा है और उसको छः हजार रुपये मिल रहे हैं, बिहार में भी चार हजार रुपये मिल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुधार है।

पहले प्रशिक्षुओं पर कोई नियम-कानून लागू नहीं होता था। उनको छुट्टियां नहीं मिलती थीं, वह कितनी देर काम करेंगे, यह भी नियोक्ताओं पर निर्भर रहता था। मेरे कई मित्रों ने भी कहा कि प्रशिक्षुओं का शोषण होता था, लेकिन अब किसी भी एप्रेंटिस का शोषण किसी भी कारखानेदार के द्वारा नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का काम हमारे इस बिल के माध्यम से होगा। अवकाश, शिफ्ट और छुट्टियों के नियम भी नियमित मजदूरों पर लागू होते हैं...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): जब उनके लिए पिनशमेंट ही नहीं है तो कौन आपके कानून से डरेगा? कानून होने के बावजूद भी लागू नहीं हो पाते हैं, फिर आप तो पिनशमेंट ही नहीं रख रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: खड़गे जी, मैं आपकी बात पर भी अभी आऊंगा। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों पर जो अवकाश के घण्टे लागू होंगे, वही प्रशिक्षुओं पर भी लागू होंगे। कोई यह नहीं कह

पाएगा कि यह आठ घण्टे काम करेगा और यह 12 घण्टे काम करेगा। यदि उनको चार छुट्टियां मिलेंगी तो इनको भी चार छुट्टियां मिलेंगी। यह हम इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह उद्धृत किया था कि जो लघु और मझोले उद्योग हैं, उनमें प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार पचास प्रतिशत राशि भी उपलब्ध कराएगी। इस बिल के माध्यम से यह योजना भी सफल होगी और हमारे प्रशिक्षु बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करके एक कुशल कारीगर बनने की स्थिति में आ पाएंगे।

महोदय, कॉन्ट्रैक्ट श्रिमकों की बात यहां आयी है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट श्रिमकों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इसमें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले कारखाने में उस क्षेत्र के जो पंजीकृत मज़दूर संगठित होते थे, उसी संख्या में एप्रैन्टिस की सीटें निश्चित होती थीं। अब हम ने इस के माध्यम से यह तय किया है कि उस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस कैम्पस में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वह सुरक्षा अधिकारी हो या गेट का चौकीदार हो, वे भी उसमें जोड़े जाएंगे। जब यह संख्या जुड़ेगी तो निश्चित रूप से उस अनुपात में एप्रैन्टिस की संख्या बढ़ेगी, इसलिए हम लोगों ने यह प्रावधान करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक उद्योग में इंडस्ट्री को ढाई प्रतिशत से लेकर दस प्रतिशत तक प्रशिक्ष रखना सुनिश्चित करना होगा। अब जब हम ढाई प्रतिशत और दस प्रतिशत कर रहे हैं तो कुछ लोग तो यह कह सकते हैं कि यह आंकड़ा कम है, लेकिन में आपको बताना चाहता हूं कि यह आंकड़ा कम नहीं है। यह पूरा अधिनियम उन सारे कारखानों पर लागू होगा, जिनकी संख्या पांच मज़दूरों से अधिक है। आज अगर हम रेलवे को देखें तो रेलवे में श्रमिकों की जो कुल संख्या है, उसके आधार पर एप्रैन्टिस की सीट्स 16,000 बनती हैं। इस अधिनियम के पारित होने के बाद अगर ढाई प्रतिशत एप्रैन्टिस भी रेलवे लेगा तो प्रशिक्षुओं की 40,000 सीटें बढ़ेंगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

(Interruptions) ...*

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कहीं हैं। हमारे मित्रों ने कहा है कि अगर किसी श्रमिक को इंज्यूरी हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक की धारा-16 में जो वर्कमेन कम्पेनसेशन एक्ट है, वे उसमें कवर होते हैं, इसलिए इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान)

सी.एस.ई. का गठन पिछली सरकार में हुआ था। उसके अनुसार ही हम लोगों ने जो उन्नत सुझाव दिए थे, उन सुझावों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है।...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

अधीर रंजन जी, आप अधीर मत हों।...(व्यवधान) मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज एन.डी.ए. की गवर्नमेंट बनी है तो जनता के आशीर्वाद से बनी है।...(व्यवधान) अगर आपने कोई काम शुरू किया है और उस काम को पूरा करने का अवसर जनता ने हमें दिया है तो इसमें आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, no comments please.

... (Interruptions)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इसी सदन में कुशलता को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। यह हमारी आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रति भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार प्रतिबद्ध है। यह एक्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

महोदय, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ष 2011-12 में एक सर्वेक्षण हुआ था और वर्ष 2005 में आर्थिक जनगणना हुई थी। उसमें उद्योग और सेवा के क्षेत्र में दोनों के जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं, उनमें 24.2 करोड़ कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसी संख्या आई थी। इनमें 12 करोड़ कर्मचारी वे हैं, जो स्वयोजनागतरत हैं, मतलब मैं स्वयं ही रोजगार कर रहा हूं और अपना रोजगार कर रहा हूं, ऐसे लोग भी हैं। दो करोड़ सात लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जो उन कारखानों में काम करते हैं, जिनमें मजदूरों की संख्या पांच से कम है, जो इसमें कवर नहीं होंगे। पिछले दिनों 4.29 लाख प्रशिक्षु की सीटें थीं, अगर हम इन सारे आंकड़ों को सामान्य तौर पर जोड़ें तो ध्यान में आएगा कि पांच से कम जो नियोक्ता हैं, उन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को घटा दें, स्वरोजगारियों को भी घटा दें तो 9.5 करोड़ संख्या आएगी। अगर इसके अनुसार हम प्रशिक्षु की संख्या को जोड़ेंगे तो इस अधिनियम के पारित होने के बाद देश में एप्रैन्टिस सीटें 4.29 लाख से दो-तीन वर्षों में बढ़ कर 23.75 लाख हो जाएंगी, यह मोदी सरकार का एक क्रांतिकारी कदम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय खड़गे जी, मुलायम सिंह जी तथा बाकी सभी पार्टियों के विष्ठ लोग, सौगत राय जी, प्रेमचन्द्रन जी यहां बैठे हैं, मैं अपने पक्ष के माननीय सदस्यों से और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक एक तौर से प्रशिक्षण, एप्रैन्टिस की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी है, इसको आप सर्वसम्मित प्रदान करें और इसे पारित करने की कृपा करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put the motion for consideration of the Bill.

... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, please allow me to seek a clarification.
... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: How can you ask when I have started the process? I will allow you at the third reading stage.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, this is not the way. He is the initiator of the discussion on this Bill. He wants to ask a clarification. Please allow him. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will allow him to seek a clarification. Let him speak at the third reading stage.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Apprentices Act, 1961, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 2

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:

Page 2, *for* lines 28 to 31—

substitute '(r) "worker" means any persons working in the premises of the employer and is employed and paid wages directly by the employer.'. (1)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 1 to clause 2 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5 Insertion of new sections 5 A and 5 B

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Prem Das Rai, are you moving your amendment?

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I am not moving my amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clauses 5 to 12 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 5 to 12 were added to the Bill.

Clause 13 Amendment of Section 30

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:

Page 5, line 9,—

after "seats are filled up"insert "or imprisonment which may extend upto six months or both". (3)

Page 5, line 18,—

after "occurrence"

insert "or imprisonment which may extend upto six months or both". (4)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 3 and 4 to clause 13 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clauses 13 and 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 13 and 14 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the Minister may move that the Bill be passed.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हं :

"कि यथा पुरःस्थापित विधेयक पास किया जाए।"

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

PROF. SAUGATA ROY: Sir, originally, we had asked for sending the Bill to the Standing Committee for greater discussion. It seems that the Government is not very willing. I had asked a very specific question to the Minister whether he will allow reservation to apprentices working in Government companies or, at least, agree to give priority to apprentices working in the railways, ordnance factories and in other Government companies; and whether he will consider giving age relaxation to the apprentices working in the Government companies.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, with regard to wider consultation of this Bill, there are stakeholders from the employers' side, employees' side and the State Government side. The hon. Minister has said that there was a discussion held in the Labour Conference. But at the same time, employees' side and the trade unions' side are not agreeing with this Amendment. Therefore, we need another wider consultation with all the stakeholders. After that, whatever the conclusion reaches, the Amendment can go to the Standing Committee. Therefore, the hon. Minister should agree to the sense of the House.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I did not move my Amendment because the Minister will definitely look into the issue relating to giving

preference to apprentices within the State. I would just like to know from the Minister whether he would allow the State Governments to frame the rules related to this.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी श्रम कानूनों में...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, please allow me to ask a single question.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have already raised it.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: राज्य को ये शक्तियाँ पहले से प्रदत्त हैं।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I would also like to know about reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/OBC people. That is a serious concern of this Bill. That has also to be addressed.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. Let us hear the hon. Minister, now.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: उपाध्यक्ष महोदय, राज्य को पहले से ही यह प्राविधित है कि वे अपने कानून बना सकते हैं। यह एक बात है। हमने इस बार यह जरूर किया है कि पहले कानून हम बनाते थे और नियम राज्य बनाते थे। इस बार केन्द्र भी नियम बना सकता है। इस बार यह प्रावधान करने की हम लोगों ने कोशिश की है। जहाँ तक ट्रेड यूनियन का प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि 11 जुलाई को अप्रेन्टिस काउंसिल की बैठक थी। अप्रेन्टिस काउंसिल में सभी ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि वहाँ पर थे। अप्रेन्टिस काउंसिल ने इसको पारित किया, मैं उसके मिनिट्स आपको भेज सकता हूँ। आप चाहें तो उसके मिनिट्स भी ले सकते हैं। जो सौगत राय जी ने और सुरेश जी ने कहा, हम लोगों ने इस मामले में जो चीजें अप्रेन्टिस को बढ़ाने में बाधक थीं, उनको थोड़ा सरल किया है। पहले किसी भी उद्योग में यह नहीं होता था कि वह अप्रेन्टिस को अपने यहाँ रखेगा। कानून में ऐसी बाध्यता नहीं थी। नये प्रावधान के अन्तर्गत हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग अपनी नीति इस दृष्टि से बनायेगा। जैसे रेलवे ने अपनी नीति बना रखी है, उसी तरह हर उद्योग अपनी नीति बनायेगा। उनको नीति बनाने की बाध्यता है। वह अपने यहाँ के अप्रेन्टिस का, अपने यहां पढ़ाये हुए व्यक्ति का जब इन्टरव्यू करेगा तो उसे दस नम्बर देगा या पांच नम्बर देगा। इसके लिए वह अपनी पॉलिसी बनायेगा। जब वह अपनी पॉलिसी बनायेगा तो उसके काम का व्यक्ति निश्चित रूप से उसके काम आयेगा और उसको वहां काम मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं।

जहाँ तक आरक्षण वाला प्रश्न है, इस मामले में भी हमने उद्योग पर छोड़ा हुआ है कि उन लोगों को अपनी नीति बनानी चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.20 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Need to evolve an effective mechanism to deal with incidents of communal violence in the countryContd

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will take up now, discussion under Rule 193 regarding communal violence, which was initiated by Khargeji. SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, before Shri Mulayam Singh speak on this subject, मैंने अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियमेंट्री अफेयर्स से यह सुना कि श्री राजनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं है। वे यहां नहीं आ रहे हैं। आज रिप्लाई भी नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो। I wish him all the best and speedy recovery. He should come hale and healthy to the House. We expect a reply from him. If he is not there, at least, the Prime Minister could give the reply. But anyway, I expect that he will come after speedy recovery and I wish him all the best. PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): We also wish the Home Minister speedy recovery.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the discussion continue. The Minister will reply after some time.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सांप्रदायिकता पर हो रही बहस में भाग लेने के लिए अनुमित दी है। इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अपने-अपने तरीके से, अपनी-अपनी विचारधारा से इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। हम इस संबंध में बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि, सांप्रदायिकता के बारे में आपको पता है कि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हम रहे हैं। ...(व्यवधान) और आप भी जिम्मेदार हैं। ...(व्यवधान) हां, यह तो सर घोंटा कर पहुंची थीं। ...(व्यवधान) तो भी पहचान लिया।...(व्यवधान) ये तो मर्द के रूप में पहुंच गई थीं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1987 से ले कर लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ मुझे संघर्ष करना पड़ा है।..(व्यवधान) बहुत-सी मुसीबतें हमारे सामने आई हैं। चुनाव के परिणाम भी इधर के उधर हो गए हैं। हमारी बहन जी, जो अभी बोल रही थीं, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया।...(व्यवधान) इसलिए परेशान किया कि मुझे खबर मिल गई कि यह मर्द के भेष में मस्जिद गिराने के लिए अयोध्या जा रही हैं...(व्यवधान), लेकिन हम इनसे ज्यादा होशियार निकले। मैंने खबर दे दी तो आप गिरफ्तार हो गए। ...(व्यवधान) लेकिन, उन्होंने बहुत ज्यादा जोश पैदा किया, यह सही है। हमें परेशान किया। सांप्रदायिकता देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज देश में सांप्रदायिकता जरा-जरा सी बात पर हो जाती है, लेकिन हमारे बहुत से माननीय नेता हैं, कभी दो वर्गों के लड़कों के बीच में भी विवाद खड़ा हो जाता है तो उसको दंगा कहते हैं। क्या यह दंगा था - मुज्जफरनगर का? मैंने तब भी बयान दिया और आज भी सदन के अंदर कह रहा हूं कि वह दंगा नहीं था। ...(व्यवधान) वह दो वर्गों के बीच में विवाद था, झगड़ा था उसमें बहुत ज्यादा हत्याएं हुई हैं। वह दो वर्गों का झगड़ा था, उसमें कोई दूसरी जाति शामिल नहीं थी।...(व्यवधान) बताइए कौन-सी जाति शामिल थी।...(व्यवधान) एक जाति के अलावा कोई दूसरी जाति नहीं थी। केवल दो जातियों, दो वर्गों के बीच में वहां संघर्ष हुआ और जानें बहुत ज्यादा गईं। इसी तरह सहारनपुर में हुआ और नाम लिया गया। बताइए, क्या सहारनपुर का दंगा था?...(व्यवधान) दो लोगों के बीच, एक कह रहे थे कि गुरुद्वारे की जमीन है और दूसरे कह रहे थे कि यह हमारी मस्जिद की जमीन है। इन दोनों के बीच विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और मौत भी हो गई लेकिन यह घटना कितनी जल्दी शांत हुई। यह दो घंटे के अंदर शांत हो गई। इतना बड़ा विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, बहुत हत्याएं हुई, जुल्म हुआ, मुज्जफरनगर में सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने दो दिन के अंदर इस पर नियंत्रण किया। आज तक हिन्दुस्तान में इतना बड़ा विवाद दो दिन के अंदर कहीं भी नियंत्रित नहीं हुआ है। हमने उस पर नियंत्रण कर के दिखाया और बड़ी कोशिश की। हमारे यह बाबा, आदित्यनाथ जी झांसी में छिप गए। फिर, मुझे खबर मिल गई। ...(व्यवधान) झांसी से यह चले और जब परिक्रमा करना था,...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): हम छिपे नहीं थे।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मस्जिद की परिक्रमा के नाम पर अयोध्या में जा कर दंगा करना,...(व्यवधान) तो कौन, हमारा असली प्रिय है...(व्यवधान) समझ लेना चाहिए, हमने तुम्हारे बारे में कहा था।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: न्यायालय के आदेश के बाद भी...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इन्हें बोलने की इजाजत दी है या हमें दी है।...(व्यवधान) आप इन्हें बिठाइए।...(व्यवधान) मैंने नाम नहीं लिया है, आदित्यनाथ नहीं कहा है। मैंने तो कहा ये है। हमने बहन का नाम बहन जरूर कहा।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not shout. You are not allowed to shout.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : ये परेशान क्यों हैं?...(व्यवधान) आपको समझना चाहिए कि दंगा कौन कराता है। आप समझ लीजिए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not make such shouts please. This is Parliament.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : अब आप दंगा नहीं करवा पाएंगे। ...(व्यवधान) हमारी सरकार के रहते दंगा कराएंगे तो तुरंत नियंत्रित करेंगे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, just stop for a minute.

I may inform all the Members that we are discussing a serious matter. He is a senior Member and also a former Chief Minister. When he is saying something, please listen to him. If at all you have any objection you raise it afterwards and not in the middle. Then, there will not be any discussion at all. Therefore, please cooperate with the Chair. Do not shout like this. You go on shouting. It is not fair on your part. Please do not shout. Let him speak.... (*Interruptions*)

He is a senior Member. Please listen to him. If you have any objection, you can speak afterwards but not in the middle. Let him complete.

^{*} Not recorded.

श्री मुलायम सिंह यादव: यह नई बात नहीं है। जब माननीय अटल जी प्रधान मंत्री थे और हम बोलने के लिए खड़े हुए तो ये सब लोग शोर मचाने लगे। अटल जी कहने लगे, मुलायम सिंह जी जब बोलेंगे तो ये थोड़ा-बहुत शोर तो करेंगे।...(व्यवधान) ये हमसे परेशान हैं।...(व्यवधान) देखिए, परेशान हैं।...(व्यवधान) ये कामयाब हो ही नहीं सकते।...(व्यवधान) हमारा हिन्दुस्तान मानवतावादी है। साम्प्रदायिक शक्तियों को अब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता कि ये कैसे चुनाव जीतकर आ गए।...(व्यवधान) हम आज कह रहे हैं कि सावधान रहिए। बहुमत मिल गया है तो आगे के बहुमत के लिए सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको मुश्किल होगी।...(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि इसके दो कारण हैं - एक, आपसी अविश्वास काफी पैदा हो चुका है। अगर साम्प्रदायिकता को रोकना है तो उसे हम सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा। कोई एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करता। हम भुक्तभोगी हैं और आप में से भी बह्त से सदस्य हैं। हम इसके लिए कैसे वातावरण बनाएं, इस बारे में चाहे नेता बैठें, सदन में बहस हो ही रही है, इसमें हम अपनी बात रख सकते हैं, दोबारा कभी इस पर बहस कर सकते हैं। इसे खत्म करना पड़ेगा। देश को मजबूत करना पड़ेगा। दोनों वर्गों ने मिलकर देश को आजाद करवाया है, देश का विकास किया है। जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है, अगर किसी ने देश का 80 फीसदी विकास किया है तो केवल किसानों और मुसलमानों ने किया है। आप अध्ययन कर लीजिए।...(व्यवधान) दस्तकारी का काम किसके हाथ में है। आज भी 80 फीसदी दस्तकारी मुसलमानों के हाथों में है। आप उनका सिला हुआ कपड़ा क्यों पहनते हैं, ...(व्यवधान) जेवर कौन बढ़िया बनाता है, उनसे नफरत करते हैं और शादी में बहू-बेटियों को उन्हीं के हाथों से बनायी हुई साड़ी और जेवर ...(व्यवधान) उनको बनारसी साड़ी पहनाते हैं। बनारसी साड़ी कौन बनाता है? ...(व्यवधान) आप बताइये कि उसे कौन बनाता है? ...(व्यवधान) कारपेट कौन बनाता है? ...(व्यवधान) आप उसे बिछाते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपसी अविश्वास है, वह खत्म होना चाहिए। ...(व्यवधान) यहां से यह संदेश जाना चाहिए। ...(व्यवधान) हमारे और आपके प्रति जो अविश्वास बढ़ रहा है, उसे खत्म करना चाहिए और जो हो चुका है, उसे ठीक करना है। इससे साम्प्रदायिकता खत्म हो जायेगी। ...(व्यवधान)

आपको हमसे क्या परेशानी है? अब बाबा को तो परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको क्या परेशानी है? ...(व्यवधान) इसलिए हम आपसे बार-बार दोहराना चाहते हैं कि अविश्वास खत्म होना चाहिए। हम खुद भुक्त-भोगी हैं, आप भी हैं, सब हैं। ...(व्यवधान) आपसी अविश्वास कैसे खत्म हो, इस पर अगर आपको अलग से बहस करनी है, तो वह करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो माइनोरिटी के लोग हैं, उनके बारे में भी हमें अपनी राय थोड़ी बदलनी होगी। उन्हें भी हमें कुछ सुविधा देनी होगी। आज उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें नौकरियों के साथ अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रहीं। हम जब सरकार में नहीं थे,

तब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नौकरियों में एक फीसदी से ज्यादा भर्ती नहीं थी। मैं आज खुलकर बोल रहा हूं। ये क्या कहते थे -- इनका सीना चौड़ा नहीं है। जब हम मुख्यमंत्री बने, तो उनकी संख्या 11 परसेंट हो गयी। जैसे ही हम सरकार में आये, उनका सीना चौड़ा हो गया और जब तक ये रहे, तब तक सीना पतला था। ...(व्यवधान) जब आपके लोग थे, तब सीना पतला था। ...(व्यवधान) आपके यहां भी थोड़ी गलती हुई है। ...(व्यवधान) अब आप उसे सुधार रहे हैं। ...(व्यवधान) आप जैसे लोग सुधार सकते हैं। ...(व्यवधान) आप लोग सुनिए। ...(व्यवधान) आप सबसे भी गलती हुई है। उन्हें सुविधाएं नहीं मिली हैं। ...(व्यवधान) असली बात यह है कि साम्प्रदायिकता क्या है? साम्प्रदायिकता क्या है, इसे आप खुलकर नहीं बोलते, मैं खुलकर बोल रहा हूं। आपको इससे परेशानी होती है। ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, इतने सीनियर लीडर हो कर यह जाति की राजनीति बता रहे हैं। ...(व्यवधान) हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: आप पहली बार जीत कर आये हैं, ...(व्यवधान) अगर दोबारा जीतेंगे तब पता चलेगा। ...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, only one Member from that side is disturbing him again and again. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, you are making too much disturbance in the House.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : पहली बार जीतकर आये हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Member has a right to speak. You cannot disturb him like this.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : जब आप दोबारा जीत कर आयेंगे तब पता चल जायेगा। ...(व्यवधान) जब आप जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, तब पता चलेगा? ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: उपाध्यक्ष महोदय, इतने सीनियर लीडर क्या ऐसी भाषा बोलेंगे कि मुसलमान, मुसलमान ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या बात है? ...(व्यवधान) क्या यह हमसे बहस करने लायक हैं? ...(व्यवधान) मैंने इनके खिलाफ क्या बोला है? ...(व्यवधान) आप उनकी बनायी हुई साड़ी अपनी बहू-बेटियों को मत पहनाना। ...(व्यवधान) आप बाल मत कटवाना। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam, you please continue your speech.
... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not shout. You are from the ruling side, and you have to keep quiet.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want to speak, then you can speak afterwards and I will allow you to speak.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव: वे उन्हीं से बाल कटवायेंगे ...(व्यवधान) उन्हीं से कपड़े सिलवायेंगे, जेवर भी उन्हीं से बनवायेंगे ...(व्यवधान) साड़ी भी उन्हीं की बनवायी हुई पहनेंगे। ...(व्यवधान) कारपेट भी उन्हीं की बनी हुई बिछायेंगे और उनसे नफरत करेंगे, यहां शोर मचायेंगे। ...(व्यवधान) आप शोर क्यों मचाते हैं? ...(व्यवधान) हम जानते थे कि आप शोर मचायेंगे। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam, please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं ...(व्यवधान) हम खराब भाषा नहीं बोल रहे। ...(व्यवधान) हम आप जैसे थोड़े ही हैं। ...(व्यवधान) हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हम सब इस पर लंबी बहस कर रहे हैं। हमें केवल यही कहना है कि कैसे एक दूसरे में विश्वास पैदा होगा और कैसे देश के विकास में दोनों जुटेंगे? ...(व्यवधान) जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिया? ...(व्यवधान) अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर देश को बचा लिया। ...(व्यवधान) अगर वह कूदकर जान नहीं देता तो हमारी फौज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ...(व्यवधान) यह मामूली बात नहीं थी। ...(व्यवधान) वह विस्फोट होता तो उससे हमारी बहुत सारी फौज मारी जाती। ...(व्यवधान) अब्दुल हमीद बम लेकर उसी में कूद पड़ा। ...(व्यवधान) उन्होंने पाकिस्तान के बम को खराब किया। पाकिस्तान की लड़ाई में भी उनकी शानदार भूमिका रही है, तो परेशानी किस बात की है? ...(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि वह सही है और आज भी वे लोग ही विकास कर रहे हैं। ... (व्यवधान) उनके बुने हुए कपड़े मत पहनिए, उनसे बाल मत कटवाइए, ज़ेवर मत बनवाइए। आप सारा काम उनसे करवाते हैं और उनसे नफरत करते हैं। सच बात तो कहनी पड़ेगी। देश के सामने हम सब मिलकर चलें, मेरी यह राय है। ...(व्यवधान) आपने बड़ी कोशिश कर ली, ठीक है कि आप लोक सभा के चुनाव में जीत गये, लेकिन विधान सभा के चुनाव में क्या हुआ? ...(व्यवधान) विधान सभा के चुनाव में आपने क्या कर लिया? लोक सभा के चुनाव में भी आपको दिक्कत हो जाती,...(व्यवधान) वह तो गलती इनकी हुई, मैंने बता दिया, ...(व्यवधान) दस साल इन्होंने लगातार राज किया, पर जनता पर प्रभाव नहीं जमा पाये और उसी का लाभ आप उठा ले गये। हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि, पूरे देश में हमारी पार्टी नहीं थी, वरना आप नहीं आ पाते। ...(व्यवधान) हमको वोट का एक प्रतिशत मिला है, यह ध्यान रखें, सावधान हो जाएं। एक मैगज़ीन ने लिखा है कि

बी.जे.पी. सावधान हो जाए । ...(व्यवधान) उनके आंकड़े तो आपने दिये थे...(व्यवधान) कि आपको कितने प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सरकार बन गयी, अच्छी बात है, आपका स्वागत है, आपको बधाई हो, लेकिन सच्चाई तो सुन लीजिए।...(व्यवधान) सच्चाई सुनने में क्या दिक्कत है। हम सारी बातें क्यों सुनते रहें। हमने तो बीच में नहीं बोला। बहुत-से आपत्तिजनक भाषण दिये जाते हैं और दिये गये हैं, पर मैंने कभी बीच में नहीं टोका। लेकिन बाबा न जाने क्यों टोक देते हैं? ...(व्यवधान) छोटा महंत...(व्यवधान) ठीक है, महंत। हम तो बाबा ही कहते रहे, लेकिन आज महंत कहलवा लें।...(व्यवधान) पर महंत बन तो जाइए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, महंत की? उसी तरह से रहिए...(व्यवधान) इन्होंने मुझे संदेश दिया...(व्यवधान) अब वे पर्सनल बातें हम नहीं कहेंगे।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: ये एक सीनियर सदस्य हैं और आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इनको अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इनको अपमानित होना पड़ेगा। ...(व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। HON. DEPUTY-SPEAKER: If there are any objections, they will be taken care of.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: What is he objecting to? What did he say? ... (*Interruptions*) ऐसा क्या बोला गया, जिस पर इनको आपत्ति है? When the Opposition criticizes them, they would not let anybody speak. Is that the fate of the House? ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Yesterday, as you know, when he spoke, we all kept quiet. He used terms like 'Pakistani Agenda'; he accused and abused us, but we kept quiet. We never interfered in his speech. Why is he interfering when Shri Mulayam Singh Yadav is speaking? Let them speak afterwards. Let them take their time and let them counter it in their arguments, but why are they interrupting him now?

PROF. SAUGATA ROY: They are not allowing anybody to speak. ... (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही देख लें, मैंने एक भी आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला है।...(व्यवधान) मैंने महन्त साहब कह दिया, बाबा जी कह दिया, तो भी परेशानी है। अब क्या कहें? असली बात कह दें, तो फिर आप जानते हैं।...(व्यवधान) * मुरादाबाद में दंगा कराने गए थे, किठौर में गए थे।...(व्यवधान) वहां पकड़ा पुलिस ने, इनकी पार्टी के दो विधायक थे।...(व्यवधान) उसने

-

^{*} Not recorded.

कहा कि पूरे प्रदेश में दंगा कराने वाली यह पार्टी है। एक अफसर ने यह कह दिया, खुलेआम देश के सामने बयान दिया है।...(व्यवधान) ये साम्प्रदायिक सद्भाव तोड़ रहे हैं या नहीं?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude Mulayam Ji.

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने आपके खिलाफ क्या कह दिया?...(व्यवधान) आपकी आरती उतारें?...(व्यवधान) इनकी आरती उतारें?...(व्यवधान) ढोल बजाकर आरती उतारेंगे।...(व्यवधान) तुम्हारी आरती उतारें।...(व्यवधान)

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच): उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही हैं खुले आम, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते?...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : वह बहन क्या बोल रही है?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अरे, देखिए। कहां से आ गईं ये सब।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह टाकुर (हमीरपुर): दादा, आप यह कैसे बोल सकते हैं?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप मुझे उराइए मत।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Saugata Roy, what is this? You are a senior Member.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am standing on my feet.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Yesterday also, I said that if there was any objectionable thing, it would be removed. If Mulayam Singh ji speaks any objectionable thing, that will be removed. Therefore, please cooperate. Let him first finish his speech.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude Mulayam Ji.

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि मैं इस सदन को पहले ही कह चुका हूं कि यह सदन सद्भाव पैदा करे, तो आपित्त क्यों हो।...(व्यवधान) आप इनको किहए। मैंने एक भी शब्द खराब नहीं बोला है।...(व्यवधान) मैं नीतियों की बात कह रहा हूं। यह सही है कि इनकी नीतियों की वजह से नुकसान हुआ है और देश में साम्प्रदायिक सद्भाव टूटा है। ...(व्यवधान) कई उदाहरण ऐसे हैं, अगर वर्ष 1987 से अब तक के उदाहरण देना शुरू कर दूं, एक-एक बात आपको बता दूं।...(व्यवधान) अब क्या मतलब था, कहते हैं परिक्रमा करेंगे।...(व्यवधान) परिक्रमा एक बार होती है नवरात्रि में और उसमें सब लोग शामिल होते हैं।...(व्यवधान) उस परिक्रमा में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं।...(व्यवधान) अब ये परिक्रमा करेंगे और सारे हिन्दुस्तान के साधुओं को बुला लेंगे।...(व्यवधान)

मिले हमको, हमने फिर से संभाला।...(व्यवधान) दंगा-फ़साद कराने में लगे हैं। अभी-अभी का मामला है, किठौर का मामला है, एक अधिकारी ने खुलेआम बयान दिया है।...(व्यवधान) एक अधिकारी ने खुलेआम बयान दिया है।...(व्यवधान) * ऐसा बयान दिया है। एसएसपी, मुरादाबाद ने ऐसा बयान दिया है और सच्चाई है, तो हमें और आपको ठीक होना चाहिए।...(व्यवधान) जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद की जाती है?...(व्यवधान) अब मैंने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया है। मैंने महन्त कह दिया, बाबा नहीं तो महन्त, इसमें क्या बुरा है?...(व्यवधान) ये महन्त हैं, मैं मानता हूं।...(व्यवधान) जैसे वे महन्त थे, वैसे तो बिनए।...(व्यवधान) महन्त अवैद्यनाथ जैसे थे, उनके आचरण पर आपको चलना चाहिए।...(व्यवधान) जब यह विवाद खड़ा हुआ अयोध्या में, महन्त अवैद्यनाथ ने बहुत अच्छी राय दी।...(व्यवधान) उन्होंने रोका। मैं इनके मठ में मिलने गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुलायम सिंह यादव ठीक कर रहे हैं।...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

योगी आदित्यनाथ: हम कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते। आप सही नहीं कह रहे हैं।...(व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव: ये हाउस में ऐसा कर रहे हैं और बाहर भी ऐसा कर रहे हैं...(व्यवधान)

में तो तारीफ कर रहा हूं। आपको तारीफ में भी परेशानी हो रही है।...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I am on a point of order. Rule 353 is about procedure regarding allegation against any person. It says:

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

He has leveled an allegations against Shri Yogi Adityanath. It must be removed from the proceedings.

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already said that if there is anything objectionable, it would be removed from the record.

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक सद्भाव कौन खराब करता है, कौन उत्तरदाई है, मैंने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। मैं तो महंत अवेद्यनाथ जी की तारीफ की कि मैं उनका बहुत आदर करता हूं। आप उनके उत्तराधिकारी बन गए हैं, मैंने यह कहा कि जैसा सम्मान उन्होंने पाया है, आप भी पाएं। इसमें भी लगता है आपको परेशानी हो रही है। फिर मैं और क्या कहूं...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि जो दंगे हुए हैं, उनकी जांच के लिए सभी दलों की समिति बनाई जाए, जो यह देखे कि किसका इनमें हाथ है।

सभापित जी, देश में आज हालात अच्छे नहीं हैं। जगह-जगह कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर विवाद खड़े हो जाते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का नाम इस चर्चा में आया है, मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप आज आंकड़े मंगा लीजिए, आपके पास हैं, उनसे पता चलता है कि सबसे बिढ़िया कानून व्यवस्था यदि कहीं है देश में तो उसमें उत्तर प्रदेश का नम्बर पहला है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हैं। देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं तो मध्य प्रदेश में हुई हैं, दूसरे नम्बर पर राजस्थान है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम रेप की घटनाएं हुई हैं, करीब दो प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 9.8 प्रतिशत तथा राजस्थान में सात प्रतिशत, और आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की या कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत की। सबसे कहीं रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं।...(व्यवधान) ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं। ये आंकड़े आपकी सरकार के हैं, आपके गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं।

हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं कि साम्प्रदायिक सद्भाव कैसे बनाए रखा जाए, इस पर यहां बहस हो रही है। अगर इस बहस का कोई सार्थक हल नहीं निकलेगा, तो फिर इसका फायदा क्या, क्योंकि इतना खर्च भी हो रहा है। इसलिए हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, पूरे सदन की एक राय हो कि कैसे सद्भाव बनाए रखा जा सकता है। इस समय लोगों में एक अविश्वास पैदा हो गया है, उसे कैसे खत्म किया जाए, इसका हल निकालना चाहिए। तब ही देश का विकास हो सकता है, जब सारे मिल जाएं, एक हो जाएं।...(व्यवधान) यह सही है कि हिन्दुस्तान का विकास अगर किसी ने किया है तो वह किसान और मुसलमान ने किया है। ...(व्यवधान) इसमें क्या परेशानी है, मैं सही कह रहा हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि किसान और मुसलमान दोनों की इस देश में उपेक्षा हुई है। इसलिए हमें इन चीजों पर विचार करके इस बहस को सार्थक बनाते हुए सभी पक्षों में सद्भावना पैदा करने की बात करनी चाहिए।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. We are discussing a very important topic pertaining to the honour and existence of this biggest democratic country of ours.

We had incidents of communal violence earlier also. The Nellie Massacre of 1983, the Gujarat riots of 2002, and the latest clashes in Saharanpur of 2014, if we get into the root cause of all this, we will come to know that the British left India after sowing the poisonous seeds of communal virus in this country. They had the ulterior motive of divide and rule.

Fortunately this country had great leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and many others. Gandhiji once wrote, "I do not expect India of my dreams to develop one religion that is to be wholly Hindu or wholly Christian or wholly Musalman, but I want it to be wholly tolerant, with its religions working side by side with one another".

If we examine the contemporary Indian situation, I would like to say that the policies of this government are not at all helpful in controlling communal violence. I would like to say that they are stimulating communal tension. They have to think honestly to find out a mechanism to control this kind of communal violence.

14.52 hrs (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

Sir, my first and foremost suggestion is with regard to the educational sector. We must nurture the values of communal harmony in our classroom itself. At the same time, if we inject the communal poison in the veins of budding generations, where will this country go? We have to think about this.

I wish to say with profound regret that this government is planning to communalise the very basis of the nation, including the foundation of education. I do not want to provoke anybody. With all humbleness I would like to quote a few questions and answers taught in Gujarat's schools now. A 21-member Committee has been constituted under Bharatiya Shiksha Nidhi Ayog to suggest educational reforms according to the political ideology of BJP. Educational institutions such as ICHR, NCERT, and UGC are all in the grip of political masters.

If you make an examination of the textbooks now taught to school students in Gujarat you will find the following:

Question: How many devotees of Rama laid down their lives to liberate Ram Temple from 1528 to 1914?

Reply: 3,50,000.

Question: How many times the foreigners invaded Shri Ram Janmabhoomi?

Reply: Seventy-seven times.

Question: What was the number of struggles for the liberation of Ram Janmabhumi, which was launched on October 30, 1990?

Reply: Seventy-eight struggles.

Question: Which Muslim plunderer invaded the temples in Ayodhya in 1033?

Reply: Mahmud Ghaznavi's nephew Salar Masud.

Question: Which Mughal invader destroyed the Ram Janmabhoomi in 1528?

Reply: Babur.

Apart from these, there are some wonderful findings which go as follows:

- Qutb Minar was constructed by Samudragupta and its original name was Vishnu Sthambha (page 73, Gaurav Gatha).
- The Babri Mosque was constructed after destroying a temple, which in turn stood on the exact spot where Rama was born. (High School Itihaas Bhaag-2, page 146.)
- Qur'an was the basis of the state policy of Aurangzeb, and whatever policy was adopted for running the government was basically for promoting Islam.

Sir, if these are the lessons we are teaching in the classrooms, where are we leading this country to? We have to think about this.

Sir, recently a Supreme Court Judge made a statement. He said, "Had he been a dictator of India, he would have introduced *Gita* and *Mahabharata* in Class I. You teach *Gita* and *Mahabharata*, *Quran* or *Bible*; but teach them in the classrooms of religious institutions. Why do you want to bring it in the schools?" All I am saying is, if you poison the minds of the budding generation, you criminalise the country. I wish to warn the Government. I would not say much on this because when Shri Mulayam Singh Yadav spoke, he spoke a lot on that.

Somebody was asking why we should discuss this point in Parliament. Whether it is UPA or NDA, we may have some political bases but we have to keep in mind that we should not glorify communal incidents. This Government, with due respect, I would say came power by glorifying the Gujarat riots. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please conclude now.

... (*Interruptions*)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: That was the stepping stone; that was how this Government came power. What I am saying is you should not mix your political liking to the secular country. ... (*Interruptions*)

Sir, I conclude now.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): सभापित जी, साम्प्रदायिक घटनाओं को प्रभावशाली तंत्र के साथ बंद करने की जो चर्चा छिड़ी है, मैं अपनी पार्टी शिरोमणी अकाली दल की तरफ से उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

में समझता हूं कि जो विषय है, उसके पीछे क्या सोच है, वही साम्प्रदायिक घटनाओं का कारण बन रहा है। आज कम्यूनलिज्म और सैक्यूलरिज्म के जो अर्थ निकाले जा रहे हैं, वे गलत हैं। जो धर्म को मानते हैं, उन्हें कम्यूनल कहा जाता है और जो धर्म से नफरत करते हैं, उन्हें सैक्यूलर कहा जाता है। यह देश वह देश है, जिसमें ऋषि, मूनि, पीर, पैगम्बरों ने जन्म लिया है और उपदेश दिया है। इस देश की धरती के लोगों को हमारे गुरुओं ने कहा - "मानस की जात, सबके एक ही पहचान।" हमारे गुरुओं ने कहा - "सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत।" हमारे गुरुओं ने उपदेश दिया - "अव्व्ल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजेया, कौन भले, कौन मंदे। हमारे देश में अंग्रेजों की सोच से राजसी फायदा लेने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया। मैं कहता हूं कि जो धर्म से नफरत करते हैं, असली रूप में वे कम्यूनल हैं। जो गुरुद्वारे में फौज ले जाकर टैंकों से लोगों को गिराते हैं, वे कम्यूनल हैं। जो किसी धर्म के बच्चों को गले में टायर डाल कर जलाते हैं, वे कम्युनल हैं। जो धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें कम्युनल कैसे कह सकते हैं। यहां इमरजेंसी के समय में विदेशी ताकतों के प्रभाव में आ कर हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी अमेंडमेंट कर दिया गया। हमारी मानसिकता में से धर्म खत्म कर दिया, हमारे ऊपर कानून लागू कर दिया कि आप धर्म को नहीं मानेंगे। जो धर्म को मानेगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कौन है जो धर्म को नहीं मानता है, फिर अमेंडमेंट क्यों किया गया? कुछ लोगों ने बहुत होशियारी से अंग्रेजों की सोच ले कर इस देश को धर्म के नाम पर बांट कर लोगों को लहुलुहान कराकर लोगों की लाशों पर कुर्सियां रखकर राज किया। आज हमारे दिल में जो आग जल रही है, उसे बुझाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएं और हर धर्म का सम्मान करें। यह वह देश है, जहां गुरु तेग बहादुर साहब जनेऊ नहीं पहनते थे, मगर कश्मीर से चलकर पंडित आनंदपुर साहब आए, सौभाग्य से मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम भी आनंदपुर साहब है, जहां से गुरु तेग बहादुर साहब आए। उन्होंने यहां बलिदान दिया। उनका यहां साथ के गुरुद्वारे में संस्कार हुआ। उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने के लिए अपना बलिदान दिया।

15.00 hrs

मुझे इस बात का खेद है कि इस देश में राज करने वाले लोगों ने धर्म को मिटाने के लिए, धर्मी को शक्ति को मिटाने के लिए, धर्मी लोगों में नफरत पैदा करने के लिए तमाशा बना दिया, अपनी राजसी सत्ता के लिए तमाशा बनाया। मैं मुलायम जी का बहुत सत्कार करता हूं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जब 1984 में कत्लेआम हो रहा था, इन्होंने आवाज उठाई थी और इनको नुकसान भी हुआ था। लेकिन आज मुझे बहुत खेद हुआ जब इन्होंने देश के विकास के लिए केवल किसानों और मुसलमानों की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सिखों का भी हिस्सा है, हिंदुओं का भी हिस्सा है, इसाई भाई दफ्तर में काम करते हैं, उनका भी हिस्सा है। यही तो सोच है। वोट लेने के लिए कहीं वोट बैंक ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है तो वहां उस तरह का स्लोगन लगता है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में कम वोट हों। मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक घटनाएं कब शुरु हुई। 1971 में सबसे ज्यादा सेक लगा। 1971 में जनरल इलैक्शन हुए, पंजाब से इधर के इलाकों में और तरह के पोस्टर लगे, जब पंजाब से जम्मू कश्मीर के इलाकों में और तरह पोस्टर लगे थे। उस समय की लगाई आग जम्मू कश्मीर में अब भी जल रही है। जब देश के नेता इस तरह की सोच पर चलेंगे तो कैसे देश बचेगा?

इस देश ने 1984 में तमाशा देखा जब लोगों का कत्लेआम हो रहा था। उस समय देश के एक नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो घरती कांपती है।...(व्यवधान) आज यहां चर्चा शुरु की गई है। आइडेंटिफाई किया गया, दोष लगाए गए, कितने कमीशन बैठे, कत्लेआम के दोषी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, एमएलए और एमपी बनाया। देश में कैसे घटनाएं रुक सकती हैं? जब आप प्रभावशाली तंत्र की बात कहते हैं तब लगता है कि क्रश करने की बात कह रहे हैं। जब किसी की भावना को क्रश करेंगे तो रिएक्ट होगा।...(व्यवधान) इन्होंने क्रश करके 1984 में फौज और टैंक चढ़ाकर देखा। फिर देश में क्या हुआ? ...(व्यवधान)में कहना चाहता हूं कि अगर विल पावर होती है तो सब कुछ रुक जाता है।, जब 1984 में कत्लेआम हुआ था, माननीय वाजपेयी जी ने इसके विरोध में आवाज उठाई थी। उनकी गिनती कम हो गई थी लेकिन आज देश के लोग इसे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनकर हाउस में ले आए। ...(व्यवधान) माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 'सबका विकास, सबका साथ' की बात कही, गुरु नानक के संदेश 'सरबत दा भला' पर चलने की बात कही। देश आगे बढ़ सकता है अगर हाउस सब धर्मों का सम्मान करे और साम्प्रदायिक सिस्टम को क्रश करने की विल पावर रहे।

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज) : इज्ज़त मआब सदरे इजलास, आपने मुझे नियम 193 के तहत फिरकावाराना तशद्दद पर जारी बहस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इज्ज़त मआब कल से जारी बहस में फिरकावाराना तशद्दुद की रोकथाम के लिए एक मेकेनिज्म बनाने की बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी पांच तजवीजों को इस मेकेनिज्म का हिस्सा बनाया जाए। मैं पांच तजवीजें पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यह छोटी-छोटी तजवीजें हैं, मुझे पांच तजवीजें पेश करने का मौका दें। पहली तजवीज यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तानी समाज मुख्तलिफ धार्मिक, इकाइयों, जातों और बिरादरियों पर आधारित है। हम एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब और तहज़ीब में अलग-अलग होने के बावजूद एक हैं। हम सदियों से एक दूसरे के साथ शीर और शक्कर की रहते चले आ रहे हैं। यही हमारी शान है, यही हमारी धरोहर है, यही हमारा इतिहास है। यहां की गंगा-जमुनी तहज़ीब और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई-भाई के बिरादराना जज़्बात हिंदुस्तान के जम्हूरी ताज के दो चमकदार नगीने हैं। यहां कोई गंगा जल से स्नान कर के पूजा करता है और कोई वज़ू कर के नमाज़ पढ़ता है। इन सब की हिफ़ाज़त हम सभी की ज़िम्मेदारी है। चाहे वह सियासी गलियारों के साहिबे इकतदार हों या आम हिंदुस्तानी शहरी हों। उनका कौमी फ़रीज़ा है कि हिंदुस्तान की इस समाजी खूबसूरती को तबाह न होने दें। यहां की सदियों पुरानी मुशतरका तहज़ीब को सियासी मफ़ाद की ख़ातिर एक ख़ास नज़रिया को परवान चढ़ाने के लिए कुर्बान न करें। इसलिए कि खाके वतन का हर ज़र्रा आफताब है।

इज़्जत मआब, दूसरी तजवीज़ मौजूदा हुकूमत के एकतदार में आते ही अकलियतों और कमज़ोर तबकों के ज़हन में अपने तहफूज़ को ले कर शुकुक व शुबहात पैदा होने लगे थे और यह अंदेशा सताने लगा था कि शर पसंद और फिरका परस्त ताकतें मज़ीद ताकतवर और फआल न हो जाएं, जिसकी वजह से अकलियतों और कमज़ोर तबकों को मादर-ए-वतन की ममता से लबरेज़ पाकीज़ा आंचल में सिर छुपाना मुश्किल न हो जाए। आखिरकार उनका अंदेशा सही साबित हुआ। फिरकापरस्तों के इश्तियालअंगेज़ बयानात और शरारत आमेज़ हरकत वो सकानात के नतीज़े में एक ख़ौफ़नाक लहर उठी जिसकी वजह से अकलियतें चौतरफा मज़ालिम का शिकार हुई। कई रियासतों में इंसानियत लहूलुहान हो गई। सिर्फ यही नहीं, इससे बढ़ कर हुआ है नफ़रतों का बोलबाला। दिलों से प्यार घटता जा रहा है। सड़क पर लाश अहंसा की पड़ी है। किनारे एकता रोती खड़ी है। भरा है ज़हर अब गंगोजमन में। वतन बेआबरू है अब वतन में। लिहाज़ा हुकूमत अपने अमल से अकलियतों के जहनों से इस तरह के शुको शुबात को दूर करने के लिए यह अहद करे। आज के बयान में होम मिनिस्टर इसका एलान करें कि अकलियतों के अंदेशा को दूर करने के लिए उनकी आईनी हुकूक की अदायगी में किसी तरह की कोताही नहीं की जाएगी।

इज़्जत मआब, तीसरी तज़वीज़ हमारे मुल्क के मेमारों की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को एक सैक्युलर स्टेट करार दिया। सैक्युलिज़्म का नज़रिया, अनेकता में एकता, मज़हबी रवादारी और तमाम धर्मों के सम्मान पर आधारित है। यूं भी अनेकता में एकता वाले समाज को एक जमहूरी निज़ाम में, कल्चरों की डायवर्सिटी के तकाज़ों के बीच एक दरम्यानी रास्ते की जरूरत होती है और यह रास्ता सैक्युलरिज़्म का है। लेकिन अफ़सोनाक बात यह है कि हमारे सैक्युलर समाज को जिस ज़हनियत से मुसलसल ज़ख्न लगता रहा है, मौज़ूदा सियासी माहौल में उसे मज़ीद ताकत और तवानाई मिल गई है। ऐसी ज़हनियत के लोग आपे से बाहर हो गए हैं। कोई कह देता है कि नरेंद्र मोदी के मुखालिफन के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। कोई धमकी देता है कि काशी, मथुरा और अयोध्या से मुसलमान अपना दावा वापस कर लें, वर्ना हिंदुस्तान में उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कोई कह देता है कि मुसलमान गुज़रात के फसाद को भूल गए हों, लेकिन मुज़फ्फरनगर के फसादात उन्हें ज़रूर याद होंगे। कोई कहता है कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाएगा। कोई कहता है कि मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को हिंदू कहा जाए। हालांकि इलैक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने एक सहाफी के सवाल के जवाब में कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मामला, हमारे मुखालिफन का गलत प्रचार है। जमहूरिया हिंद एक दस्तूर के मुताबिक चलता है और हमारा आईन हर मज़हब और हर जात को बराबर दर्जा देता है। किसी मज़हब को खास दर्जा देना दस्तूरे हिंद के मिज़ाज के खिलाफ है। यह साफ हो जाना चाहिए...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री कीर्ति आजाद।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल कीर्ति आजाद जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

(Interruptions) ...*

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): महोदय, उनका माइक बन्द हो जाये तो मैं बोलूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद: महोदय, जब उनका माइक बन्द होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन बोल रहा है?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: महोदय, धन्यवाद। खड़गे जी ने यह चर्चा शुरू की थी। उन्होंने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी, मैं आशा करता हूँ कि वे यहाँ रूकेंगे। ...(व्यवधान) ओवैसी जी को मैं ढूंढ रहा हूँ, वे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा अगर सेक्युलिरज्म का सिर्टिफिकेट है तो वह उनके पास है।...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

माननीय सभापति : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद: मुलायम सिंह जी न जाने कहाँ चले गये?...(व्यवधान) वे हमसे बड़े हैं, वे हमारे आदरणीय हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल कीर्ति आजाद जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी। अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

HON. CHAIRPERSON: Nothing would go on record except the speech of Shri Kirti Azad.

(Interruptions) ... *

माननीय सभापति : आप अपनी बात शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उनका माइक बन्द है, आप अपनी बात शुरू कीजिए। आप चिन्ता मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : महोदय, उन्हें एक मिनट का समय दे दीजिए, वे अपनी बात समाप्त कर लेंगे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : हमने उन्हें पाँच की जगह आठ मिनट का समय दे दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कीर्ति जी, आप एक मिनट रूकिये। हक जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

^{*} Not recorded.

श्री मोहम्मद असरारुल हक: मैं यह चाहता हूँ कि मुल्क के कानून और आईन की धज्जियाँ उड़ाने के जुर्म में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर लगाम लगायी जाए। फिरका वाराना फ़सादात हिन्दुस्तान की सेक्युलर पेशानी पर कलंक का टीका है। हिन्दुस्तान के मौजूदा कानूनी निजाम में खामियाँ हैं, जिसकी वजह से फसादी और फसादबर्पा करने वालों को कानून के शिकंजे में आसानी से नहीं लिया जा सकता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि हुकूमत इसके लिए कोई कानून का मसवदा तैयार करे या फिर यू.पी.ए. सरकार द्वारा तैयार किये हुए बिल को लोक सभा के फ्लोर पर मंजूरी के लिए पेश करें। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी पार्टी की सदर मोहतरमा सोनिया जी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूँ- साथियों बढ़ो और उन चिरागों को बुझा दो, जिन चिरागों से नफरत का धुआं उठता है।...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : अगर असम और जम्मू कश्मीर में यह तकरीर कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : निथंग विल गो ऑन रिकॉर्ड।

(Interruptions) ...*

_

^{*} Not recorded.

श्री कीर्ति आज़ाद: महोदय, मैं माननीय मुलायम सिंह जी से और माननीय ओवैसी जी से केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, दोनों यहाँ उपस्थित नहीं हैं और फिर मैं चचा खड़गे जी पर आऊंगा।...(व्यवधान)

आदरणीय मुलायम सिंह जी पिता तुल्य हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने कहा कि में बड़े दिनों से साम्प्रदायिकता झेल रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार में आप हैं, आप झेल रहे हैं या यू.पी. की जनता को झिलवा रहे हैं?...(व्यवधान) आपकी सरकार वहाँ पर है। आपने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की घटना पर चर्चा की। आपने कहा कि किसान और मुसलमान, अगर इन्सान कहा होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हिन्दुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्सान है और उसने भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभायी है। मैं सिर्फ उनसे जानना चाहता हूँ, उनकी ही सरकार के एक मंत्री थे, जिनका कल मैं टेलीविजन पर एक इंटरव्यू देख रहा था। जिसमें उन्होंने न जाने क्या-क्या इनके बारे में कहा, वह यहां कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने उस इंटरव्यू को जरूर देखा होगा। मुजफ्फरनगर के दंगे में एक टेलीविजन चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में वे मुजफ्फरनगर वाले थाना प्रभारी के पास गए थे और उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वही मंत्री जो कल इनके बारे में अलग-अलग संस्कृत में पाठ कर रहे थे,...(व्यवधान) उन्होंने ही वहाँ के थाना प्रभारी को यह हिदायत दी थी कि जिन-जिन लोगों का नाम मैं लिखवाऊंगा, उन्हीं लोगों के नाम पर तुम मुजफ्फरनगर के दंगे में एफ.आई.आर. दर्ज करोगे।...(व्यवधान) उसके कारण से न जाने भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के ऊपर गलत और बेबुनियादी आरोप लगाये गए और आज भी वे केस झेल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने हिदायतें दी थीं तो क्या वे अपने मंत्री को निकालेंगे या उस थाना प्रभारी को निकालेंगे? अगर ये चाहें तो मैं उस टी.वी. चैनल से कहूँगा कि इनको लाकर के वह पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखा दें, जिसमें उसने इस बात को माना है। ...(व्यवधान) जिसमें उसने इस बात को माना है कि सरकार के कहने पर बेग्नाह लोगों के ऊपर हमने यह आरोप लगाये, जिसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग थे।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): महोदय, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dharmendraji, please sit down. Let him speak.

श्री कीर्ति आज़ाद: महोदय, देखिए, मैं बोलता हूँ कि यह काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती है। इस बार यह लोक सभा के चुनाव में इन्होंने देख लिया। ये विधान सभा की बात करके गये हैं, इस बार इन्हें मुसलमान भी वोट देने वाले नहीं हैं। वह तो अंत में खड़गे जी के पास आऊँगा तो बताऊँगा कि क्यों? सहारनपुर के दंगों के बारे में बात की गई। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, हमारे अल्पसंख्यक सिख भाइयों को गुरुद्वारा बनाने के लिए वह ज़मीन दे दी गई थी, लेकिन उनको वह गुरुद्वारा नहीं बनाने दिया गया। इनकी पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश की तामील नहीं की

और उसके कारण वहाँ दंगे हुए जिसमें कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक सदस्य का भी नाम है जिन्होंने वह दंगा कराया था। मैं जानना चाहता हूँ अगर मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो ये मुझे अवश्य बताएँ, मैं अपनी बातों को वापस लूँगा। आज जिस प्रकार से ... * ने बात की कि ये लोग परेशान होते हैं, मैं तो समझता हूँ कि ... * बोलते हैं तो पूरा देश परेशान हो जाता है, जो परिस्थिति बनती है और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दंगा फैलाने वाले इधर हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो भी कुछ कार्रवाई में आया हो, उसको निकालें। क्योंकि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देकर ये लोग देश में और समाज में समरसता नहीं लाकर लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं।

माननीय ...* हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार उनके पिताजी यहाँ 13वीं लोक सभा में थे, तब मुझे उनका साथ करने का मौका मिला। एक बार उनके साथ पाकिस्तान भी गया था और बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने वहाँ की थी। उनके पास सबसे बड़ा सैक्यूलरिज़्म का सर्टिफिकेट है। उन्होंने नौ-दस प्रश्न पूछे थे। मैं भी नौ-दस प्रश्न पूछ रहा हूँ। पहला यह कि क्या दो साल पहले हैदराबाद में उनकी पार्टी के किसी सदस्य ने भड़काऊ भाषण दिया था या नहीं? ...(व्यवधान) दूसरा, क्या वह व्यक्ति उस समय वहाँ की विधान सभा में विधायक था या नहीं? तीन, क्या संयोग से वह सदस्य इनका ही बढ़ा भाई था? चार, क्या उस भड़काऊ भाषण में उसने हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अश्लील शब्दों का उपयोग किया था या नहीं किया था? पाँच, क्या यह सच नहीं है कि उनके भाई ने कहा था कि यह पुलिस दस मिनट पीछे खड़ी हो जाए तो हम हिन्दुस्तान वालों को दिखा देते हैं कि हम यहाँ हिन्दुस्तान में क्या कर सकते हैं। छः, जब उसके ऊपर कार्रवाई के लिए वहाँ की पुलिस गई तो क्या इनके भाई, जिन्होंने यह भड़काऊ भाषण दिया था, वे लंदन नहीं भाग गए थे? सात, यदि इनको, ओवेसी जी को इसकी जानकारी थी और सैक्यूलरिज़्म का सर्टिफेकट लेकर ये घूमते हैं तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, यह हमें यहाँ पर बताएँ। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I am on a point of order. ... (*Interruptions*) I am quoting the same rule as was quoted by the hon. Member from the other side.

HON. CHAIRPERSON: If it is so, then I will delete it. I assure you, it will be deleted.

... (Interruptions)

_

^{*} Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am raising this because he is speaking against a Member who is not present in the House. Let him give notice and then we will listen to him... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I accept it and I will delete that.

...(व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Sir, I have a submission... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ahluwalia ji, we just have 10 minutes more to conclude this discussion. We have to take up the Private Members' Business.

... (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, if the hon. Member is not present in the House, then it is not his fault... (*Interruptions*) It cannot be deleted. It should form part of the proceedings... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The name of the person will be deleted.

... (Interruptions)

SHRI KIRTI AZAD : Sir, we listened to him and so I too want to ask him certain questions because he carries the certificate of secularism and so it is my right to know... (Interruptions) माननीय सदस्य चले गए हैं। मैं तो उनको बताना चाहता था कि हमारे देश में सौहार्द है। सऊदी अरब जैसा देश नहीं है कि जिस समय रमज़ान चल रहे थे और वहाँ पर कोई हिन्दुस्तानी पैप्सी पी रहा था तो उसको मार दिया गया, वह भी मज़दूर था। हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं होता है। भड़काने वाले लोग ये होते हैं, बद से बदनाम वाली बात भारतीय जनता पार्टी की है, और कोई दूसरी नहीं है। अब खड़गे जी से पूछता हूँ। खड़गे जी ने दंगों की चर्चा तो की है। ...(व्यवधान) इराक में भाई को भाई मार रहा है, आप कुछ नहीं कहते। आई.एस.आई.एस. इराक में भाई को मार रहा है, एथनिक क्लीन्ज़िंग हो रही है तो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ बैठकर हमें सैक्यूलरिज़्म बताते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल कीर्ति आज़ाद जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा, अन्य किसी का नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, मैं माननीय खड़गे जी से जानना चाहता हूं िक आदरणीय खड़गे जी आपने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी और केन्द्र की सरकार पर आरोप पर आरोप लगा दिए। खेद की बात यह है िक आपने केवल अंधेरे में तीर चलाए, आपने एक भी पुख्ता प्रमाण नहीं दिया िक भारत सरकार ने किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक दंगे करवाएं हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं िक जब आप अंधेरे में तीर चलाते हैं, तो कई बार खुद को भी लग जाता है। आप जो यह सैक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेकर चल रहे हैं, उस मुखौट के पीछे असली चेहरा क्या है, भारत की जनता ने वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में आपको बता दिया है। आज कांग्रेस में परिस्थिति यह हो रही है िक एक केम्पैन चला था- सेव टाइगर। अब कांग्रेस वाले आपस में बैठ कर कह रहे हैं िक सेव टाइगर केम्पैन छोड़ो, सेव कांग्रेस केम्पैन शुरू करो, केवल 44 सदस्य ही बचे हैं। आज यह परिस्थिति इनके साथ है।

महोदय, मैं इनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को बेवजह, बेमतलब बढ़ाने का प्रयास न करें पुख्ता सुबूत हो तो सामने लेकर आएं। महबूता जी ने अपने भाषण में एसपी का भी नाम लिया था और कहा था कि पुलिस वालों को भी वहां की सरकारें कई बार सीखा कर यह काम करवाती हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए मैं खड़गे जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसी बेबुनियाद, जिनमें कोई तथ्य न हो, इस प्रकार के विषय ल लाएं और सदन का समय बर्बाद न करें।

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Mr. Chairman Sir, on the eve of Independence Day, I rise to speak on the sensitive subject of communal violence and the ways of tackling that menace.

Tomorrow morning, the hon. Prime Minister will be at the Red Fort delivering his first speech from its ramparts. In the winter of 1945, Mahatma Gandhi had gone to the Red Fort to meet the prisoners of the Indian National Army being held there by the British. These freedom fighters had felt no distinction of creed or religion when they fought under Netaji Chandra Bose's leadership with *Chalo Dilli* on their lips. They had dreamt of holding their victory parade in the Red Fort. They dined together before they shed their blood together in the battle of our freedom. "But here, we are faced with Hindu tea and Muslim tea". These freedom fighters complained to Mahatma Gandhi. "Why do you suffer it?" Gandhi Ji asked. "We don't." They replied. "We mix Hindu tea and Muslim tea half and half and then serve. The same with food." "That is very good." Mahatma exclaimed laughing. We need to rekindle that spirit of cultural intimacy and political solidarity among religious communities, if we are to be free of the scourge that goes by the name of communal violence.

Our celebrations of Independence had been marred by terrible partition violence and we had resolved then "Never again." And yet, 1984 in Delhi, 1992-93 in Ayodhya and Mumbai, 2002 in Gujarat have been years of shame for us. In this year of grace, 2014, there have been incidents of violence that are cause for grave concern.

I do not wish to enter into the war of statistics about exactly how many incidents there have been or the blame game as to whether they have taken place in BJP-ruled States or Congress-ruled States. Simply, such episodes must be nipped in the bud. West Bengal is a Heaven of peace in this country in terms of Hindu-Muslim relations. What are the roots of communal violence in our country? Jawahar Lal Nehru had concluded the chapter in his autobiography titled "Communalism rampant" by claiming that surely religion and the spirit of religion have much to answer for.

That, I believe, was a misdiagnosis of the ailment. I share Shri Kharge's concern about the incidents of violence in our country. But we have to be careful not to make religion the enemy of the nation. I wish to assure the Member of the Akali Dal who spoke a little while ago that we are not against religion. We are only against religious prejudice, religious bigotry, religious majoritarianism. We know full well that most people in our country are deeply religious. We respect religious faith. But I would like to say to this Government that when beautiful religious symbols are deployed in the interests of majoritarian triumphalism, then we face a very major problem in our country. That is what, I fear, is happening today. The victory of the ruling party in the general elections has emboldened the more extreme among its followers. Even more than the actual incidents of violence that have taken place, I have grim forebodings of underlying tensions and the sense of fear and the insecurity among the minorities as they feel the cold winds of political exclusion.

To the Government of the day I would like to say, through you, Mr. Chairman, do not remain silent about the episodes of bullying and violence. Restrain and discipline your errant followers with unambiguous words of condemnation and swift action on the ground to uphold the law. ... (*Interruptions*) It is undeniable that a disproportionate number of incidents are taking place in poll-bound constituencies and poll-bound States. Let us not tarnish our democracy by polarizing communities for short-term political gain at the cost of long-term well-being of our country.

The opening speaker from the treasury benches in his fiery speech wearing the saffron robe invoked the name of Swami Vivekananda. Well, let us recall Vivekananda's immortal lines. He said: "I shall go to the mosque of the Muslim; I shall enter the Christians' church and kneel before the crucifix; I shall enter the Buddhist temple where I shall take refuge in the Buddha and his law; and I shall go into the forest and sit down in meditation with the Hindu who is trying to see the light which enlightens the heart of every one." I fervently hope we in Parliament can generate more light than heat. ... (*Interruptions*) I will take no more than one minute. I have been anguished by

the tenor of this debate and I want to apply a healing touch before Independence Day.

At the anniversary of the midnight hour of our freedom, let us pledge to devote ourselves to maintaining peace with harmony, with honour among all religious communities — "honour to prudence, honour to sobriety, honour to sanity" to quote Shri Saratchandra Bose.

We sing Rabindranath Tagore's first verse of Jana Gana Mana as our National Anthem. But the time has come to remind ourselves of the song's beautiful second verse, a symphony to unity, a call to weave together a garland of love.

Ahoraho tabo awohano procharito,
suni tabo udaro bani,
Hindu, Boudho, Sikho, Jaino, Parsiko, Musalmano Christani,
Purabo Paschimo ase tabo singhasono pase
premo-har o hoi gatha, Jana Gano Oikyo Bidhayaka Joyo hey,
Bharata Bhagya Vidhata,
Joyo hey, Joyo hey, Joyo hey, joyo, joyo, joyo, joyo hey.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): After hearing the healing speech of our learned friend, I would like to associate with him. This House is discussing a very important and serious issue, but it is very sensitive also. वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम माननीय खड़गे जी को धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमारी रिकवेस्ट को माना है। अभी एक 193 कम्प्लीट हो रहा है और दूसरा 193 शेष है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी

का भी वक्तव्य हो जाए। मैंने सुबह चेयर को निवेदन किया था कि जो गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

HON. CHAIRPERSON: Does the House agree?

SEVERAL HON. MEMBERS: Agreed.

है, उसे आगे के लिए स्थगित कर दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The august House is discussing a very important issue but it is also a sensitive issue. From yesterday onwards, we are all witnessing the debate which has taken place in this House and the way the issue is being addressed by various sections of this House. I would also like to make my apprehension in respect of this issue. From where should tolerance come? To my mind, tolerance has to come first from the Members of Parliament of this august House because we are lawmakers and the policymakers of this country. We should hold the flag of harmony not hatred. It is well known that none of the religious institutions or thoughts of India is professing or propagating the philosophy of hatred but harmony. We know that Jesus Christ has told us that we have to love our neighbours as that of you. And the last Prophet Mohammad has taught us that if anybody is felling hungry and you are having food at supper, definitely you are not the follower of Islam. Similarly, the basic Hindu philosophy - Vasudeva Kutumbaham - which means the whole world is one family. We are all brothers and sisters and that is the salutation Swami Vivekananda has made in Chicago at the World Conference, which has given life to the Indian culture and Indian spirit and tolerance.

But unfortunately what is happening to our country now a days? If you go through the philosophy of Sri Narayana Guru's, the famous thinker, who said that whatever things you do for the betterment of yourself, it should be for the betterment of the whole society. If this is the thinking, teaching and propagation of these eminent thinkers, philosophers or the religious schools of thought, then, what is the real cause of these communal riots and communal divide? The main reason behind this is communalization of Indian politics. Even centuries back, it was there in the history of India. Due to paucity of time, I am not going into any of the quotations.

Mahatma Gandhi in 1921 has warned us about the dangers of communalism. It was cautioned to us roughly 90 years back. Now a days these incidents are happening. I am not going into the political situation which is prevailing in UP, and many other places where communal riots, communal divide and communal violence are going on. It means that we have already communalized the Indian political situation and legitimizing the communalization in politics means that it is a very dangerous situation which the country is going to face.

What is the survival of Indian democracy? The root cause of survival of Indian democracy for the last 60 or 65 years is mainly because we are able to maintain the secular fabric of our country. That is the main cardinal stone in which the Indian democracy is being built up. If we are shakening the cardinal basic stone of our country's federal structure or the secular Constitution, definitely, the survival of country itself would be in peril. So, Sir, my point is this. What is happening in our country? After assuming power by the NDA Government at the Centre, there is an apprehension of safety in the minds of the minority, especially in the minds of Muslims. That is there. Why it is there? Even the manifesto of the BJP, if you go through it, the three controversial issues – construction of Ram *Janma Bhoomi* Temple, repeal of Article 370 and Uniform Civil Code - were there. I do accept the fact that you have got the mandate to govern the country but the main question is that the aspirations and the concerns in the minds of the minority people have to be taken into consideration when we deal with the subject. That is why, the secular

Constitution is threatened and that apprehension would definitely cause communal divide and that would lead to communal riots.

Who is suffering in the communal riots? We can examine almost all the communal riots in India since Independence or even prior to Independence, the poor, downtrodden and common people are being killed in the communal riots.

Big business people are not being killed; only common, poor people are being killed in communal riots. So, it is the bounden duty of the Government to remove the apprehension in the minds of the minorities regarding their safety and security. When we talk about development and GDP growth, nothing is going to happen if we are having a communal divide in the country. We can have a prosperous India only if we have communal harmony and unity in the country.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापित महोदय, बहुत ही संवेदनशील विषय पर बहस चल रही है। मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। देश में जब सांप्रदायिक हिंसा होती है। दंगे और राजनीति बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। लोगों का विश्वास राजनीतिक लोगों से उठ गया है और लोगों का विश्वास पुलिस पर से भी उठ गया है। लोग दंगे नहीं चाहते हैं। आज दर्शक गैलरी में बहुत सारे छात्र आए हुए हैं, जो देश के भविष्य हैं। इनसे पूछिए कि ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हमें पढ़ाई मिले। लोग चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी कम हो जाए। लोग चाहते हैं कि उन्हें करप्शन रहित कंट्री चाहिए। लेकिन, इन मुद्दों से हटाने के लिए कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा करवा दी जाती है ताकि बेसिक मुद्दे पीछे छूट जाएं। ऐसे में नुकसान किसका होता है। दंगों में आम आदमी मरते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) पहले तो मैं सत्ता पक्ष को कहता हूं कि इनके पास बोलने के लिए साढ़े चार घंटे हैं लेकिन ये पांच-पांच घंटे तक बोलते रहते हैं। हमें बोलने के लिए दो-चार मिनट मिलते हैं। ...(व्यवधान) कभी सुन भी लिया करें। ...(व्यवधान) अगर यह एक दिन माफी न मांगे तो इनका दिन पूरा नहीं होता है। ...(व्यवधान) सबसे ज्यादा वह बोलते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दंगों में आम आदमी मरते हैं।...(व्यवधान) इस सरकार के पास बहुत बड़ा मैंडेट आ गया है, बहुमत आ गया है। हम जनता के फैसले का सत्कार करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रबंध किए जाएं कि देश तरक्की की ओर जाए। हमारे युवा पढ़ें। यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई के मुताबिक उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। वे दूसरे देशों में जा रहे हैं। हमारे देश का दिमाग हमारे ही देश के काम आएं, ऐसी चीजों को रोकने के लिए बहुत ही जोरदार प्रबंध किए जाने चाहिए। आखिर में, मैं एक शेर बोलकर अपनी जगह लेता हूं।

"कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।"

श्री अरिवंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सभापित महोदय, धन्यवाद। मैं इस बहस में तो बोलने वाला नहीं था, लेकिन जब मैंने कुछ भाषण सुने, तो मुझे कुछ बुरा और कुछ अच्छा भी लगा। इस देश का जो बंटवारा हुआ, वह बंटवारा ही जिस नींव पर खड़ा हुआ, उसको आज हम भूल गए है। मुलायम सिंह जी उस वक्त कहने लगे कि देश को अगर किसी ने बचाया है तो मुसलमानों और किसानों ने देश को बचाया है। आप यह नहीं सोचते हैं कि इस विचार से लोगों के मन में क्या पैदा होगा? जब एप्रीहैन्सन की, माइनॉरिटिज की बात करते हैं, जब माइनॉरिटिज के लिए इस तरह से आप बात करते हैं तो मेजॉरिटी को क्या फील होता है, क्या उसके लिए आपने सोचा है? इस देश में मेजॉरिटी की बात आप इग्नोर करते गए। जात-पात, प्रांत, धर्म और रीजन के ऊपर हम हर वक्त बंटवारा करते रहे हैं।

सभापति महोदय, आज मुझे वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट, शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की याद आ रही है। स्टॉन्च पैट्रीओट देशभक्त, वह हर वक्त यही कहते रहे कि हमें हिन्दू-मुसलमान से भी आगे जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में एक ही शख्स हुआ है जिन्होंने मंडल आयोग का विरोध किया। उन्होंने क्यों विरोध किया? हम जाति में बंटवारा करने लगे। आज वह हर प्रांत में बढ़ रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। वर्ष 1992, मुम्बई में क्यों दंगा हुआ? मुम्बई के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? ये लोग कौन हैं? ये किस प्रांत के हैं? ये किस धर्म के हैं? कौन से मजहब के हैं। इराक में कौन लड़ाई कर रहा है। क्या हिन्दू कर रहे हैं? कौन किसको मार रहा है? इन सारी चीजों को देखकर बुरा लगता है। एक अच्छी सरकार आई है, अच्छे दिन की बात कर रही है, अच्छा काम करने की सोच रही है। अगर कहीं एक-आध हादसा हो गया तो उसे लेकर ऐसा रंग देने की कोशिश करते हैं जैसे माइनॉरिटी पूरी डर गई है। मेरे क्षेत्र में माइनॉरिटी के बहुत से लोग हैं। वे बहुत अच्छी तरह रहते हैं। मैं कभी-कभी कहता हूं - वो हिन्दू रहेगा न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है इंसान रहेगा। वह इंसान हिन्दुस्तान का रहना चाहिए। अगर वह इंसान है तो उसे हिन्दुस्तान की जमीं से प्यार करना चाहिए। हमें हमीद पर गर्व है। जब तक श्री अजहरुद्दीन झमेले में नहीं आए, हमें उन पर भी गर्व था। जब लगता था कि देश के लिए खेल रहे हैं तो अच्छा लगता था। हमने कभी नहीं कहा कि वे मुसलमान हैं। लेकिन अगर मुसलमान इस राष्ट्र के प्रवाह में खुद को शरीक करें, गंगा और यमुना का संगम हो तो आगे चलकर गंगा का पानी कौन सा है और यमुना का पानी कौन सा है, क्या पता लगता है। मुसलमानों को इसे सोचना चाहिए कि वे गंगा के पानी में ऐसे घुल जाएं कि आगे चलकर पता न चले कि यह पानी गंगा का है या यमुना का है, इतना ही पता लगे कि यह पानी हिन्दुस्तान का है, हिन्दुस्तान का है। जब ऐसी बात होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बोलना नहीं चाहता था।

15.41 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

इन्होंने गांधी जी, सुभाष चन्द्र जी, विवेकानन्द जी की बात की। I do remember, once Mahatma Gandhi had said, 'Spiritualise the politics'. Are we spiritualising it? Who has ruled this country for 60 years? Could they spiritualise the politics? On the contrary, they have divided the politics on regions and religions. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अरविंद जी, क्या आपकी बात हो गई?

...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा!...(व्यवधान) मैं बोलना नहीं चाहता था। मुझे बहुत बुरा लगा इसीलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ।...(व्यवधान) मुझे इस बात का बुरा लगा कि हमारे बुजुर्ग लोग इस सदन में कहते हैं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाया है तो मुसलमानों और किसानों ने बढ़ाया है। यह कोई बात हुई। क्या यह मजहब इकट्ठा करने की बात हुई, मजहब को एक साथ लाने की बात हुई? यह तो बंटवारे की बात हुई। मैं चाहता हूं कि ऐसे बंटवारे की बात इस सदन में आगे न हो। अगर बात करनी है तो प्यार की बात करें, रिश्ते की बात करें। रिश्ता ऐसा बनाएं कि आगे चलकर हम खुद सोचें। हम हर चीज को पोलीटिसाइज करते हैं, हर चीज को चुनाव के नजरिए से देखते हैं कि इससे मुझे चुनाव में क्या लाभ होगा, मेरी पार्टी को क्या लाभ होगा।...(व्यवधान) आप यही काम करते आए हैं, इसलिए 44 पर चले गए। मुझे लगता है नरेन्द्र मोदी जी इस देश को जिस ढंग से आगे बढाना चाहते हैं, हम सब मिलकर उनके हाथ और मजबृत करें, तभी देश आगे बढेगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार: अध्यक्ष महोदया, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पूरी हो गई है। माननीय खड़गे जी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। राजनाथ जी की तबीयत खराब है, वे नहीं आ सकते। इसलिए इस चर्चा का रिप्लाई अगले सत्र में होने की संभावना रहेगी। दूसरे 193 के अंतर्गत चर्चा का रिप्लाई माननीय मंत्री महोदया अभी देंगी।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप चाहें तो स्टेट मिनिस्टर रिप्लाई दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: चाहने का प्रश्न नहीं है। राजनाथ जी की तबीयत ठीक नहीं है। We wish him all the best; speedy recovery. He should come and reply; we wish. In his absence, if the Prime Minister comes and replies, we will hear him. Otherwise, there is no point in that. That is why, I agreed for that.

माननीय अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्य महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अत्याचार के विषय पर अपनी लिखित स्पीच देना चाहते थे। अगर वे ऐसा चाहते हैं तो अपनी स्पीच टेबल पर ले कर सकते हैं।

15.43 hrs

(ii) Need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** नियम 193 के तहत् महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए भारतीय संसद में निर्भया कांड के बाद बहुत बड़ा कानून बनाया गया , लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति अत्याचार थमने का या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समाचार पत्रों में आये दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा के साथ संस्कारों की कमी है। वर्तमान में जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है उससे चरित्र निर्माण और संस्कार निर्माण के क्षेत्र में बहुत कम संस्कार स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दिये जा रहे हैं और संस्कार निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान स्कूल ही होता है। घरो में भी बच्चों को संस्कार निर्माण का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि बच्चों के मां-बाप अलग काम में बिजी रहते हैं और बच्चे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संस्कार निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य में बिजी रहते हैं, जिससे संस्कार निर्माण का क्षेत्र उपेक्षित हो गया है। समाज में साधू-संतों के माध्यम से जो संस्कार निर्माण या जो चरित्र निर्माण का कार्य कराया जाता है, उसमें भी बहुत कमी आई है। इससे इन परिस्थितियों में मेरा यह मानना है कि जब तक संस्कार निर्माण और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत समुचित ढंग से कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा और नैतिकता का विकास समाज में नहीं किया जायेगा तब तक मात्र कानून से ही महिलाओं पर अत्याचार रूक जायेगा, ऐसी संभावना कम है। उनके दहेज के विरोध में शारदा एक्ट वर्षो से हैं, लेकिन फिर भी दहेज की खबरें आये दिन अखबारों में प्रकाशित होती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून बन गये हैं, लेकिन इसके बावजूद उन क्षेत्रों में अपराध कम नहीं होते हैं। बच्चों के प्रति जो अपराध गठित हो रहे हैं, उनमें भी एक अध्ययन से ये जानकारी मिली है कि परिवारों और उनके साथ बच्चों के प्रति गठित अपराध ज्यादा करते हैं। इसमें यौन शोषण के अपराध भी सम्मिलित हैं। अतः इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार, समाज और स्कूली शिक्षा द्वारा संस्कार निर्माण और चरित्र निर्माण की शिक्षा उपलब्ध कराकर समाज और देश में नैतिकता का विकास करना अति आवश्यक है और इससे ही महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार की घटनाओं में कमी आयेगी।

^{*} Speech was laid on the Table.

कानून बनाने के बाद उसकी अनुपालना होती है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी देश में कमज़ोर है। इसलिए कड़े नियमों के साथ कानून की पालना तथा मॉनिटरिंग सिस्टम किये जाने की जरूरत है और जो लोग कानून की पालना की अनदेखी करते हैं उनके खिलाफ सजा एक नियमित अवधि में शामिल होनी चाहिए। जिससे कानून का डर भी अपराधों को रोक सकता है अभी कानूनों का डर नहीं होने से कानून होते हुए भी अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

*SHRIMATI K. MARGATHAM (KANCHEEPURAM): Before I begin my maiden speech in this august House, I would like to thank the Chief Minister of Tamil Nadu, Hon'ble Amma for this opportunity to participate in debates and discussions and to voice the grievances of the people.

As we all know, it is in our tradition to address 'our country, the rivers and mountains', in feminine gender. Extending this further, I say that the women of India should be respected and given prominent position, and also due regards.

But what are we seeing in the country presently? More and more crimes are being committed against women and children. The National Crime Records Bureau report confirms that they are really on the rise.

The Union Ministry of Women and Child Development runs schemes like Integrated Child Development Scheme, Nutrition Programme for Adolescent Girls, National Creche Scheme for the Children of Working Mothers, Integretated Programme for Street Children, and the others. Moreover, this Ministry is supposed to take care of women and children who account for 70% of our population. But in terms of money allocation in the Budget, it is very meagre.

Coming to the female sex ratio, it is declining in India. But interestingly, the records of census show that in Tamil Nadu, the female sex ratio has increased from 986 to 996 girls to 1,000 males. This is due to the efforts taken by the Chief Minister of Tamil Nadu in protecting the girls. Hon'ble Amma is constantly taking efforts for the welfare of women and girl children. The Cradle Scheme is a grand success in Tamil Nadu and female foeticide has been completely stopped. Women are being helped by the Tamil Nadu Govt. during their pregnancy and during lactating period. The graduate-girls are being given Rs. 50,000 at the time of marriage along with 4 grams of gold. For the working women, Hon'ble Amma has constructed 20 working women hostels.

As per the UN Report, Tamil Nadu is one of the three Indian States which has achieved the Millennium Development Goals, whereas as a country,

-

^{*} Speech was laid on the Table.

India has failed. This amply shows the efforts taken by the Tamil Nadu Govt. under Dr. Amma.

In Delhi, a few years back, we had the gruesome rape-cum-murder of Nirbhaya. It was very widely reported that the juvenile who was instrumental in her death, has escaped the law. Here, the silver lining is that the Hon'ble Minister is in favour of bringing a law to treat such juveniles as adults. It is a very welcome initiative and it would act as a deterrent. Secondly, the UPA Govt. has constituted Nirbhaya Fund, which is un-utilized. I request the Minister to utilize that fund for the welfare of women and children.

In India, we have adequate laws, but the implementation is very weak and ineffective. In the case of Tamil Nadu, our Chief Minister is initiating action to book such culprits under the Goondas Act. This would act as a severe punishment. There is a need to have such effective provisions, if we intend to stop such atrocities. I hope that the Hon'ble Minister will initiate such actions that are necessary to stop crimes and atrocities against women and children in this country.

*श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी): आज देश के समक्ष अनेक बड़ी समस्याएं और चुनौतियां हैं उनमें सबसे प्रमुख चुनौती महिलाओं के प्रति बढ़ रहा अत्याचार और उनका शोषण है। शोषण और अत्याचार का कोई स्वरूप नहीं है बल्कि इसके अनेक स्वरूप हैं, जैसे- दहेज के लिए महिलाओं पर हो रहा अत्याचार; बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार; लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंकना; ऑनर किलिंग; लड़कियों और महिलाओं की खरीद बिक्री और जबरन वेश्यावृत्ति; तथा घरेलू हिंसा।

हमारे देश का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। हमारे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में महिलाओं को पुरूषों के समक्ष बराबर का दर्जा दिया गया है और यहां तक कि कई स्थानों पर तो उन्हें पुरूषों से भी ऊपर स्थान दिया गया है। किन्तु आज हम देखते हैं कि प्रत्येक महिला कहीं न कहीं किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रही है। मैं नहीं कहती कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण के लिए पुरूष ही दोषी है, इसके लिए कुछ हद तक महिला भी दोषी है। बहू पर सास द्वारा शोषण इसका उदाहरण है। फिर भी महिलाओं के शोषण में पुरूष का बड़ा हाथ है।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को अगर आंकड़ों के नज़िरये से देखें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक 3 मिनट में एक महिला के साथ अत्याचार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक 29 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ रेप की घटना घटित होती है। National Crime Records Bureau of India के आंकड़े भी बताते हैं कि देश में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। Bureau के अनुसार वर्ष 2011 के मुकाबले वर्ष 2013 में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में कुछ घटनाओं की संख्या जहाँ 2,28,638 थी, वहीं 2012 में बढ़कर 2,44,638 हो गयी। ये सरकारी आंकड़ें हैं जो हकीकत का एक पहलू हैं जबिक स्थिति और भी भयानक है। अनेकों मामले हैं जो या तो दर्ज नहीं कराए जाते या किसी न किसी दबाव के चलते वापस ले लिये जाते हैं।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। महिलाओं में साक्षरता का अभाव, कुपोषण, स्त्री-पुरूष असमानता, हाल के दिनों में आया सूनापन जैसे कारण हैं।

किन्तु सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का क्या रोल होना चाहिए। क्या सरकार जो कर रही है उस पर संतोष करके बैठ जाना चाहिए या उससे बढ़कर महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों

_

^{*} Speech was laid on the Table.

को रोकना चाहिए, उत्तर सबको पता है। यहां सरकार की बड़ी भूमिका है। हालांकि सरकार ने आज़ादी के बाद से अनेक कदम उठाए हैं जिसमें सबसे पहले महिलाओं के कल्याण पर ध्यान दिया गया, तत्पश्चात् उनके आर्थिक विकास पर और हाल के दिनों में महिला सशक्तीकरण पर। सरकार ने महिलाओं के लिए एक मंत्रालय खोला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अनेक कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। इन सबका नतीजा सकारात्मक रहा है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार आया है, किंतु मूल प्रश्न है महिला सशक्तीकरण का।

एक महिला तभी सशक्त मानी जायेगी जब वह यह निर्णय कर सके कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इतना ही नहीं अगर एक महिला अपने लिए हुए निर्णय को लागू करवाने में सक्षम होती है या अपने विरुद्ध किए जा रहे निर्णय को रोक पाने में सक्षम है तो मैं मानूंगी कि वह महिला सशक्त है। जब तक महिला के सन्दर्भ में उसके अच्छे या बुरे का निर्णय कोई और लेगा तब तक महिला सक्षम नहीं मानी जा सकती, भले ही एक महिला कितनी ही पढ़ी-लिखी हो और कितना ही सम्पन्न हो, किंतु यदि उसे निर्णय की आज़ादी नहीं है तो वह सक्षम नहीं कहलायेगी।

1993 में देश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तत्पश्चात् 33% आरक्षण की वजह से निर्णय निर्माण में लाखों महिलाएं घरों से निकल कर आगे आयी। आज उसका परिणाम भी आने लगा है, किंतु देश की संसद और विधान सभाओं में आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर सख्ती से रोक लगाएं, लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, महिलाओं को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे खुद अपना निर्णय ले सकें, इसके लिए महिलाओं को 33% आरक्षण विधायिकाओं में नहीं बल्कि प्रशासन में भी दिया जाए।

*श्रीमती रेखा वर्मा (धोरहरा): आशा बहू एक घरेलू सामाजिक महिला है जो एन.एच.आर.एम.(राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक 500 की न्यूनतम आबादी पर चयनित की जाती है। इनका कार्य समाज के बच्चों तथा महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना जैसे- टीकाकरण, आयरन की गोलियां वितरित करना, मोतियाबिन्द का ऑपरेशन, प्रसव आदि में सहयोग करना आदि ऐसे कार्य जो घरेलू महिलाओं के सीधे स्वास्थ्य सेवाएं व साथ-साथ सामाजिक रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाती है।

इन सब के बदले में उन्हें पारिश्रमिक कार्य के अनुसार काफी कम 50, 199 या 200 रूपये ही मिलते हैं जिससे इनका उत्साह प्रभावी नहीं रह पाता है

ऐसी स्थिति में एक निश्चित मानदेय देना उचित होगा, जिससे इनका मनोबल व आत्मविश्वास बढ़े और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हो। ऐसा करने से हम अपने बच्चों व महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ रहन-सहन व सामाजिक स्तर में भी बदलाव कर सकते हैं।

* Speech was laid on the Table.

_

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): वर्तमान सरकार ने अपने बजट में महिला सुरक्षा एवं महिला विकास विषयों पर भी ध्यान दिया है। देश में महिला अत्याचार संबंधित मामलों पर यह सदन चिंता व्यक्त कर रहा है। महिला अत्याचार की घटना देश को शर्मसार करती हैं। कई बार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भारतीय संस्कृति जो कि दुर्गा, सीता, सरस्वती से पहचानी जाती है उस देश में ऐसी घटनायें चिंता का विषय बन रही है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है " यत्र नार्यस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः ", जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता भी वास करते हैं।

इन कुछ दिनों में घटित घटनाओं में एक और चिंतित करने वाली बात सामने आई है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का इन जघन्य अत्याचारों में लिप्त होना। मेरा सरकार को सूचित करना है कि ऐसे अपराधों में जिनकी जिम्मेदारी रक्षा की है वे या तो सरकारी कमचारी अगर भक्षक बनते पाये गये, उनकी पूरी सर्विस की जो भी जमा पूंजी सरकार के पास है, चाहे वह प्रोविडंड फंड हो, ग्रेच्युटी फंड हो, पेंशन फंड हो, वे सब पीड़ित परिवार को दे दिया जाये। यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया गया तो इस राशि को आधा कर दिया जाये। तािक इनकी जिम्मेदारी जो रक्षक की है वह भक्षक न बनने पाये। ऐसे मामलों में पुलिस कार्यवाही में देरी के जो भी कारण हैं, उनका पूरा ब्यौरा पुलिस डायरी एवं एफ.आई.आर. में लिखना अनिवार्य करना चाहिये कि घटना कब घटी एवं एफ.आइ.आर. कब हुई तथा पुलिस ने कार्यवाही कब शुरू की। आमतौर पर ऐसे केसों में बताया जाता है कि पुलिस कार्रवाई में देरी होने के कारण अपराधी को भागने का मौका मिलता है। वह मौका न मिल पाये एवं न्याय मिलने में जल्दी हो। 2014 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर धन देकर निर्भया फंड का उचित उपयोग पीड़ितों को मदद देकर, फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा त्वरित न्याय देने का प्राविधान किया है, जो स्वागतयोग्य है।

इस विषय में गुजरात में महिला सुरक्षा विषय को जिस तरह से सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है, उसी तर्ज पर केन्द्र सरकार भी योजना बनाये, ऐसी मेरी मांग है। मैं गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा इस विषय को जिस गंभीरता से हाथ में लिया गया है, उसकी भी सराहना करती हूँ। उनके द्वारा पदग्रहण करने के बाद प्रस्तुत किये गये पहले बजट में गुजरात में कई नये कदम उठाये गये हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री माननीय आनंदी बहन ने जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करके जेन्डर बजट के माध्यम से

-

^{*} Speech was laid on the Table.

महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। स्व-सुरक्षा की जागृति लाने हेतु पुलिस डिपार्टमेंट और एन.जी.ओ. के साथ मिलकर महिलाओं को स्व-सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षित किया है। पुलिस महकमें में 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मचारियों की भर्ती करने का नियम बनाकर इस कार्यक्रम में महिलाओं को जोड़ा है। एन.सी.सी., महिला सुरक्षा समिति, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा महिलाओं की पुलिस भर्ती ट्रेनिंग, पुलिस को बातमी देना, मदद करना जैसे बहादुरीपूर्ण कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन देकर उनको सशक्त किया है। गुजरात सरकार ने 1 से 15 अगस्त के बीच महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तीकरण का पूरे राज्य भर में कार्यक्रम घोषित किया है। गुजरात सरकार ने चुनाव पंच को भी सुझाव दिया है। जिसके घर में शौचालय न हो वह सरपंच से लेकर तालुका जिला पंचायत तक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे, क्योंकि ज्यादातर घटनाओं में घर में शौचालय न होने की वजह से रात को अकेली बहन, बेटी पर जघन्य घटना होती है।

इसी मंत्रालय से जुड़ा प्रश्न है, बाल मजदूरी। यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं जानना चाहूंगी की पिछले पांच सालो में देश में बाल मजदूरी के कितने केसेस पाये गये और कितने बच्चों को छुड़ाया गया? जिन बच्चों को छुड़ाया गया, वे आज कहां पर हैं और उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? मेरा आग्रह है कि जिन जगहों से इस प्रकार के बाल मजदूर पकड़े जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन प्रतिष्ठानों को जो भी राहत सरकार से मिल रही है, उनको तत्काल रोक दिया जाये। जैसे कि ऐसे प्रतिष्ठानों को भारत का राष्ट्रीय कानून भंग करने की सजा के रूप में उनको मिलने वाली इन्कम टैक्स बगैरह की छूट को रह कर देना चाहिए, तािक कानून का भय अपराधियों के ऊपर रहे।

जैसे पुलिस प्रशासन में 33 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती, सेल्फ डिफेन्स की 15 दिनों की ट्रेनिंग, पूरे राज्य में बहन, बेटियों को मिले, उसके लिए अलग से बजट का आवंटन हो, जिन महिलाओं द्वारा इस प्रकार के गुनाहों को रोकने के लिए कुछ भी कार्य किया है, उनका सम्मान जैसे कार्य प्रमुख हैं। मान्यवर गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव आयोग से एक और गुजारिश की गई है। आमतौर पर गांवों में घर में शौचालय न होने की वजह से बहन, बेटियों को घर से बाहर ऐसी क्रियाओं के लिए जाना पड़ता है। उसका लाभ असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जाता है। उन्होंने आयोग से मांग की है कि हर घर में शौचालय की व्यवस्था जहां पर न हो उस गांव के सरपंच, प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिये और वह चुनाव आगे चलकर न लड़ पाये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसे मामलों को संवदेनशीलता से हाथ में ले रही है। यह चर्चा उसी का परिणाम है। गुजरात में कार्य करने के लिए सुरक्षा समिति

वगैरह की योजना बनाई गई हैं, वह पूरे देश भर में लागू करने के लिए मेरी मांग है। कन्या शिक्षा में स्वरक्षा को भी सम्मिलित करने का मेरा सुझाव है। साथ ही, ऐसे मामलो में फास्टट्रैक कोर्ट की व्यवस्था एवं पीड़ितों का विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट कार्यवाही में सम्मिलित होना, जैसे उपाय किये जाने चाहिए ताकि पीड़िता एवं उसके परिवार की पहचान छुपाई जा सके। 2014 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर धन देकर निर्भया फंड का उचित उपयोग पीड़ितों को मदद देकर फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा जल्दी न्याय देने का प्रावधान किया है, जो स्वागतयोग्य है।

*श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): भारत में महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं से सम्पूर्ण भारत के साथ ही अमेरिका जैसा देश भी चिंतित है। देशभर में हो हरी बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले ही हैं, दूसरी ओर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भद्दी-भद्दी टिप्पणियां हैं। जिम्मेदार पदों पर रहे पूर्व में केन्द्रीय कोयला मंत्री जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हों या उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री हो, सभी जिम्मेदार लोगों की सोच महिलाओं के प्रति संवेदनहीन होने का नमूना है, किंतु जब सीमा पर जवान शहीद होता है तो कहा जाता है कि धन्य है वो माँ, जिसने इस लाल को जन्म दिया तब अप्रत्यक्ष रूप में स्त्री का ही गुणगान होता है। वैसे भी हमारे भारतीय इतिहास में महान नारियों का योगदान है, जिन्होंने अपनी योगयता, बुद्धिमत्ता, साहिसक क्षमता और युद्ध कुशलता का परिचय दिया है।

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ महिला कर्मियों से छेड़छाड़ के मामले में निलम्बित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बदहाली का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आरोपी सिद्ध होने के बाद सजा होने के अनुपात में अन्य मामलों की अपेक्षा बलात्कार की घटनाओं की रफ्तार कम है।

हमारे उत्तर प्रदेश की लड़िकयों के साथ बलात्कार करने के बाद पेड़ पर लटका दिया जाता है। बरेली में एक युवती के साथ बलात्कार कर तेजाब पिलाकर पेट्रोल से जलाया जाता है। शाहजहाँपुर में डेढ़ वर्ष पहले पूजा नाम की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। पूजा का परिवार कलेक्ट्रेट के सामने तभी से आज तक धरने पर है। इतना ही नहीं शाहजहांपुर में 6 से 13 वर्ष की बालिकाओं के साथ बहुत सारी घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

क्रायसिस सेल के अतिरिक्त देश भर में 114 शहरों में तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु जी.सी.एस. आधारित सहायता वाहन तैयार किये जाने के साथ ही एकीकृत कम्प्यूटर आधारित प्रेषस प्लेटफॉर्म की भी योजना है जिससे संकट में फंसी महिलाओं को लोकेट किया जा सकेगा। इस योजना से पीड़ित महिला को काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

महिला अपराध के साथ ही शोषण का आंकड़ा भी हमारे देश में गंभीर समस्या है। हर साल हज़ारों बच्चे गायब हो जाते हैं। अकेले वर्ष 2013 में 7181 बच्चे गायब हुए जिनमें अभी तक आधे भी जिला प्रशासन द्वारा पता नहीं लगाये जा सके हैं। गायब बच्चों में आधे से ज्यादा लड़कियां हैं।

_

^{*} Speech was laid on the Table.

सूत्र बताते हैं कि मानव तस्करी का सबसे बड़ा अड़डा दिल्ली के एक इलाके में है। निठारी काण्ड भी एक आश्चर्यचकित उदाहरण है। मैं पुनः अपनी सरकार को बधाई देती हूं जो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है।

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, लखीमपुर, औरेया, फतेहपुर, कानपुर, रामपुर, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज आदि जिलों में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध के मामले सामने आते रहे हैं। सदियों से चली आ रही पुरूष प्रधान की मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। महिला को दोयम दर्ज का मानने की मानसिकता भी कम नहीं हो पा रही है। इस मानसिकता को बदलने की शुरूआत मात्र कानून से ही नहीं बल्कि घर परिवार से करनी पड़ेगी। स्त्रियों के साथ मर्यादित व्यवहार करना घर ही से सीखना होगा। साथ ही अपराधी के खिलाफ कार्यवाही कर जल्द से जल्द कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। सजा ऐसी हो, जिसे सोचकर लोगों को डर लगे।

में माननीय राजनाथ जी, माननीया मेनका गांधी जी को बधाई देना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण देश के प्रत्येक जिले में विशेष केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस केन्द्र को क्रायिसस सेल के नाम से जाना जायेगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एवं संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचायी जा सकेगी।

" बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं " पर 100 करोड़ का प्रावधान किया है, जो हमारी सरकार की संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति दर्शाता है। अंत में कहना चाहूंगी कि स्त्री और प्रकृति के समतुल्य है, इन दोनों का सम्मान करना ही होगा अन्यथा मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

*श्री पी.पी. चौधरी (पाली): एनसीआरबी द्वारा जारी पिछले तीन साल के आंकड़ों ने महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में बताया है कि इनमें लगातार बढ़ोत्तरी हुई है, जो कि इस प्रकार है-2011 में 2,28,650, 2012 में 2,44,270 एवं 2013 में 3,09,546 अपराध हुए हैं, जो कि हमरे लिए बहुत चिंता का विषय है।

इस विषय पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि कठोर कानून लाया जाये जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़ गये हैं, उनको रोका जा सके। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इस संबंध में देश में कठोर कानून की कोई कमी नहीं है। हाल ही में क्रीमिनल लॉ (अमेंडमेंट एक्ट) 2013 में महिला के खिलाफ अपराधों के मामले में कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें अगर जरूरत है तो कानून की सही पालना की है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कई कारण हैं, इसे हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा नगण्य है, गरीबी के कारण और अन्य कई कारणों से प्रांरभिक व माध्यमिक शिक्षा तक भी गांव में महिलायें शिक्षित नहीं हैं। अगर देखा जाये तो उच्च शिक्षा में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी सिर्फ 9% है। यही नहीं, आज गांव में महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव है और लगभग 70% लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, जो कि इस तरह के अपराधों में डर के मारे उन्हें झुण्ड में शौच के लिए जाना पड़ता है। यही नहीं हमारी पुलिस फोर्स में सिर्फ 5% महिला ही हैं जबिक इनकी भागीदारी लगभग 33% होनी चाहिए। गांव में जो अपराध होते हैं, उनमें समाज के डर के मारे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है। यह सभी कारण अपराध में बढोत्तरी की वजह बनते हैं। अभी हाल में पहली बार हमारे वित्त मंत्री व हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से निर्भय कोष का प्रावधान रखा है, जिसमें पहली बार 150 करोड़ रूपये चयनित जिलों के लिए रखे गये हैं, जिससे अगर महिलायें तकलीफ में हों तो ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा उनको राहत पहुंचाई जाये। यही नहीं हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 के बजट में बच्चों के विकास के लिए 81075 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। इसमें 18,691 करोड़ रूपए इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेपलपमेंट, 100 करोड़ रूपए "बेटी बचाओ- बेटी पढाओं "के लिए, 715 करोड़ रूपए नेशनल मिशन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन और 400 करोड़ रूपए इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के लिए रखे गये हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित है।

_

^{*} Speech was laid on the Table.

जिस तरह के महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए उपाय सोचे जाने चाहिए। अगर अपराध घटित भी हो जायें तो उसमें पीड़ित को शीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए भी उपाय सोचे जाने चाहिए। आज की तारीख में जब अपराध घटित होता है तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अपराध की जांच करने वाली एजेंसी, जो पुलिस फोर्स हैं, वह पूर्ण रूप से इक्विप नहीं होने की वजह से जांच में कई तरह की खामियां रहती हैं। जांच में खामियां रहने के और कई तरह के कारण हैं, जिसका विवरण में नहीं देना चाहूंगा। न्यायालय में ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में प्रोसीक्यूशन द्वारा जांच सही नहीं करने व पक्ष नहीं रखने की वजह से ज्यादातर अपराधी छूट जाते हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अपराध की जांच प्रोसीक्यूशन व अपराध में एक्सपर्ट अधिकारियों द्वारा ही करवायी जानी चाहिए, जिससे आज की तारीख में जो 90% अपराध में दोषमुक्ति होती है, उससे निज़ात पाई जा सके। यही नहीं, महिलाओं और बच्चों के अपराध के संबंध में स्पेशल न्यायालयों का गठन हो, जिससे तीव गित से न्याय हों, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास भी पैदा होगा व अपराधी के मन में यह डर भी रहेगा कि उसे सजा अवश्य मिलेगी।

आज की तारीख में बालिकायें जो हैं वह एक बोझ की तरह मानी जाती हैं, जिसकी वजह से आज पुरूष एवं स्त्री का अनुपात जो है, 2011 के सेंसेक्स के अनुसार 1000 पुरूषों पर 914 महिलायें हैं, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय ही नहीं अपितु एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज देश में भ्रूण हत्याओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। 1600 भ्रूण हत्या प्रतिदिन होती है इसलिए हमें पीसीपी एक्ट में उचित संशोधन की आवश्यकता है।

जहां तक बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले हैं वह हमसे छुपे हुए नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लगभग 1 लाख बच्चे प्रतिवर्ष गायब रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में सालाना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, इसको हमें गंभीरता से लेना होगा।

अतः सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध में कमी लाने के लिए उचित उपाय किये जाने चाहिए। *श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): मैं एक उदाहरण के उल्लेख के साथ अपनी बात प्रांरभ करना चाहूंगी कि हरियाणा के भगाणा गाँव की दुष्कर्म पीड़ित 4 बच्चियां कई दिनों से लगातार सत्ता के इस मंदिर से चंद मिनटों की दूरी पर जंतर-मंतर पर इस आशा में बैठी हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यह वही स्थान है जहां दिसंबर की ठंड में लोगों ने निर्भया के लिए इंसाफ मांगा था। कई कड़े कानून बने, क्योंकि सरकार हरकत में आई, लेकिन फिर ठीक उसी जगह 4 और निर्भया बैठने को विवश है क्यों?

क्या सवाल वाकई कड़े कानून बनाने का है? या फिर सवाल ये है कि तमाम कड़े कानून बनकर भी लागू नहीं हो पाते और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों के मन में कानून का खौफ नहीं है और विशेषकर से जब पीड़िता समाज के वंचित दलित पिछड़े आदिवासी तबके से आती हो, जो जातिवादी और सामन्तवादी मानसिकता की शिकार हो और अक्सर जिसके प्रति लोकतंत्र के चार खम्भों का व्यवहार भी अलग किस्म का हो, तो यह कानून का भय और भी नगण्य हो जाता है।

पुलिस-प्रशासन के लचर रवैये के चलते अधिकांश मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। अत्याचार की भुक्तभोगी महिलाएं हिम्मत जुटाकर यदि थाने पहुंचती हैं तो उन्हें सहानुभूति के स्थान पर दुत्कार,अपमान व उपहास ही मिलता है और जो मामले दर्ज हो भी जाते हैं तो उनकी कोर्ट में सुनवाई कई वर्षों तक चलती रहती है। पूरा मामला तारीखों में सिमट कर रह जाता है।

क्या फास्टट्रैक कोर्ट सचमुच फास्ट काम कर पा रही है? जिससे अपराधी के मन में खौफ पैदा हो। कुछ ऐसी ही स्थिति बाल उत्पीड़न के मामलों की भी है। 5-12 वर्ष की उम्र के बच्चों पर सर्वाधिक अत्याचार होता है। बच्चों के शोषण के अधिकांश मामलों का भी समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। जिसके फलस्वरूप घटनाओं की संख्या में गिरावट नहीं आ रही है।

सरकार ने 2012 में बच्चों की सुरक्षा के लिए POSCO अर्थात् Protection of Children Against Sexual Offences एक्ट बना ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके, लेकिन कानून लागू होने की तिथि से लेकर 2013, सितम्बर तक महज साढ़े पांच फीसदी मामलों का ही निपटारा हो सका और केवल 14 आरापियों को ही दोषी करार दिया गया।

_

^{*} Speech was laid on the Table.

इतना ही नहीं इस कानून में केवल 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसके चलते भी अपराधी के मन में कानून का भय पैदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए और कड़े प्रावधान करने और समय से निपटारा करना जरूरी है।

*SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): This august House had discussed this matter in the last Lok Sabha consequent to the public outrage after the horrifying gang rape committed on a hapless girl who was on her way back to home in December 2012 in the capital city of Delhi. This horrendous incident along with other instances of rape and atrocities on women and children had evoked great amount of rancor among the people across the country.

In order to give teeth to the existing laws, this august House, in its wisdom, had decided to bring about drastic amendments in the criminal laws. The House has passed the Criminal Law (Amendment) Act unanimously. The intent of this amendment is widely lauded but it is saddening to note that it has failed to stem the tide of violence.

It is agonizing to note that females are targeted everywhere, whether it be at the schools, colleges, work places, streets, buses and even at public functions and at their own homes. It is also astounding to observe that more than 90% of the rapes are by relatives, friends or acquaintances and it mostly takes places in or near the houses where the victims stay.

In a male dominated society known for its notorious caste, communal, gender and parochial mindset one would expect even worse.

At the outset, I wish to place on record that it is not dearth of adequate laws that stand in the way of containing offences against women and children. It is mindset and attitude that must undergo rapid transformation. Therefore my initial observation is that we should take up this as a challenge to a civilized society and utmost vigilance is to be exercised by the community at large. What is required is to arouse the collective conscience of the society.

As the saying goes "charity begins at home" and lessons relating to values and morals should also start from every household. I underscore the importance of moral education to children right from pre-primary stage itself. Unfortunately such a system is not in vogue in our educational system and adequate changes must be brought in the syllabus. We need not wait until a

_

^{*} Speech was laid on the Table

judicial pronouncement is made in this regard. This House can debate this issue in the spirit of co-operative federalism and direct the state governments to do the needful accordingly.

Education is the most effective vehicle that can bring about social transformation and it is in the classrooms that the seeds of values are sown and grown.

Our rich cultural heritage has taught us to adore women and give utmost affection to children. But what is now happening in the country is deeply disturbing as also most reprehensible. No day passes without reports relating to gory rape, molestation, attacks and atrocities against women and children.

Human right organizations and World Watch groups look at our country with utter contempt and disgust.

Gender discrimination is prevalent in many parts of the country and attack and atrocities committed on the women and girls are astonishingly on the rise. We should all hang our heads in the shame that female foeticide is still in vogue in our country. Not only this, our society also discriminates against women and penalizes them at the community level. Dowry death and honor killing are also prevalent.

With the advancement of technology we have access to internet and the most sophisticated means of communication. Easy access to these is exposing young minds to the worst forms of pornography, sexual abuse and the most vulgar perversions. Here, parents need to be sensitized on the evil effect of these modern social media.

The impact of this definitely vitiates the young minds. In the infamous Delhi gang rape case a seventeen year old boy is one of the accused. This is not an isolate incident. There are a large number of instances where juveniles are involved in rapes and other heinous crimes. In many cases the argument of being juvenile is an escape route for the perpetrators of horrendous crimes.

Hence, the demand to revisit the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 cannot be brushed aside.

There are reports that many of our tourists centres are infested with pedophiles. This issue is to be addressed as children from poor families are being lured into sex at early age.

It is a well known fact that instead of supporting the victims the predators are often being protected. Law enforcing agencies, especially the police have a formidable role to play in checking the crimes and atrocities against women and children.

There are allegations against the complicity and negligence of the police. The fact remains that colonial mindset of some policemen often leads to insensitivity and indifference when crime is committed on women and children has taken place in the attitude of the police after the Nirbhaya case.

Since the present criminal law is stringent, victims and their families come forward to register their cases with the police.

The demand for Police Reforms is long pending and time has come for us to bring in drastic reforms in the police system. As part of the police reforms it is incumbent on the Govt. to reserve minimum 30% posts in the police forces for women. This will definitely instill confidence and faith in the police.

We need to take immediate steps to combat gender based violence and improve safety of women, girls and children in our country.

The tormented females undergo a great amount of emotional trauma and psychological support and counseling are to be provided to the victims.

Civil society groups, youths, women's organizations, political denominations, etc. have a critical role to play in combating the crime against women and children

The steps initiated by the Ministry of Women and Child Development, as mentioned in the communication of the hon'ble Minister, dated 26th June 2014, is indeed a step in the right direction. The 'Rape Crisis Centre' and the proposed facilities like helpline, first aid/medical help, assistance in lodging FIR, psycho counseling and legal aid etc. are all absolutely essential. But more remains to be done in changing the mindset of the perpetrators as also the attitude of the society.

Before I conclude, I urge upon the Govt. to bring about early legislation for increased reservation for women in Parliament and Legislative Assemblies. Representation to local body is also to be enhanced. Without empowerment of women it is hardly possible for us to attain our goal of gender equality and contain atrocities and violence against women and children. Therefore, what is necessary is empowerment of women at all levels of our society.

*SHRIMATI RITA TARAI (JAJPUR): We all know that women have always been at the receiving end in our society, especially in India. Women's status is regarded inferior to their male counterpart. The birth of a girl-child has always been treated with sympathy and not with what she deserves. When the family welcomes the male-child with celebrations, the girl-child is neglected right from birth. While rearing the child, there is always a bias against the girl-child. The family gives priority to the education of the boy rather than the girl. Despite all discriminations, if a girl manages to study well, she is deprived of the right to education and more so to the higher education. Parents marry her off at the first available opportunity and treat her as a burden. She gets saddled with early pregnancy and motherhood. She hardly gets any nutritious food for sustenance. She just survives like a pitiable creature in misery.

Atrocities on women in our country have become so common these days that everyday newspaper without exception have numerous reports on female-foeticide, physical violence, abuse, rape, molestation, dowry and death and so on. Women are not safe anywhere. They become the subject of eve-teasing that is more common in the public transport, they get harassed in office, exploited in hostels, are attacked with acid and are burned to death for dowry.

Our is a male-dominated society. Here the women's voices always are made to drown. The decay in moral values and a consumerist culture have projected women as objects of derive. They are assaulted in full public view and also in public places. The most horrible case of 'Nirbhaya' is a case in point. It's tragedy that its culprits are yet to be punished. The judicial process in our country is too slow, where the justice-seeker has to wait a lifetime to get the verdict. Police stations too are not women-friendly. The atmosphere in a police-station is so hostile and anti-women that a female hesitates to go there.

Therefore, there is an urgent need to appoint more and more female personnel in a police station so that the victim would feel safe and can confide in to female officers. I want to congratulate Madam Maneka Gandhi who has taken steps to bring the offending Juveniles to book.

^{*} English translation of the speech originally laid on the Table in odiya.

All of us here are representatives of the people. Let us all promise that in our constituencies we will open at least one primary and one secondary girl schools, as the education is an important tool that will empower girls, females and women at large. The government must at a policy level decide to appoint maximum numbers of female-teachers in schools and colleges. Every political party should ensure that at least 50 percent seats are given to female candidates. In all State Legislative Assemblies, Lok Sabha and Rajya Sabha, 50 percent reservation for women should become a reality. Women are an essential and beautiful part of this world. Let us all work to make them feel, safe, secure and strong.

*SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): I humbly submit my profound thanks to the TAMIL NADU CHIEF MINISTER Hon'ble PURATCHI THALAIVI AMMA for being given me an opportunity to be a Parliamentarian in this Hon'ble House.

Women should be given priority in Society and their liberty should not be deprived of. By giving much importance to the woman and child the Tamil Nadu State Government headed by our Hon'ble Chief Minister Puratchithalaivi Amma has implemented several Welfare Schemes for them from craddle to marriage.

Women is being taken care of from pregnancy to till she gives birth to the baby. After that child is being taken care of by providing immunization to the child. After that they are being taken care of through Aganwadi till they join elementary Schools and continuing till their school or college level. During their education till High School level, they are provided food through Noon Meal Programme as also subject books/notebooks. Surrounding village level students are provided with bicycles. College level students are provided with Laptop and Computers. Subsequently, for female students who have studied upto 10th as well as Degree level, their parents are being helped financially as well as sentimentally.

Emotional abuse is the act of causing harm to the development of a child. It is a raising concern in India is they could not perform well in school and college examinations.

Sexually abuse is engaging child to a sexual activity, conducted by an adult or another child who is developmentally superior to the victim.

In the case of female children they are being abused physically as well as sexually on the streets as also at schools, orphanages, residential homes, in the work places etc., many times with violence. Because of this, the normal development of these children will be affected mentally and as a social being, sometimes this will lead to end their life. These are all done by the people who

_

^{*} Speech was laid on the Table

are having frustrated mentality cultivated from the early of their lifestyle. These all happen only because of their parents neglect these persons.

Hence the women is playing an important role in our society, they should be given proper education and counseling by parents and their teachers at all levels. Social awareness should be created from the root level among women to inculcate good knowledge, good physique and morality in their children's mind through Anganwadi, Primary Health staff as well as elementary school teachers.

Despite the fact that in very many States in India we have news relating to the sexual abuse against female children and woman folk very frequently, these cause concern to the government.

To curtail this menace our Chief Minister Puratchi Amma had already taken stringent measures to deal with severely and put the offenders behind bars in Tamilnadu.

The same kind of policing against atrocity against woman and sexual abuse towards female children is needed to stop.

Thank you once again for having given an opportunity to place my views in the honourable House.

*DR. MUMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Autocracy, male dominance and sexual harassment on women are running through ages and throughout the world. Women are vulnerable from womb to tomb. Unfortunately, India is coming in forefront in this matter in recent years and declared a hazardous place for women. Ironically, Indian religious majorities worship many female Devatas but autocratic behaviour, violence and sexual assaults are showing increasing trends. There is female foeticide, infanticide, child sexual abuse and neglect, physical and mental torture in the form of assaults, beating up, murder (including dowry death and honour killings), compelling to be Sati and sexual assaults (rape and gang rape) which has no bar of age (from child to senior citizen)

Recently, there is slight decrease in the rate of infanticide which may be because females are not allowed to be born at all; the story of missing girls'. Due to misuse of scientific advancement and sex determination process female fetus are aborted. This leads to alteration of sex ratio and disturbing eco balance of human race.

It is a shame that this particular problem is basically in India, no other country in the world is having this. This is more pronounced in Punjab, Haryana, UP, Bihar is no bar and is now spreading in other states also. The incidence is least among tribals, christians comes next, then muslims. It is mostly the disease of affluent classes who can afford sex determination tests.

Dowry system was originally in Hindu marriage customs but now it is social disease which has spread to others namely among muslims and Christians also.

Domestic violence and sexual harassment have no bar, be it a cast, social class, creed or religion or educational level or nation. Though it is more profound in low socio economic and higher socioeconomic status and comparatively less among middle class, with emergence of neo-middle class the incidence of sexual harassment (specially gang rapes) and violence and murder is increasing in this class also.

^{*} Speech was laid on the Table

In our country, all these problems are related to socio economic condition, age-old social customs, behaviour and partly lack of political will and effort to solve or eradicate the problem.

Whenever there is dowry death, or rape we think of strengthening the law and some demonstration by women organization etc. and then it gradually dies off and forgotten. Even police is very reluctant to take up the FIR and proceed for action. Domestic violence and similar sort of abuse etc. are hardly reported and even not taken seriously by police.

These problems are far reaching and need multiple longtime action plan. We talk about strengthening the laws. Making legislation itself does not mean anything, it needs proper implementation, administrative power, political will and sincerity in action. Till date there is enough law but none of it has shown to be effective.

Dowry Prohibition Act 1961 amended in 1980, Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Indecent Representation of Women (Prohibition Act) 1986, Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, Child Marriage Prohibition Act, PNDT Act for prevention of female foeticide. For Sexual Assault/rape, there is IPC code 1860.

There are various obstacles to the way of getting justice. Most of the time women are either ashamed or afraid to go to police or to report in official place. Police mindset still favouring men, accuracy, political and other pressures and other illegal behaviours are the impediments.

Basically what is needed in women empowerment in the form of women's education and health is atleast 30 to 40% reservation in all public Representation places like Panchayat, Zila Parishad; Legislative Assembly and Parliament. There should be also proper representation in police and other administration levels.

For domestic violence, female foeticide and dowry death, we need extensive public awareness campaign for domestic violence. The family court should take better initiatives. There should be more family conseling centres to be established. As regards the question of female foeticide public awareness

programmes regarding dangers of this trend and its effects on society etc. should be explained.

Our social and moral responsibility towards reducing sexual assault may play a major role. Toilets and electricity in all houses and villages and chowkidars may help in certain extent. Sharp vigilance over night clubs of hotels and amusement places and restriction and proper monitoring of alcohol and similar things should be proper.

Media can play much more role in this matter. TV and other imaging media should restrict, exposing women body in advertising, cinema etc. There should be restriction and strong censor system so that erotic scenes are not shown. Ministry of Information and Broadcasting should take care of it.

People love girl child, fearing their future because of security, dowry and as a depreciating assets. The apathy towards girl child grows. Son will be an earning member, without son there won't be 'Swaragabas'. This sort of believes are the reason behind craving for boy. Empowerment of women would allay this. Girls are now even unsafe in schools. School authorities should take proper security and care of it.

*श्री सुधीर गुप्ता (मंदसीर): आज देश चिंतित है और चिंता से बाहर निकलने हेतु भी कुछ चिंतित है। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में पांच टी- ट्रेडिशन, टूरिज्म, टैलेंट, टैक्नोलॉजी और ट्रेज पर जोर दिया, हर हाथ को काम देने का वायदा किया। 2022 तक सबको मकान देने का वायदा किया तो साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए " जीरो टॉलरेंस " की नीति अपनाने पर बल दिया। भारत में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किये जाने पर आज चर्चा है। यह तंत्र विकसित होने का संकल्प तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में निहित है मगर जब तक व्यक्तियों के मानस में यह संकल्प नहीं आयेगा, सफलता संदिग्ध ही रहेगी। भारत का साम्प्रदायिक हिंसा से बड़ा पुराना नाता है। देश में सब कुछ ठीक रहे इस हेतु देश के वोट कबाड़ू राजनीतिक दलों से देश को बचाना होगा। हिंसा उन्हीं राजनीतिक मनों की कुंठाओं का परिणाम है। ए.ओ.ह्यूम से ऐतानिया माइनों तक देश ने बहुत सहा है, देखा है।

हम जानते हैं कि भारत में निवास करने वाले नागरिक रनेह से निवास करते थे। समूचे विश्व के कल्याण हेतु विचार करते थे। वसुधैव कुटुम्बकम की कामना से विश्व को संदेश देते थे। मगर भारत पर जब से विदेशी आक्रान्ताओं ने आक्रमण किये, विशेषकर मुगलों एवं यूरोपियों ने तब से धर्म परिवर्तन कर लेने वाले लाखों लोगों में से कुछ लोगों ने अपने आप को आक्रमणकारियों की मानसिकता से जोड़ लिया। इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना होगा। हालांकि भारत में आज भी सभी धर्मों के अधिकांश नागरिक 8वीं सदी से पूर्व एक जैसी धर्म व्यवस्था को जीने के आदी रहे हें और इस विशेष जीवन पद्धित का नाम दुनिया में हिन्दू नाम से जाना जाता है। धर्म का नामकरण कुछ भी हो जाये, जीवन पद्धितयाँ परिवर्तित नहीं होती है, पुरखे परिवर्तित नहीं होते हैं। आज भी हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई पवित्र स्थल मक्का को जाते हैं तो दुनिया भर से आये लोगों द्वारा उन्हें हिन्दी या हिन्दू के नाम से ही सम्बोधित किया जाता है। हमारे पुरखे साझा हैं, यह भाव सभी को बताना होगा, समझना होगा और समझाना होगा।

आज भारत शिक्षित हो रहा है। हमें बच्चों को सत्य बताना चाहिए अन्यथा वह आप पर भरोसा नहीं करेगा। उन्हें बताइये कि आक्रान्ताओं और राष्ट्र पुत्रों का अंतर। विशेषकर नई पीढ़ी के युवाओं को यह समझना होगा कि 8वीं सदी में भारत पर मौहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। 11वीं सदी में मौहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। 11वीं सदी में ही मौहम्मद

_

^{*} Speech was laid on the Table.

गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर आक्रमण किया। 14वीं सदी में फिरोजशाह तुगलक ने भारत पर आक्रमण किया। 16वीं सदी में औरंगजेब ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यह आक्रान्ता विदेशी थे, इनका भारत के मुसलमानों से कोई सम्पर्क नहीं था। अकबर महान सिहत ऐसे लोग आक्रांताओं की श्रेणी में माने जायें। ये साम्राज्यवादी इरादे से भारत आये थे। भारतवंशी अब्दुल हमीद, अशफाकउल्लाह या झांसी के तोपची गोश खां, यह अंतर देश को समझना होगा और नई पीढ़ी को भारतीयों और विदेशियों के अंतर को समझाना होगा।

सरदार पटेल की सनातन मान्यता एक राष्ट्र, एक जन के सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत देश के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता निरूपित करने की व्यवस्था की गई, इसे पुष्टि प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे सभी धर्मों में समानता का भाव जागृत हो।

संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान के मूल पाठ में सैक्यूलर शब्द को शामिल न करने का औचित्य समझा जा सकता है, किंतु पंथ निरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण का रथ तेजी से चलता रहा। 1976 में आपातकाल का दुरूपयोग करते हुए सैक्यूलर या पंथ निरपेक्षता शब्द समाहित करने से पंथ निरपेक्षता शब्द अपनी गरिमा खोकर अपशब्द बन गया है। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा अहमद बनाम शाहबानो, जॉर्डन बनाम चोपड़ा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ के तीन-तीन मुकदमों में उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को सचेत करके समान नागरिक संहिता कानून को रचना करके लागू करने में स्वयं महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा उसके औचित्य का समर्थन करके से अधिनियमित करने का आग्रह करने के बावजूद समान नागरिक संहिता को आज तक क्यों लागू नहीं किया गया।

आज पूरे देश में सद्भाव बिगाड़ने की समस्यायें हैं, उनका समाधान शीघ्र करना चाहिये। चाहें वह कश्मीर की समस्या हो, चाहे बांग्लादेश की। अवैध नागरिकों की समस्या, चाहे राम जन्म भूमि का प्रश्न हो, चाहे राम सेतु तोड़ने की घृणित मानसिकता हो या चाहे आतंकवादी छदम वेश में किसी धर्म से अपना नाता जोड़ लेते हों, ऐसी तमाम समस्याओं से देश को मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता है, सख्त कानूनी व्यवस्थायें देश में लागू हों एवं नागरिकों के मनो में यह स्पष्टता हो कि भारत राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले विदेशी, चाहे किसी भी धर्म के हों, वे अक्रांता हैं और उनके द्वारा आहत किये गये या तोड़े गये तमाम सांस्कृतिक स्थलों की पुनर्स्थापना हो और आम व्यक्ति के मन में यह धारणा बलवती हो कि भारत में सभी नागरिक

समान हैं और देश के विकास, उन्नित और वैभव के लिए सबका साथ-सबका विकास, इस मंत्र को धारण करते हुए भारत को पुनः सारी दुनिया में मजबूती प्रदान करने मे प्रयासरहत रहेंगे। मैं सदन और सभा से एक आग्रह करूँगा कि अपनी राजनैतिक कुंठाओं से बाहर निकल कर देश हित में काम करें और स्पष्ट नीति पर काम करें तािक हम इन समस्याओं से शीघ्र निज़ात पा सकें।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, thank you for allowing me to respond. I have heard all the speakers. It is a matter of great concern to all of us in this House. Many of you have made very moving speeches and I have no doubt that the quality of your interest across party lines will lead to a change in the way we approach this vast problem of violence against women and children. Across the board, these are the common concerns that you have expressed. They are: the patriarchal mindset of society, the absence of the implementation of stringent laws, the delays in the completion of trails, low conviction rate, the lack of expeditious dealing with complaints, the need to check the child sex ratio imbalance, increasing safety by increasing surveillance in public places and vehicles, dealing with the heinous crimes committed by adolescent offenders, providing toilets for women in rural areas and bringing about social awareness. Many of you have given data on the crimes being committed and the low conviction rates.

I have been a Minister for the last two months and this subject was taken up by me on the day I joined. In the beginning of my response I would like to take you through the various laws that we have in different ministries that have risen to this challenge of curbing these vicious crimes against women and children.

The Criminal Law Amendment which came into force on 3rd February, 2013, which has enhanced punishments for crimes such as rape, sexual harassment, stalking, voyeurism, indecent verbal and physical gestures and which has changed various sections of the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Indian Evidence Act and the Protection of Children from Sexual Offences Act.

The Prevention, Prohibition and Redressal of Women at Workplace Act, 2013 which came into force on December 9, 2013 which insists that all workplaces with more than 10 workers has to have an internal complaints committee.

The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 which addresses sexual abuse and exploitation of children and provides for child friendly procedures for reporting, evidence and investigation of such crimes.

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, the Dowry Prohibition Act, 1961, the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 are some of the Acts brought out by the Ministry for Women and Children over the years.

However, all of you have voiced a common concern for faster trials and fast track courts. The Justice J.S. Verma Committee made no recommendations on how to do this. Section 309 of the Cr.P.C. has been amended to fix a time limit of three months but more changes are needed to bring in time bound trials. The NDA Government, under Shri Vajpayeeji, had brought in fast track courts for different issues. Mysteriously, they have been allowed to become inactive in the last so many years.

There are some other concerns that need to be redressed. I will use this forum to address other wings of the Central and State Governments. Consensual rape is a grey area and we need to review Section 375 and gangrape under Section 376 of the IPC.

We have to put in a witness and victim protection programme as other countries have because, out of fear, witnesses recant or disappear.

The current provisions relating to perjury are also very weak due to which the accused and their families put pressure on the victims or witnesses to recant their statements

The Child Marriage Act needs to be taken more seriously and tightened. Last year only 222 cases were detected.

The registration of placement agencies, changes to the existing child labour laws to recognise the trafficking of children are also required.

We need to tighten mechanism to trace and investigate the cases of missing children.

Though this Ministry is one of the many in Government that is faced with these problems, I would like to tell you about my approach.

I believe that we need to divide the work of the Ministry to tackle the problem into three different compartments that are protection, confidence building and the hope of economic independence and infrastructure.

Under protection, this is what we, in this Government, have devised: In order to address any legal loopholes that may come under other laws, I had asked the High Level Committee on the Status of Women, 2014, to prepare a list of laws that need working on. They have done so. We will go through each one of them and see how we can provide a legal circle of protection.

However, that in itself, as all of you have rightly pointed out, is not enough. Almost all of you have asked for quick response mechanisms. So we are making a one stop crisis response centre for all crimes against women. This will be put in every district and will have attached to it a panel of police people, lawyers, a trained 24 hours caretaker, nurses, counsellors and a rescue vehicle.

From the minute a woman complains, she will come in or be brought in, and the machinery of attending to her case on the medical to the legal and temporary shelter will be set in progress. This includes every kind of case from eve teasing to rape and domestic violence.

Thirdly, we have also had a series of meetings on how to establish an All India Helpline for Women. It exists in Delhi and Gujarat but it needs to work throughout India. This should be in place in the next few months.

How will these help? If a potential criminal knows that a woman has access to women-friendly justice, he will be less ready to harass and hurt her. The victim needs access to justice and these two systems aim to provide it.

Under confidence building, we need education and employability.

I have proposed that under the existing Sabla Scheme, we add two hours of learning to each school and pay the teachers extra. The girls will be taught three types of education: how to negotiate the world around them: banks, insurance, doctors, schemes, officers to approach, etc.; legal rights; and health of their bodies: how to understand what infections are, what early marriage does to the body, etc.

My officers are working on the scheme as we speak and will converge with the Education Ministry in order to start these classes for 11 year olds and above. These classes are not just for those in school. Non school going girls will be encouraged to join them as well.

Regarding employability, while there is a network of IITs in India, these are male-oriented. There are few classes for women and these are mainly in the sewing, typing rage. What I would like to start is for women, centres of excellence that teach everything from plumbing, masonry to anything that is needed to give the woman the ability to stand alone. I am looking for CSRs, partners, grants. If any of you who have spoken and those who would have like to speak are serious about this, I would request you to put your MPLADS money into these centres when and where they come up. The Prime Minister is very keen on skill building and a large programme for the same is being worked out.

Protection is not just of the law. It also happens when we create infrastructure for women. Not just of schools and colleges but in their day-to-day lives. Of these, the most important is toilets. We plan, as part of the new Anganwadi Schemes in which a women's community centre is to be put up, to make village toilets that adjoin these centres, making them caste and class neutral. We already have the design ready to proceed. Toilets, which is what the Prime Minister accentuated during his first speech, will go a long way in giving protection not just against random violence but increasing the health of these women.

Other issues that are being worked out with other Ministries are sanitary towel distribution, well run and accessible both abortion and delivery centres, putting separate and detailed information about women's health into medical colleges. I am told that the NCERT under the HRD Minister is putting women's issues into their text books. This is a very welcome measure.

Our Government has recently approved an amendment to the Juvenile Justice Act in which Juvenile Justice Boards will decide whether the perpetrator of a heinous crime deserves to be punished as an adult and if so, he will be tried in adult courts.

I would like your support also in increasing the powers of the National Commission for Women. Violence is of many kinds, and thousands of complaints that come to the Commission are from women whose superiors have destroyed their careers because they would not submit to their sexual advances, for instance. They have nowhere to go as even today very few workplaces have, in spite of the law, put in Complaint Committees. This includes government offices across India. Thousands of complaints come in weekly but the Commission needs the ability to investigate, even to call the accused to the commission and then recommend punishment. In the absence of this, it has become a token Commission, as Shrimati Poonam Mahajan pointed out. It needs to be recast.

There are two things the Prime Minister has placed his attention on, and they are: the malnutrition of girls and the sex ratio decline and the education of girls. Accordingly, the Finance Minister in his Budget announced the *Beti Bachao*, *Beti Padhao* campaign. This goes across Ministry lines. Four Ministries have converged to finalise a programme that will be taken up in the 100 worst districts of India in order to see whether concerted effort can bring both sex ratios on par and get more girls into school.

Shri Mann has given me an interesting idea of how one Deputy Commissioner combated the sex ratio problem and won. I would incorporate this idea in the plans we are making for these districts. If any of you have any success stories that can be replicated, please feel free to send them to me. The Kanyashree girl child programme started in West Bengal pointed out by my colleagues Ratna De Nag and Kakoli Ghosh Dastidar is an excellent idea and we could look at that as well. Let us look at why the sex ratio is skewed. It it because of the insecurity of parents, the thought of dowry, the inferior education that they expect for their girls, the lack of safety? The Beti Bachao Programme intends to work on these issues in the selected districts.

Regarding malnutrition, the ICDS or Anganwadi based programme has been in practice for 40 years. It has been allowed to deteriorate to a point where it helps no one. The Anganwadi workers have no clear direction. The food is often stolen. Some of it is ill thought of and brings no nutrition. The

crèches are in disrepair if they exist at all. The supervisory posts are mostly empty and it has simply become another MNREGA. In order to repair this, I called a meeting of all the Secretaries of the Department from the States; and they have come in with very useful suggestions. In the next month, I will begin to implement them. If we can train the Anganwadis, give them a straight jacketed job to do and use this huge network of paid women village workers in a proper manner, we may be able to measure the decrease in malnutrition in girls and in pregnant women in a few years.

Regarding adoption, which is part of the new JJ Act, and the vast numbers of children in children's homes which, in some parts, are not secure and brutalise children, the new Juvenile Justice Act has made several novel departures. We have put in procedures that have made adoption easy and regulated in a child-friendly manner. I personally have worked on this and CARA, the adoption machinery as adoption is very close to my heart. This Act has also got provision for foster care which is new to our country and we will be launching an all India campaign urging people to take in children from homes and look after them. The State will pay. The checking system to see whether the child is happy and not misused, will be put in place.

Each one of you have made good speeches, and even those who have not spoken on the Bill, I am sure, feel just as strongly. But look into your hearts. Have you done what you could do yourselves?

Regarding direct crime, many colleagues have stated that there should be no delay in registration of FIRs in all crimes against women. The Criminal Law Amendment Act of 2013 has already mandated this. But it is for each one of you and each one of us, to see that this happens in your Constituencies. If you could ensure that in your district, the non-filing of FIRs and the harassment of women by police is punished as per the law, it would soon set the administrative machinery right.

When you have your monthly meetings with the local administration in your Constituencies, again mandated by law, meetings that are attended by MLAs and local body Chair people, you could bring up these issues and ask for

the SP's report. Include women's crimes in the meeting you take with district personnel as indicators of social development.

Perhaps you could pay a call on your local Judges and request them to speed up cases.

Even more importantly, you could do what Gujarat has done. Ask your Chief Ministers to make one-third of the police force women. I had written to the Chief Ministers over a month ago. I have not had any commitment from them. But all of you could push your own States to do so. This would be a major step in ensuring protection.

Mrs. Dimple Yadavji has asked for sensitisation of police personnel. I would suggest that if the police force had 33 per cent women, it would not take long for all men in and out of the police to be sensitised.

I wrote to each one of you personally, a month ago, asking you to give me your letter and commitment and land for the rape crisis centres. I have received only two replies out of 500 plus. All of you that have spoken, would you like to expedite this really important centre in your own district, have it built and monitor its progress? Have you followed up with your CMs on whether they have given land. I have talked and written to all. I could have the centres ready by the end of the year if you would cooperate. It is not a speech that will change the women's plight. Really, this is one of the main things that could.

16.00 hrs

Many years ago, the issue rose in Parliament of child labour in the carpet industry in Banaras-Bhadohi. At that time, I formed a group called Rugmark, which I head till today, and we have rescued and rehabilitated over 16,000 children and, in effect, stopped the child labour in this carpet industry in ten years, without taking a paisa from the Government. Today, we work with the carpet industry and are an international name. Many of you have child labour issues in organised industry in your areas. What have you done to stop it, while catering to both children and their parents' income and the industry's progress together?

How much of your MPLADS funds have you spent or intend to spend on women in your constituencies? Will you pay for toilets or the anganwadi centres to make them good women community centres? How many of you will bring in companies to make the ITIs or even inspect the ITIs already existing in your districts and make sure that they include subjects for women? How many of you have started training programmes for women? How many of you have checked or encouraged martial arts programmes for girls in schools? How many of you have inspected the toilets in their schools to see if they exist or looked at the bus services to them? How many of us take in complaints from women and follow them to the end or check on the progress of missing children or look at adoption of children's homes? How many of us have put our money into working women's hostels or looked at Ministries that might fund them, as my colleague Shrimati Jayshreeben Patel had suggested?

Shri Basheer had complained about liquor shops and he is right. Women complain incessantly about how violence increases by having liquor shops in their villages. It took me all my ability to get one removed to just one kilometre away. The reason is that the State Government gets a substantial income from them. But has any State Government measured the problems that arise from these liquor shops? Perhaps a study could be done by the police themselves and the States could look at another way to earn money.

Most importantly, I would like to talk to you about bringing a change in the mindset of your community. This is where the problem lies. Thirty years ago, the Government brought about a very significant rule in the Panchayati Raj - Shri Rajiv Gandhi was responsible for this - in which 33 per cent of all women were given posts of sarpanches, municipal corporators, zila parishad members etc. This Panchayati Raj change could have been the vehicle to bring about a change for women, but it did not and it does not because we do not pay attention to it. The women sarpanches were allowed to be the weakest women whose husbands, sons, male relatives or caste heads controlled the administration of the village and the disbursement of money. A new term has come into being – pradhanpati or sarpanchpati. District administrations actually deal with these sarpanchpatis. They attend Administration meetings. None of

us have complained, me either. Money has disappeared and no one can do anything against the husband and no one wants to punish the helpless wife. But even now, if we take a strong stand and say that any woman, who does not take responsibility for her village after being elected, will be removed, if we could see that all women pradhans are trained and taught regularly, then you would see a new breed of women coming up from the ground in the areas that have the most crime against women. Women social reform comes from this single root and it is a low hanging fruit for all of us.

Are these the only things that are needed for the safety of women? I would say that electricity and the availability of water would give women time. When a woman has no time from her household chores, she stands alone and vulnerable and in fear of permanent victimhood. The day is short with no electricity and she has to do almost everything from getting wood to water, cleaning to cooking and helping her husband on the land. If she has time, then she can bond with other women, form associations and social groups within the village. And social change happens through these groups. She has time to learn and teach. She has time to think of how to make herself stronger. The truth is that when schemes like Rajiv Gandhi Vidyut Yojana were put up, many Members, many of us, left it solely to State officials to implement it. In my own constituency, I have found that 400 villages declared electrified have a single standing pole. If you could make sure that various schemes for electricity are implemented or you could give solar lights in areas needed by women, you would be creating a stronger womanhood which is what we all want. If you could do these things, we might have a safer India for women and children very soon.

This subcontinent was the first to produce so many outstanding women leaders respected all over the world long after they have gone like from Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan. Women, who were not afraid to lay down their lives for their country so that others may have a better life. All women and children in this country could be that strong, but it is for us to work together to create a climate in which they grow to their full potential.

16.06 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

HON. SPEAKER: Now, Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 14th August, 2014, passed, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India, without any amendment, the Constitution (One Hundred and Twenty-first Amendment) Bill, 2014, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th August, 2014."

16.06 ½ hrs

VALEDICTORY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 16वीं लोक सभा का दूसरा सत्र जो दिनांक 7 जुलाई 2014 को प्रारम्भ हुआ था आज समाप्त हो रहा है।

यह 16वीं लोक सभा का पहला बजट सत्र है और इसके दौरान 27 बैठकें हुई जो लगभग 166 घंटे तक चलीं।

वर्ष 2014-15 का रेल बजट और सामान्य बजट क्रमशः 8 और 10 जुलाई 2014 को प्रस्तुत किया गया।

13 अगस्त 2014 को डॉ. एम. तम्बिदुरई सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने गये।

वर्ष 2014-15 के रेल बजट पर सदन में विस्तृत और गहन चर्चा हुई। यह चर्चा 13 घंटे और 16 मिनट तक चली, जिसमें 243 सदस्यों ने भाग लिया। वर्ष 2014-15 की रेल संबंधी अनुदानों की मांगें नियम 331(जी) के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात पारित की गयी। चूंकि विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों का गठन नहीं हुआ था और इसलिए तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सभा में वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट और 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान (सामान्य) मांगों को पारित करने से पहले उन पर संयुक्त चर्चा भी हुई जो 15 घंटे और 13 मिनट तक चली और वर्ष 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान मांगों संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

जल संसाधन, पर्यावरण और वन, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों संबंधी वर्ष 2014-15 के अनुदान मांगों पर चर्चा 13 घंटे और 07 मिनट तक हुई। पहले तीनों मंत्रालय की मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मांग और वर्ष 2014-15 के सामान्य बजट संबंधी सभी शेष मांगों को सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिन्हें 23 जुलाई 2014 को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वर्ष 2014-15 का बजट लोक सभा में 18 जुलाई 2014 को पेश किया गया था। अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और सभी मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक 30 जुलाई, 2014 को पारित किया गया।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए वित्त विधेयक, 2014 को सदन में छह घंटे की चर्चा होने के पश्चात् पारित किया गया।

सत्र के दौरान, 20 विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछेक महत्वपूर्ण विधेयकों के नाम हैं - प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014; संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 और शिक्षु अधिनियम बिल।

सत्र के दौरान 540 तारांकित प्रश्नों को सूची में रखा गया था, जिसमें से 126 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.84 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जो कि हाल के समय में एक रिकार्ड है, आपके सहयोग से किया गया। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर 5339 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित सभा पटल पर रखे गए।

सत्र के दौरान, दो विषयों पर आधे घंटे की चर्चा की गई। एक मसला "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अनियमितताएं "पर कुँवर भारतेन्द्र सिंह तथा दूसरा " दूध के दामों में वृद्धि" पर श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाया गया था। संबंधित मंत्रियों ने इन मसलों का उत्तर दिया।

सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात् तथा शाम को देर तक बैठकर अविलम्बनीय लोक महत्व के 607 मामले उठाए थे। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 354 मामले भी उठाए।

सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर नियम 193 के अधीन पाँच अल्पाविधक चर्चाएं भी की गईं यथा कीमतों में वृद्धि, देश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में एनसेफलाइटिस का फैलना, देश में महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता और देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता। अंतिम विषय पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जिएए ईराक में फंसे भारतीयों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, देश में गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार की आवश्यकता, दक्षिणी कश्मीर में कौसर नाग यात्रा को रोकने का निर्णय, जिससे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना, सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए सरस्वती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आवश्यकता और विकास कार्यों के निष्पादन हेतु आवासीय कालोनियों के साथ-साथ खाली पड़ी रक्षा भूमि के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में छूट देने की आवश्यकता जैसे पांच विषय उठाए गए। इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्री ने वक्तव्य दिया और माननीय सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का भी उत्तर दिया। इनसेफलाइट्स रोग फैलने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाए गए एक मामले को सदस्यों की मांग पर नियम 193 के अधीन चर्चा में बदल दिया गया था। सरकारी कामकाज पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पए तीन वक्तव्यों सहित अन्य विभिन्न विषयों पर मंत्रियों ने 47 वक्तव्य दिए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1674 पत्र सभा पटल पर रख गए।

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संबंध है, सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के 61 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री निशिकांत दुबे के राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2014, जो देश में असंगठित और निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी पेंशनभोगियों को गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन के भुगतान का उपबन्ध करता है, पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसे प्रभारी सदस्य ने वापस ले लिया। विकास योजनाएं और स्कीम बनाने तथा केन्द्रीय हिमालय क्षेत्र को शामिल करते हुए पहाड़ी राज्यों के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए उनके कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक परिषद, जिसे केन्द्रीय हिमालय राज्य विकास परिषद कहा जाएगा, की स्थापना का उपबन्ध करते हुए एक अन्य विधेयक पर विचार का प्रस्ताव डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अगस्त, 2014 को प्रसतुत किया, जिस पर आंशिक चर्चा हुई। डॉ. रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा 11 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत हिमालय क्षेत्र वाले राज्यों से संबंधित एक गैर सरकारी सदस्य संकल्प पर 18 जुलाई, 2014 को आगे चर्चा हुई तथा उसी दिन सभा की अनुमति से इसे वापिस ले लिया गया। श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई 2014 को प्रस्तुत राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित एक अन्य संकल्प पर 1 अगस्त, 2014 को आगे चर्चा हुई और यह चर्चा पूरी नहीं हो पाई।

इस सत्र में हालांकि व्यवधान और जबरन स्थगन के कारण 13 घंटे और 51 मिनट का समय नष्ट जरूर हुआ, लेकिन मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सभा ने महत्वपूर्ण वित्तीय और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए 28 घंटे और 10 मिनट देर तक कार्य किया, जिसके लिए मैं सभी सदस्यों की आभारी हूं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, सभापित तालिका में सिम्मिलित माननीय सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संपूर्ण संचालन में अपना सहयोग दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्यमंत्री, विभिन्न दल, ग्रुप के नेतागण, माननीय खड़गे जी, मुख्य सचेतक और माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आप सभी की ओर से प्रैस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर पर महासचिव की उनके दक्ष और कुशल सहयोग के लिए प्रशंसा करना चाहूंगी। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को सभा के प्रति उनकी समर्पित और तत्पर सेवा के लिए सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सभा की कार्यवाही को सुसंगठित रूप से चलाने में कुशल सहयोग प्रदान करने के लिए अनुषंगी एजेंसियों का आभार व्यक्त करती हूं।

16.18 hrs

NATIONAL SONG

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अब वंदे मातरम् के लिए खड़े हो जाएं।

The National Song was played.

The Lok Sabha then adjourned sine die.